

# भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

द्वारा

राजस्थान में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के लिए

## सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन रिपोर्ट

तहसील: फुलेरा, जिला: जयपुर



प्रस्तुत :  
उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार  
एवं  
भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड  
जयपुर, राजस्थान

प्रस्तुतकर्ता :  
प्रो. अल्पना कटेजा  
आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर (राज.)

## आमुख

यह सामाजिक समाधान अध्ययन (एस.आई.ए.) रिपोर्ट भूमि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 और राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानानुसार एस.आई.ए. अध्ययन समूह द्वारा निष्पादित कार्य का परिणाम है। अनुसंधान दल ने CONCOR के अधिकारियों, क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और जिला - जयपुर तहसील फुलेरा के सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, शार्दुलपुरा और कन्देवली ग्राम के परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) के साथ मूल्यवान निर्विष्टियाँ, स्थानीय पारिस्थितिकी, संस्कृति और सामाजिक-आर्थिक प्रोफाईल पर आकड़े एकत्र करने के लिए व्यापक परामर्श किया था।

हम सभी CONCOR के अधिकारियों एवं SDM कार्यालय को उनके निरंतर सहयोग और सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। वे सभी परियोजना से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने एवं टीम का मार्गदर्शन प्रदान करने में पूरे अध्ययन के दौरान बेहद सहायक रहे हैं।

टीम परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) और स्थानीय प्रतिनिधियों को उनके समय और मूल्यवान प्रतिक्रियाओं के लिए आभारी है। हम इस अध्ययन के सभी सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं और उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं।

प्रो. अल्पना कटेजा  
आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग  
राजस्थान विश्वविद्यालय,  
जयपुर (राज.)

मो.नम्बर 9414243508

ईमेल: [alpanakateja@gmail.com](mailto:alpanakateja@gmail.com)

## अनुक्रमणिका

- (i) तालिकाओं की सूची
- (ii) रेखाचित्रों / मानचित्रों की सूची
- (iii) संकेताक्षरों की सूची
- (iv) कार्यकारी सारांश

अध्याय	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय-1: परियोजना: पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना</b>	<b>1-9</b>
1.1 कॉन्कार : एक नजर	2
1.2 परियोजना की पृष्ठभूमि	4
1.3 परियोजना के चरण, डिजाइन एवं आवश्यक अधीनस्थ अवसंरचना	6
1.4 प्रस्तावित परियोजना की विशेषताएँ	7
<b>अध्याय-2: विशेषज्ञ समूह: संरचना, दृष्टिकोण एवं कार्यविधि</b>	<b>10-21</b>
2.1 एस.आई.ए. विशेषज्ञ समूह का गठन	10
2.2 अध्ययन समूह का दृष्टिकोण	11
2.3 सामाजिक समाधात आकलन की अध्ययन (एस.आई.ए) कार्यविधि	17
2.4 एस.आई.ए. अनुसूची	21
<b>अध्याय-3: भूमि आकलन</b>	<b>22-29</b>
3.1 प्रस्तावित परियोजना का वर्तमान भूमि-उपयोग	22
3.2 भूमि उपयोग विन्यास पैटर्न	23
3.3 ग्रामवार / खसरावार भूमि का विवरण	25
<b>अध्याय-4: प्रभावित परिवारों की सम्पत्ति का आकलन और गणना</b>	<b>30-37</b>
4.1 सीधे सम्पर्क किये गये भूमि स्वामियों का विवरण	30

अध्याय	पृष्ठ संख्या
<b>अध्याय-5: प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल</b>	<b>38-50</b>
5.1 फुलेरा तहसील	38
5.2 प्रभावित गाँवों की जनाकिकी विवरण	41
5.3 क्षेत्र निर्धारता स्तर	43
5.4 चारों गाँव में आजीविका एवं व्यवसाय	44
5.5 प्रशासनिक संगठन	50
5.6 राजनैतिक संगठन	50
5.7 समुदाय आधारित एवं सिविल सोसाइटी संगठन	50
<b>अध्याय-6: परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल</b>	<b>51-62</b>
6.1 परियोजना में प्रभावित परिवारों (पीएएच) एवं व्यक्तियों की संख्या	53
6.2 प्रभावित परिवारों की जाति वर्ग के अनुसार संरचना	54
6.3 प्रभावित परिवारों का धार्मिक विवरण	55
6.4 परियोजना में प्रभावित परिवारों के आय और व्यवसाय का विवरण	55
6.5 प्रभावित सदस्यों का आयुवर्ग के अनुसार विवरण	57
6.6 प्रभावित सदस्यों का शिक्षा का स्तर	59
6.7 प्रभावित परिवारों में सदस्यों की वैवाहिक स्थिति	60
6.8 प्रभावित परिवारों का प्रकार	61
6.9 भूमि अधिग्रहण का प्रभाव	61
<b>अध्याय-7: सामाजिक प्रभाव</b>	<b>63-68</b>
7.1 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	64
7.2 सकारात्मक प्रभाव	65
7.3 नकारात्मक प्रभाव	66
<b>अध्याय-8: लागत और लाभ विश्लेषण</b>	<b>68-87</b>
8.1 लोक प्रयोजन का आकलन	69
8.2 मुआवजे के निर्धारक	71
8.3 पात्रता मैट्रिक्स	71
8.4 पात्रता मापदण्ड	72

अध्याय	पृष्ठ संख्या
8.5 मिट्टी/भूमि की गुणवत्ता के आधार पर मुआवजे के लिए मानदंड	83
8.6 भूमि के अधिग्रहण के लिए शर्तें और सिफारिशें	83
8.7 सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि दर के आधार पर भू-स्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि	84
8.8 भूमि की लागत का अनुमान	85
8.9 परियोजना से होने वाले लाभ का आकलन	85
<b>अध्याय-9: जन सुनवाई प्रतिवेदन</b>	<b>88-104</b>
9.1 जन सुनवाई के उद्देश्य	90
9.2 जन सुनवाई के दौरान उठाये गये प्रमुख मुद्दे	91
9.3 जन सुनवाई बैठक - कार्यावाही विवरण	94
<b>अध्याय-10: सामाजिक समाधान शमन योजना</b>	<b>105-114</b>
10.1 शमन के लिए दृष्टिकोण	105
10.2 प्रमुख प्रभावों का सारांश और उनका शमन	106
10.3 प्रभाव से बचने, प्रतिकार करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय	110
10.4 निष्कर्ष	114
<b>सन्दर्भ सूची</b>	<b>115</b>
<b>परिशिष्ट :</b>	<b>116-128</b>
i. विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची	
ii. प्रभावित होने वाले क्षेत्र में स्थित आधारभूत संरचनाओं की सूची	
iii. प्रभावित होने वाले क्षेत्र में निजी भूमियों की सूची	
iv. प्रभावित होने वाले क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की सूची	
v. प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों की सूची	
vi. प्रभावित होने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजनों की सूची	
vii. प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की सूची	
viii. प्रभावित क्षेत्र में रोजगार योग्य युवाओं की सूची	
ix. प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं प्रभावित होने वाले परिवारों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांरकृतिक परिदृश्य	
x. गजट नोटिफिकेशन	
xi. प्रश्न सूची	

## तालिकाओं की सूची

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र की मुख्य विशेषताएँ	8
2.1	ग्राम स्तर पर एस.आई.ए. अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची	21
3.1	प्रस्तावित परियोजना का वर्तमान भूमि-उपयोग	22
3.2	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का आकलन	22
3.3	ग्रामवार / खसारावार भूमि का विवरण	25
4.1	सीधे सम्पर्क किये गये भूमि स्वामियों का विवरण	30
5.1	2011 की जनगणना के अनुसार चारों गावों की जनसंख्या	42
5.2	बी.पी.एल. सूचना	43
5.3	मनरेगा के आंकड़े	44
5.4	प्रभावित गाँवों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति: एक अवलोकन	49
5.5	पशुगणना सन् 2012	50
6.1	परियोजना में प्रभावित परिवारों का संख्या विवरण	53
6.2	परियोजना में व्यक्तियों का विवरण	54
6.3	परियोजना में प्रभावित परिवारों की जाति संरचना	54
6.4	परियोजना में प्रभावित परिवारों की धार्मिक श्रेणियाँ	55
6.5	परियोजना में प्रभावित परिवारों के सदस्यों की व्यावसायिक प्रोफाइल	56
6.6	परियोजना में प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति का विवरण	57

तालिका संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
6.7	आयु के अनुसार प्रभावित सदस्य	57
6.8	परियोजना में प्रभावित परिवारों के सदस्यों की शिक्षा का स्तर	59
6.9	प्रभावित सदस्यों का वैवाहिक विवरण	60
6.10	प्रभावित परिवारों का प्रकार	61
6.11	भूमि अधिग्रहण से प्रभावित खसरों पर प्रभाव की मात्रा	62
7.1	सामाजिक प्रभाव: एक तुलनात्मक विश्लेषण	68
8.1	मुआवजा संरचना को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत	73
8.2	भूमि की अनुमानित लागत	87
9.1	जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	97
10.1	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	107

## रेखांचित्रों/मानचित्रों की सूची

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	कॉन्कार टर्मिनलों का नेटवर्क	3
1.2	परियोजना की स्थिति (Location)	9
2.1	आँकड़े संग्रहण की विधियाँ	12
3.1	भूमि उपयोग विन्यास (पैटर्न)	23
3.2	ठोपोशीट पर परियोजना क्षेत्र (SITE)	24
5.1	फुलेरा तहसील: मानचित्र	39
5.2	फुलेरा में भूमि उपयोग	40
5.3	फुलेरा में सिंचाई परिदृश्य	40
5.4	फुलेरा में कृषि क्षेत्र	41
5.5	लिंग अनुपात	43
5.6	सामलपुरा में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति	45
5.7	शार्दुलपुरा में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति	46
5.8	श्योसिंहपुरा में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति	47
5.9	कन्देवली में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति	48
6.1	प्रभावित परिवार	55
6.2	प्रभावित परिवारों में शिक्षा का स्तर	60
8.1	MMLP से होने वाले संभावित लाभ	70

## LIST OF ABBREVIATIONS / संकेताक्षरों की सूची

BPL	Below Poverty Line / गरीबी रेखा से नीचे
CONCOR	Container Corporation of India / कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
CHC	Community Health Centre / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
DLC	District Level Committee / जिला स्तर समिति
DFC	Dedicated Freight Corridor / समर्पित फ्रेट कॉरिडोर
CSR	Corporate Social Responsibility / कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी
FGD	Focus Group Discussion / मुद्दा समूह चर्चा
IAY	Indira Awas Yojana / इंदिरा आवास योजना
ICDS	Integrated Child Development Services / एकीकृत बाल विकास सेवाएं
LA & RP	Land Acquisition and Resettlement Plan / भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन योजना
MCW	Mother and Child Welfare / मातृ एवं बाल कल्याण
MMLP	Multi Modal Logistics Park / मल्टी मोडल रसद पार्क
PAFs	Project Affected Families / परियोजना प्रभावित परिवारों
PAPs	Project Affected Persons / परियोजना प्रभावित व्यक्तियों
PDS	Public Distribution System / सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PHC	Primary Health Centre / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PRA	Participatory Rural Appraisal / सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन
RAP	Rehabilitation Action Plan / पुनर्वास कार्य योजना
R&R	Rehabilitation and Resettlement / पुनर्वास और पुनर्स्थापन
RPF	Resettlement Policy Framework / पुनर्स्थापन नीति ढांचा
SC	Scheduled Caste / अनुसूचित जाति
ST	Scheduled Tribes / अनुसूचित जनजाति
SIA	Social Impact Assessment / सामाजिक प्रभाव आकलन
SIMP	Social Impact Management Plan / सामाजिक समाधात प्रबंधन योजना
TEU	Twenty-Foot Equivalent Unit

## कार्यकारी सारांश

### A. परियोजना एवं लोकप्रयोजन

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (CONCOR) भारत सरकार के रेल मत्रांलय के अधीन एक नवरूप उपक्रम है। यह एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है। वर्तमान में यह कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज आदि की सुविधाएँ अपने ग्राहकों को प्रदान कर रही है। 400 से अधिक कंटेनर ट्रेनों, एक 61 कंटेनर टर्मिनल (अंतर्देशीय डिपो एवं आंतरिक डिपो) के साथ इसे अभी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान समय में देश फ्रेट संचालन में भारी माँग के साथ कीमत प्रतिस्पद्धि बने रहने की चुनौति का सामना कर रहा है। इसी लक्ष्य को पाने की दिशा में फुलेरा तहसील में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) एक कदम है। प्रस्तावित MMLP में, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, जिसमें सीमा शुल्क परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, के साथ-साथ आंतरिक परिवहन के अन्य मोड, वेयर हाउसिंग, एवं अन्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रस्तावित MMLP के बनने से इस क्षेत्र की माल ढुलाई, जो मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भर है, वह रेल मार्ग पर स्थानान्तरित होगा, जिससे लॉजिस्टिक दरे कम होंगी।

फुलेरा के पास ही समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (डी.एफ.सी.) द्वारा न्यु फुलेरा स्टेशन का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित MMLP को न्यु फुलेरा स्टेशन से जोड़ने की योजना है। डी.एफ.सी. का निर्माण पूरी तरह माल ढुलाई के लिए किया गया है। प्रस्तावित MMLP के बन जाने से आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों को माल ढुलाई के लिए एक सस्ता एवं भरोसेमंद साधन उपलब्ध होगा। इससे सड़क मार्ग पर उनकी निर्भरता कम होगी। लंबी दूरी के मार्गों के लिए रेलवे की तुलना में सड़क मार्ग से माल ढुलाई आम तौर पर 25 से 30 प्रतिशत अधिक महँगा है अतः माल ढुलाई के सड़क से रेलवे में

शिफ्ट होने से ईंधन की कम खपत, ज्यादा माल ढोने की क्षमता, कम प्रदूषण होने के साथ ही माल ढुलाई की लागत कम होगी।

इस प्रकार से इस परियोजना के आ जाने से इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी मदद मिलेगी। अभी इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को रेलवे से माल ढुलाई के लिए अपना माल जयपुर या किशनगढ़ भेजना पड़ता है। यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग करेगी। अतः इस परियोजना से समुदाय के सामान्य हित जुड़े हुए हैं।

#### B. परियोजना - स्थिति (Location)

प्रस्तावित परियोजना 116.3876 हेक्टेयर क्षेत्र में रहेगी। जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के अंतर्गत सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, शार्दुलपुरा एवं कन्देवली गाँवों की जमीनें इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएंगी।

#### C. परियोजना का आकार एवं भूमि अधिग्रहण

कॉन्कार की प्रस्तावित MMLP परियोजना के लिए लगभग 116.3876 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहित की जानी है। अधिग्रहण हेतु चिन्हित भूमि में 2.8988 हेक्टेयर भूमि सरकारी एवं 113.4812 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि है, जो कुल भूमि का क्रमशः 2.49 प्रतिशत एवं 97.51 प्रतिशत है।

#### अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का आकलन

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	गाँव का सम्पूर्ण क्षेत्रफल	अधिग्रहण हेतु आवश्यक क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार
1.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	491.3	38.9677	सिंचित
2.			शार्दुलपुरा	431	49.0222	सिंचित
3.			श्योसिंहपुरा	395.8	4.4349	सिंचित
4.			कन्देवली	859	23.9628	सिंचित

#### D. सामाजिक प्रभाव

जब भी कोई विकास परियोजना किसी क्षेत्र में आरम्भ होती है तो उसके विभिन्न प्रभाव परिलक्षित होना अत्यंत स्थाभाविक है। क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय में सम्भावित बदलाव सामाजिक प्रभाव की श्रेणी में आते हैं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन, जीवनशैली, संस्कृति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्थानिक और कल्याण, व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार, आशंकाएँ एवं आकांक्षाएँ आदि प्रभाव सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यह भी स्थाभाविक है कि गतिविधि आरम्भ होने के कुछ समय बाद ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लगेंगे किन्तु तब तक स्थानीय लोगों में नकारात्मक प्रभावों को लेकर आशंकाएँ देखी जा सकती हैं।

भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित परिवारों के प्रभावों की अनुमान, घरेलू सर्वेक्षण, स्वयं रिपोर्ट सूचना, सामूहिक चर्चा, शोधकर्ता के अवलोकन, स्थानीय मुख्य हितधारी व्यक्तियों जैसे- सरपंच, पटवारी व ग्राम सेवक आदि तथा अधिग्रहणकर्ता विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सामाजिक प्रभावों का आकलन किया गया।

एस.आई.ए. द्वारा इन दोनों- सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों के बारें में स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

#### सकारात्मक प्रभाव

रेलवे से माल ढुलाई सत्ती होने के बावजूद भारत में दो तिहाई माल ढुलाई सङ्करण के माध्यम से की जाती है। छोटे आकार के ट्रक/ट्रोले, असंगति वेयर हाउसिंग, संस्थानिक अवरोधों एवं वेयर हाउसिंग बिखरे होने के कारण सूचना तकनीक का उपयोग न हो पाने के कारण लॉजिस्टिक दरों

में वृद्धि, फ्रेट संचालन में अकुशलता स्पष्ट दिखाई देती है। MMLP जैसी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे निम्न समाधान प्रस्तुत करता है-

- माल ढुलाई - एकत्रीकरण एवं वितरण
- बहुल वृत्तियों से माल परिवहन
- समग्रीकृत संग्रहण एवं वेयर हाउसिंग
- सूचना औद्योगिकी सहायता
- मूल्य संवर्धन सेवाएँ

इन समन्वित सेवाओं के केन्द्रीकृत रूप प्राप्त होने से भारत की लॉजिस्टिक सेक्टर की चुनौतियों का सामना करके अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बना जा सकेगा।

प्रतिक्रियाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि परियोजना के निर्माण और संचालन से स्थानीय लोगों और क्षेत्रों पर कई दृष्टियों से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिसमें से उद्धृत कुछ प्रमुख सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं:

- (1) **सस्ती माल ढुलाई:** प्रस्तावित MMLP के बन जाने से आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों को माल ढुलाई के लिए एक सस्ता एवं भरोसेमंद विकल्प मिल जाएगा। लंबी दूरी के मार्गों के लिए रेलवे एक सस्ता पर्याप्त होने के साथ ही ईंधन की कम खपत, ज्यादा माल ढोने की क्षमता, कम प्रदूषणकारी के कारण ज्यादा पसंदीदा साधन है।
- (2) **सड़क मार्ग पर यातायात का बोझ/निर्भरता कम होना:** इस क्षेत्र की माल ढुलाई जो अभी तक मुख्यतः सड़क मार्ग से होती है, वह रेल मार्ग पर स्थानान्तरित हो जायेगी जिससे राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का बोझ कम होगा और लॉजिस्टिक दरें कम होंगी।
- (3) **जिले एवं राज्य का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास:** MMLP के तैयार हो जाने पर सस्ती माल ढुलाई की सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही

माल को जयपुर या किशनगढ़ तक लम्बी दूरी तक भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिससे इस पूरे क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

- (4) **भूमि की कीमत में वृद्धि:** परियोजना के निर्माण के साथ, जिला जयपुर में उक्त राज्य राजमार्ग से सम्बद्ध ग्रामों की भूमि का मूल्य अधिक हो जाने की संभावना है।
- (5) **बेहतर बुनियादी ढांचा:** परियोजना के निर्माण के दौरान कई लोग वहाँ कार्य करने के लिए आयेंगे एवं निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् परिचालन के दौरान MMLP में कार्यस्त लोग स्थायी रूप से वहाँ निवास भी करेंगे जिससे उनकी रोजमर्श की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई और रोजगारों का सूजन होगा जैसे फल सब्जी विक्रेता, पंसारी, नाई, धोबी इत्यादि। इसके अलावा स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इसके अलावा बेहतर सड़क मार्ग भी विकसित होने की संभावना है। इस प्रकार परियोजना के निर्माण से बेहतर बुनियादी ढांचे के मामले में क्षेत्र का समग्र विकास होने की आशा है।
- (6) **संबद्ध आर्थिक गतिविधियां:** विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होनी क्योंकि रेस्टरां, लॉज और अन्य छोटे पैमाने के व्यावसायिक उद्यमों सहित अधिक आतिथ्य केन्द्रों के उभरने और समय के साथ सक्रिय होने की संभावना है।
- (7) **पर्यटन को बढ़ावा:** परियोजना के निर्माण से गाँवों का जिला, अन्य राज्य राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से बेहतर सम्पर्क स्थापित होगा। इससे क्षेत्र में अधिक लोगों के आने से साम्भर लेक जो एक पर्यटन स्थल है उसके और अधिक विकसित होने की संभावना है।

## नकारात्मक प्रभाव

परियोजना के नकारात्मक प्रभावों पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से चर्चा की गई। उनके द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं और परियोजना टीम के आकलन के आधार पर, भूमि के अधिग्रहण से क्षेत्र के लोगों पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है:

- (1) **आजीविका पर प्रभाव (आय से स्रोत का नुकसान):** अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस जमीन के अधिग्रहण से कई परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आय के स्रोत पर असर पड़ेगा। यह उनकी आय का एक स्रोत वैकल्पिक व्यवस्था होने तक के लिए छीन लेगा।
- (2) **भौतिक संसाधनों पर प्रभाव (संपत्ति की हानि):** अधिग्रहण से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति जैसे बिछी हुई पाईप लाईन आदि प्रभावित होंगे।
- (3) **भूमि से भावनात्मक सम्बन्ध:** निर्माण के लिए पहचान की गई भूमि का निजी स्वामित्व प्रभावित लोगों के पास अपनी पैतृक धरोहर के रूप में है। अधिग्रहण उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर करेगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से उन्हें भावनात्मक रूप से पीड़ा का अनुभव करवा सकता है।
- (4) **पर्यावरण पर प्रभाव:** सड़क पर यातायात के प्रवाह में वृद्धि के कारण वायु और धनि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा जैसे कुछ श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ बढ़ना।
- (5) **सुरक्षा के मुद्दे:** यातायात के अधिक प्रवाह एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण ग्रामीणों, विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों को सड़क पार करने में असुविधा उत्पन्न हो सकती है, जो कि कुछ सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।

#### E. सामाजिक समाधान शमन उपाय

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण के संभावित सामाजिक-आर्थिक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया था। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं 2016 के प्रावधानानुसार इस परियोजना के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए अगले चरण में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस.आई.एम.पी.) तैयार की गई है। एस.आई.एम.पी. में प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को समाप्त करने या उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान किए जाने वाले शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों को सम्मिलित किया गया है।

#### आर्थिक प्रभाव- रोजगार के अवसरों की हानि

- राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजे की राशि समय पर एवं एक मुश्त उपलब्ध कराना।
- कृषि भूमि अधिग्रहण से कुछ समय के लिए आय नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना।
- कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना।

**सामाजिक प्रभाव** - भारी वाहनों जैसे ट्रेलर एवं ट्रोलों के आवागमन एवं अधिक यातायात के कारण सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि परियोजना निर्माण के दौरान ग्रामीणों को असुविधा हो सकती है।

- वर्तमान खेत एवं अन्य संपर्क मार्ग हेतु संयोजकता सुनिश्चित की जाये ताकि ग्रामीणों को अपने खेतों में जाने/सङ्क को पार करने व यातायात में सुविधा हो।

- स्कूल के पास जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी स्कूल के समय और यातायात के दौरान सड़क सुरक्षित पार कर सकें।
- परियोजना के निर्माण चरण के दौरान सीधे प्रभावित आबादी की समस्याओं को दूर करने के लिए परियोजना स्थल पर एक सार्वजनिक निवारण तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- परियोजना निर्माण के दौरान सड़क पर वाहनों की गति सीमा संबंधी होर्डिंग लगवाने चाहिए।
- गाँवों में चहुँ और सोलर लाईट्स लगवानी चाहिए जिससे रात के समय यातायात से उत्पन्न सुरक्षा की समस्या से बिपटा जा सकें।
- कन्देवली गाँव में पानी की समस्या के निराकरण हेतु बीसलपुर बांध से जुड़ी पार्श्व पार्श्व लाईन की मरम्मत करवानी चाहिए।

### **पर्यावरणीय प्रभाव**

- परियोजना में सड़क के दोनों और एवं गाँवों में अधिकाधिक पौधारोपण किया जाए।
- वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफ.सीएफ) की जाँच की जानी चाहिए। निर्माण चरण के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए साइट पर नियमित रूप से पानी का छिकाव किया जाए।
- मुख्य सड़कों के चौराहों को चौड़ा एवं सौन्दर्यकृत किया जाना चाहिए।
- क्षेत्र में कुछ पार्कों का निर्माण एवं नियमित रख-रखाव किया जाना चाहिए जिससे प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा सके एवं बच्चों के खेलने की सुविधा भी उपलब्ध हो।
- निर्माण सामग्री और कचरे को परिवहन के दौरान अच्छी तरह से ढका होना चाहिए ताकि रिसाव और फैलाव से बचा जा सके।
- जल निकासी की समुचित व्यवस्था का निर्माण।

## नकारात्मक प्रभावों से बचने, प्रतिकार करने और क्षतिपूर्ति करने के अव्य उपाय

- भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण कई कृषकों ने इसे अपनी माँ से बिछुड़ने समान बताया। जमीन का चाहे जो भी मुआवजा दिया जाये, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति कर पाना असम्भव है अतः एस.आई.ए. टीम यह अनुशंसा करती है कि कृषकों को यथासम्भव अधिक सहायता करके इस टीस को कम किया जाये।
- चूंकि कृषकों की कृषि भूमि का ही अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके घर उसी गाँव में हैं और रहेंगे, कुछ शिष्टाचार पूर्ण कदम जैसे वर्ष में एक बार CONCOR अधिकारियों के साथ कोई कार्यक्रम, कोई मेला इत्यादि आयोजित करना दूर की कौड़ी साबित हो सकते हैं।
- इस लक्ष्य में नगद मुआवजे के साथ ही क्षेत्र में कार्पोरेट सोशल ऐस्पोन्सबिलिटी (CSR) के तहत कई कार्य आरम्भ करने की भी अनुशंसा की जाती है जैसे CONCOR की ओर से विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पुस्तकालय खोलना, पार्क बनवाना, वृक्षारोपण की मुहिम चलाना, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाना, सइको के दोनों और सोलर लाईट लगवाना इत्यादि।
- 2011 की जनगणना के अनुसार प्रभावित चारों गाँवों में घरेलू उद्योग श्रमिकों की संख्या नगण्य है। CSR में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चला कर महिलाओं को एवं युवाओं को प्रशिक्षित करके घरेलू उद्योग की अपार सम्भावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए।
- बेस लाइन सर्वेक्षण में 18 से 45 वर्ष के युवाओं का प्रतिशत कुल जनसंख्या का आधे से भी अधिक पाया गया है, युवाओं के कौशल संवर्धन, उम्र एवं योग्यतानुसार वियोजन से पूरे क्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

- जन सुनवाई के दौरान भू-स्वामियों ने परियोजना के अन्तर्गत शार्दुलपुरा से कन्देवली गाँव का सड़क सम्पर्क आने के कारण घर से खेत आने-जाने की उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करने की आवश्यकता बताई। वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार करके कृषकों को घर से खेत आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करवाने की अनुशंसा की जाती है।
- जन सुनवाई के दौरान कन्देवली गाँव में पानी की समस्या प्रमुखता से उठाई गई। लोगों ने बताया कि बीसलपुर से डाली गई पाईप लाईन जगह-जगह टूटी होने के कारण गाँव को पानी नहीं मिल पा रहा। पाईप लाईन दुरुस्त करा कर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है।
- जब कृषकों को किसी ओर जगह पर भूमि दी जाये तो इस प्रकार के कदम उठाये जायें कि मुकदमेबाजी न्यूनतम हो। चूंकि कई परिवारों में मौखिक बंटवारा पाया गया तो स्थानीय प्रशासन की मदद से ऐसे मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीकों से निपटाने का प्रयास किया जाए।
- प्रभावित खातेदारी में लोग कृषि पर निर्भर हैं। जो भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है उसमें अनुसूचित जाति के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित खातेदारों ने राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु चर्चा करते हुए निम्नलिखित अपेक्षाएँ अभिव्यक्त कीं:
  - वर्तमान बाजार भाव से उचित मुआवजा राशि निश्चित समायावधि में दिलवाना।
  - बी.पी.एल से जोड़ना।
  - खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना।

- प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना। (सरकारी योजना-मनरेगा, श्रमिक योजना इत्यादि)
- स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना।

#### F. सामाजिक लागत एवं लाभ विश्लेषण

इस MMLP परियोजना की कुल लागत लगभग 310 करोड़ रुपये है। भूमि एवं परिस्थितियों के मुआवजे के रूप में देय राशि लगभग 21 करोड़ आँकी गई है किन्तु सामाजिक समाधान शमन हेतु सुझाये गये कई अन्य उपायों को भी लागू करना अपेक्षित है।

परियोजना निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् इसका किशनगढ़, ब्यावर एवं सांभरलेक क्षेत्र के औद्योगिक विकास में कितना योगदान होगा, इसका अनुमान राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित कनकपुरा MMLP के आँकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले वर्ष में कनकपुरा MMLP से 41,000 TEU निर्यात और 29,000 TEU आयात किया गया अर्थात् कुल 70,000 TEU व्यापार किया गया। इतना व्यापार MMLP के माध्यम से होने के कारण न्यून लॉजिस्टिक दरों, सङ्कौपों पर लगने वाले जाम एवं प्रदूषण से बच पाना सम्भव हो पाया। प्रस्तावित MMLP परिचालन से जहाँ किशनगढ़ के मार्बल व्यवसाय, ब्यावर के औद्योगिक उत्पादन एवं सांभरलेक से तैयार नमक को देश के सभी कोनों में नियंत्रित दरों पर पहुँचाना सम्भव होगा, वहीं यह इस क्षेत्र के नये उद्योगों/व्यवसायों की सम्भावनाओं को भी प्रोन्नति प्रदान करेगा। राजस्थान जैसे राज्य जिसमें औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं का दोहन नहीं हो पाने का एक मुख्य कारण यहाँ की कमज़ोर आधारभूत संरचना है, उसमें ऐसी परियोजनाओं के आने से भविष्य में दीर्घावधि तक व्यापार, रोजगार, राजस्थ एवं आर्थिक विकास का वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी।

## अध्याय-1

### परियोजना: पृष्ठभूमि एवं प्रस्तावना

समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गरीबी और बेरोजगारी दूर कर सामाजिक व्याय संगत आर्थिक संवृद्धि आवश्यक है। वहीं देश की आर्थिक संवृद्धि के लिए कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण ही इसे अर्थव्यवस्था की रक्तवाहिनियाँ कहा जाता है। वास्तव में, किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास की कल्पना बुनियादी संरचना के बिना नहीं की जा सकती है। ये अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं उदाहरण के लिए यातायात के साधन कच्चे माल को उत्पादकों तक एवं तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुँचाते हैं। आधारभूत संरचना में विभिन्न सुविधाओं, प्रणालियों एवं संरचनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय, निर्माण, मैन्यूफैक्चरिंग, सेवाओं इत्यादि आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यावश्यक हैं यथा सड़कें, पुल, रेलवे, वित्तीय संस्थाएं, संचार माध्यम आदि।

उत्पादकता बढ़ाने एवं व्यवसायिक गतिविधियों को अबाधित रूप से चलाने के लिए आवश्यक अवसंरचनाएँ पूँजी गहन होने के साथ-साथ बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर निर्भर करती हैं जिनमें पक्कनावधि (gestation period) लम्बी होती है एवं प्रायः लाभ कमाने की प्रेरणा आधारित नहीं होती है। लम्बे समय तक भारी पूँजी अन्तर्वाह पूर्वपिक्षा के साथ-साथ इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना न होने कारण इस सेक्टर में सरकारी क्षेत्र की मौजूदगी अवश्यम्भावी है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (CONCOR) एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है, जो मुख्यतः परिवहन एवं कनेक्टरस् के संचालन/प्रबन्धन का कार्य करती है। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम लगभग 3000 किलोमीटर वाले भारत जैसे विशाल देश के लिए अन्तर्रेशीय

माल वाहन की लगातार बढ़ती माँग की चुनौति को पूरा करने के साथ ही CONCOR लगातार अपनी सेवाओं में विविधता, विस्तार एवं विश्वसनीयता बढ़ाने में सफल रहा है।


### 1.1 कानकॉर: एक परिचय

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) का गठन मार्च, 1988 में हुआ और इसने भारतीय रेल के उस समय विद्यमान 7 अन्तर्रेशीय कंटेनर डिपो को लेकर नवम्बर, 1989 में कार्य करना आरम्भ किया। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड भारत सरकार के रेल मन्त्रालय के अधीन एक नवरूप उपक्रम है। यह एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक कंपनी है। वर्तमान में यह कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन, टर्मिनल ऑपरेशन, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज आदि की सुविधाएं अपने ग्राहकों को प्रदान कर रही है। 400 से अधिक कंटेनर ट्रेनों, एक 61 कंटेनर टर्मिनल (अंतर्रेशीय डिपो एवं आंतरिक डिपो) के साथ इसे अभी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी होने का गौरव प्राप्त है।

अपने नवीनतम रेल वैगन बेडे, ग्राहकोन्मुखी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के बृहद प्रयोग से यह कम्पनी भारत में कंटेनरीकरण के संवर्धन की भूमिका निभा रही है। कंपनी ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक कंटेनरीकरण एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु बहुविध संभारतंत्र विकसित किया है। यद्यपि परिवहन योजना में रेल मार्ग कम्पनी का मुख्य आधार है तथापि ढार तक सेवाओं की पूर्ति हेतु सड़क सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक व्यवसाय से जुड़ी हों।

इस कम्पनी के गठन का उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय एवं आन्तरिक कंटेनरीकृत कार्गो एवं व्यवसाय हेतु बहुविध यातायात संभारतंत्र को बढ़ावा देना था तथा इसका कार्य, यह ध्यान में रखते हुए कि भारतीय रेल के नेटवर्क पर रेल यातायात सुगठित एवं अपेक्षाकृत किफायती विकल्प है, ग्राहकों से रीधे ही सम्पर्क करके 'ढार से ढार तक' सेवा प्रदान करना या जो कि सड़क यातायात का आधार है।

## मानचित्र 1.1: कॉनकार टर्मिनलों का नेटवर्क



अभी भारत में केवल कॉनकॉर ही सामुद्रिक व्यापारियों को रेल मार्ग से कंटेनरीकृत कार्गो हेतु यातायात मुहैया करता है। यद्यपि इसकी यातायात योजना में रेलमार्ग ही मुख्य है तथापि व्यवसायिक माँग तथा परिचालन की तात्कालिक आवश्कताओं के अनुरूप ये कम्पनी सङ्क मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध करते हैं। व्यावसायिक आवश्यकताओं, चाहे वे आयात-निर्यात से संबद्ध हों अथवा आन्तरिक (डोमेस्टिक) से, सभी की पूर्ति हेतु कॉनकॉर पूरे देश में फैले हुए कंटेनर टर्मिनलों का भी संचानल करता है।

## 1.2 परियोजना की पृष्ठभूमि

वर्तमान समय में देश फ्रेट संचालन में भारी माँग का चुनौति का सामना कर रहा है। देश में लॉजिस्टिक कॉर्स्ट, जो इस समय GDP का 16 प्रतिशत है, उसे घटाकर सरकार द्वारा GDP के 09 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य सख्त गया है। इससे निर्यात की लागतों में कमी आने तथा अतंर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं को अपनी कीमत प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलेगी।

इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा नई सङ्कों का निर्माण, सागरमाला परियोजना, गतिशक्ति परियोजना, डेफिकेटेड फ्रेट कॉरिडार (DFC) आदि लाए गए हैं, जिससे सरकार सन् 2024 तक लॉजिस्टिक दर घटाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

फुलेरा तहसील में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) इसी लक्ष्य को पाने की दिशा में एक कदम है। प्रस्तावित MMLP में, अतंर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो, जिसमें सीमा शुल्क परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, के साथ-साथ आतंरिक परिवहन के अन्य मोड, वेयर हाउसिंग, एवं अन्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रस्तावित MMLP के बनने से इस क्षेत्र की माल ढुलाई

जो मुख्यतः सड़क मार्ग पर निर्भर है, वह रेल मार्ग पर परिवर्तित होगा जिससे लॉजिस्टिक दरें कम होंगी।

फुलेरा भारतीय रेल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। साथ ही साथ भारतीय रेल के जयपुर मंडल का यह ट्रेन के परीक्षण का भी सबसे बड़ा केन्द्र है। यही कारण है कि फुलेरा को रेल नगरी भी कहा जाता है। फुलेरा के पास ही डी.एफ.सी. द्वारा व्यु फुलेरा स्टेशन का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित MMLP को व्यु फुलेरा स्टेशन से जोड़ने की योजना है। यह विदित है कि डी.एफ.सी. का निर्माण पूरी तरह माल ढुलाई के लिए किया गया है। यात्री ट्रेनों के डी.एफ.सी. में नहीं होने के कारण मालगाड़ियों को निर्धारित दूरी को तय करने में लगने वाले समय में कमी आई है जिससे न सिर्फ माल ढुलाई की क्षमता में वृद्धि हुई है बल्कि लॉजिस्टिक दर में भी कमी आई है।

प्रस्तावित MMLP के बन जाने से आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों को माल ढुलाई के लिए एक सस्ता एवं भरोसे मंद साधन उपलब्ध होगा। इससे सड़क मार्ग पर उनकी निर्भरता कम होगी। लंबी दूरी के मार्गों के लिए रेलवे की तुलना में सड़क मार्ग से माल ढुलाई आम तौर पर 25 से 30 प्रतिशत अधिक महँगा है। अतः माल ढुलाई के सड़क से रेलवे में शिप्ट होने से ईंधन की कम खपत, ज्यादा माल ढोने की क्षमता, कम प्रदूषण होने के कारण माल ढुलाई की लागत कम होगी।

**निष्कर्षतः** इस परियोजना के आ जाने से इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी मदद मिलेगी। अभी इस क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को रेलवे से माल ढुलाई के लिए अपना माल जयपुर या किशनगढ़ भेजना पड़ता है। यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग करेगी। अतः इस परियोजना से समुदाय के सामान्य हित जुड़े हुए हैं।

### 1.3 परियोजना के चरण, डिजाइन एवं आवश्यक अधीनस्थ अवसंरचना

प्रस्तावित परियोजना को डी.एफ.सी. से जोड़ने की योजना है। इस परियोजना में ट्रेन प्लेसमेंट एवं ट्रेन निकासी के लिए दोनों तरफ से रेल कनेक्टिविटी का प्रावधान रखा गया है। पहले वर्ष में चार रेल लाईनों का यार्ड प्रस्तावित किया गया है। परियोजना के लिए जिस जगह का चयन किया गया है वह स्टेट हाइवे ५७ के निकट है। अतः परियोजना स्थल का स्टेट हाइवे ५७ से चार लेन मार्ग बनाकर कनेक्ट किया जाएगा।

**अतंदेशीय कंटेनर डिपो:** परियोजना में एक अतंदेशीय कंटेनर डिपो प्रस्तावित है, जहाँ आयात-निर्यात के माल कंटेनर को सीमा शुल्क विभाग के परीक्षण एवं मूल्य आकलन के लिए रखा जाएगा। यह एक पूर्णतः कस्टम बॉन्डेड एरिया होगा जिसमें परीक्षण के लिए अलग-अलग आयात वेयर हाउस एवं निर्यात वेयर हाउस होंगे। साथ ही, एक बॉन्डेड वेयर हाउस की युविधा आयातकों के लिए इस परिसर में दी जाएगी। इस कस्टम बॉन्डेड एरिया को चारों तरफ से बाइ/दीवार लगाकर बाकी यार्ड से पृथक किया जाएगा। इस क्षेत्र में कंटेनर की रेल यार्ड से आवाजाही के लिए एक सङ्क मार्ग का निर्माण किया जाएगा।

**आतंरिक कंटेनर यार्ड:** परियोजना में एक अलग आतंरिक कंटेनर यार्ड होगा। इस यार्ड में कॉनकॉर के आंतरिक परिचालन के कंटेनर रखे जाएंगे। यहाँ इन आंतरिक कंटेनरी के भरने/खाली करने के लिए अलग से जगह उपलब्ध होगी।

**रेल यार्ड:** परियोजना में एक रेल यार्ड होगा जहाँ ट्रेन से आने-जाने वाले कंटेनरों की हेण्डलिंग की जाएगी। यहाँ एक बड़ा कंटेनर यार्ड क्षेत्र होगा जहाँ छुलाई के लिए तैयार कंटेनर ट्रेन पर लोडिंग के लिए रखे जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट के कंटेनर तथा खाली कंटेनर रखने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी।

**आंतरिक भंडारण क्षेत्र:** परियोजना में दो तरह के आंतरिक भंडारण क्षेत्र का प्रावधान किया जाएगा। एक कवर्ड आंतरिक भंडारण (Covered Domestic Warehouse) एवं एक खुला आंतरिक भंडारण क्षेत्र (Open Warehouse), जरूरत एवं मांग के अनुसार इनकी संख्या को बढ़ाने का भी प्रावधान रखा जाएगा।

**ट्रक/ट्रैलर पार्किंग:** कार्गो/कंटेनर को लेकर आने-जाने वाले वाहनों के लिए एक अलग पार्किंग क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी जिससे वाहन चालक अपने वाहन सुरक्षित पार्क कर सकें एवं प्रस्तावित MMLP के बाहर कोई जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

**प्रशासनिक भवन:** परिसर में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बैठने एवं कार्य करने के लिए एक प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाएगा।

**परिसर:** परिसर में वाहनों/ट्रक/ट्रैलर के आवागमन को वियंत्रित करने के लिए गेट परिसर का प्रत्येक केन्द्र की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त स्थान पर प्रदान किया जाएगा। कस्टम बॉन्डेड एरिया के लिए अलग-अलग गेट परिसर, आंतरिक कर्टेनर यार्ड के लिए अलग गेट परिसर, रेल यार्ड के लिए अलग गेट परिसर एवं प्रशासनिक भवन एवं अन्य सेवा भवनों के लिए अलग गेट परिसर होगा।


#### 1.4 प्रस्तावित परियोजना की विशेषताएँ

प्रस्तावित परियोजना 116.3876 हेक्टेयर क्षेत्र में रहेगी। जयपुर जिले के फुलेरा तहसील के अंतर्गत सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, शर्दुलपुरा एवं कंदेवली गाँवों की जमीनें इस परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाएगी। प्रथम चरण में चार रेल लाईन बिछाई जाएगी। परियोजना के पूर्ण होने पर एवं पूरी तरह से कार्यरत होने पर प्रतिदिन यहाँ से 8-10 ट्रेनों की माल ढुलाई एवं 10 लाख टन प्रति वर्ष तक की हेण्डलिंग क्षमता (Capacity) अनुमानित है।

Table 1.1: प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं

क्र.सं.	विवरण	वर्णन
1.	प्रभावित क्षेत्रफल	116.3876 हेक्टेयर
2.	स्थान	राजस्थान, जयपुर जिले के सांभर सॉल्ट लेक तहसील के सामलपुरा, कन्देवली, शार्दुलपुरा और श्योसिंहपुरा गाँवों में फैला हुआ है।
3.	भूमि की वर्तमान स्थिति	सरकारी राजस्व भूमि 02.8988 हेक्टेयर, निजी राजस्व भूमि 113.4812 हेक्टेयर
4.	निकटतम राजमार्ग (किमी में)	दक्षिण दिशा में राजमार्ग नंबर 57 - 06 किलोमीटर
5.	निकटतम रेलवे स्टेशन	न्यू फुलेरा जंक्शन, फुलेरा - 05 किलोमीटर
6.	निकटतम हवाई अड्डा	जयपुर, 70 किलोमीटर
7.	पर्यटन स्थल	10 किलोमीटर त्रिज्या के भीतर सांभर सॉल्ट लेक।
8.	पुरातत्व महत्व के स्थान	15 किलोमीटर त्रिज्या के भीतर कोई पुरातत्व महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।
9.	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व) के अनुसार संरक्षित क्षेत्र	15 किलोमीटर त्रिज्या के भीतर शून्य।
10.	खदान पट्टा सीमा से 10 किलोमीटर के त्रिज्या के भीतर आरक्षित चन	10 किलोमीटर के दायरे में शून्य।
11.	नदियाँ / झीलें	सांभर सॉल्ट लेक - उत्तर-पश्चिम - 10 किलोमीटर
12.	भूकंपीय क्षेत्र	आईएस - 1893 (भाग-1) - 2002 के अनुसार जोन - II

## मानचित्र 1.2: परियोजना की स्थिति (Location)



## अध्याय-2

### विशेषज्ञ समूहः संरचना, दृष्टिकोण एवं कार्यविधि

किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु योजना निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना गया है। MMLP के निर्माण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए फूलेरा तहसील की तीन ग्राम पंचायतों के चार गाँवों सामलपुरा, सार्दुलपुरा, श्योसिंहपुरा और कन्देवली की कुल 116.3876 हेक्टेयर की जमीन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित है। R&R अध्ययन प्रयोजन हेतु सामाजिक विशेषज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ एवं तकनीकी विशेषज्ञ दल का संस्थान स्तर पर गठन किया गया।

#### 2.1 एस.आई.ए. विशेषज्ञ समूह का गठन

कार्यालय आदेश प(3) उद्योग/1/2017 दिनांकित 19 दिसम्बर, 2022 के अनुसार परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एस.आई.ए. कार्य के लिए एक पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समूह को कार्य की जिम्मेदारी दी गई। विशेषज्ञ समूह छारा जिम्मेदार, विषय के जानकार एवं विषय विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक टीम बनाई गई। उन्हें सूचनाओं के संग्रहण का कार्य दिया गया। निम्न व्यक्तियों की सूची है जो सूचनाओं के संग्रहण, सारणीकरण और रिपोर्ट तैयार करने में शामिल थे। एस.आई.ए. की आवश्यकता के मुताबिक, टीम के प्रत्येक सदस्य की अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोध अध्ययनों के अनुभव हैं।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पद / व्यवसाय	लिंग
1.	प्रो. अल्पना कटेजा	प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय	महिला
2.	श्री रामदयश चौबे	एस.आई.ए. कन्सल्टेंट	पुरुष
3.	श्री सुरेश चन्द शर्मा	सामाजिक कार्यकर्ता	पुरुष
4.	श्री सत्यकर शर्मा	सामाजिक कार्यकर्ता	पुरुष
5.	श्री रोशन कुमारवत	सर्वेक्षण कर्ता	पुरुष
6.	श्री सुरेन्द्र चौधरी	सर्वेक्षण कर्ता	पुरुष
7.	श्री सुरेश चौधरी	सर्वेक्षण कर्ता	पुरुष


## 2.2 सामाजिक समाधात आकलन अध्ययन समूह का दृष्टिकोण

सामाजिक समाधात आकलन अध्ययन (एसआईए) एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो परियोजना निर्माण के साथ ही प्रभावित लोगों के दृष्टिकोण के अध्ययन में मदद करती है। सामाजिक समाधात प्रभाव का आकलन संगठनों को बेहतर योजना बनाने, और प्रभावी ढंग से लागू करने और उचित पैमाने पर कार्य करने लिए सफलतापूर्वक पहल करने में सहायता करता है। आकलन जवाबदेही की सुविधा देता है, हितधारक संचार का समर्थन करता है, और विशेषकर सामाजिक प्रभाव राहत योजना की तैयारी के लिए एस.आई.ए. संबंधित ग्राम पंचायतों के परामर्श से दुर्लभ संसाधनों के आवंटन में सहायता करता है। प्रभावित क्षेत्रों में गांव द्वारा पर सार्वजनिक सुनवाई की तिथि और समय के बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार करके प्रभावित परिवारों के विचारों को दर्ज किया जाता है। एस.आई.ए. को परियोजना प्रभावित परिवारों (पी.ए.एफ.) के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, पी.आर.ए., एफ.जी.डी. के रूप में किया जाता है जो कि परियोजना प्रेरित विस्थापन का सामना करने वाले लोगों और समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करता है। इसके अतिरिक्त, इस तरह प्राप्त डेटा का उपयोग कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ राहत कार्य क्रियान्वयन को भी सरकार की निगरानी में किया जाता है। अध्ययन के आंकड़ों को संकलित करने के लिए कई ग्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की सहायता ली जाती है। परियोजना के अन्तर्गत विस्थापन का सामना करने वाले लोग/किसान/परिवार और समुदायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान कर उनके जीवनयापन हेतु आवश्यक सुझाव देना तथा बकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों के शमन हेतु (एस आई एम पी) तैयार किया जाता है।

### 2.2.1 समाजात प्रभाव आकलन विधा

सामाजिक समाजात आकलन अध्ययन में आम तौर पर आंकड़ों के संग्रहण पद्धतियों में परिमाणात्मक और गुणात्मक विधियों का प्रयोग सम्मिलित है। मूल विश्लेषणात्मक उपकरणों के अलावा एस.आई.ए. सहभागिता के तरीकों का उपयोग करता है जो परियोजना कार्य की बेहतर समझ में योगदान करते हैं तथा परियोजना के हितधारकों के रूप में स्वत्व (ownership) को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। उपकरण और विधियों का विकल्प कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे MMLP निर्माण से प्रभावित लोगों की जमीन, पाईप लाइन, फलदार पेड़, सामान्य पेड़ या कोई अन्य प्रकार की संरचना जोकि व्यक्ति या परिवार के लिए उपयोगी है या उपयोग में ली जा रही है उनका मूल्यांकन इत्यादि।

Fig. 2.1: आकड़े संग्रहण की विधियाँ



सामाजिक समाधान अध्ययन की पद्धति की स्पष्टता महत्त्वपूर्ण है। उस. आई.ए. में इकाइयों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से परिवारों, घरों में व्यक्तियों, शिक्षा, रोजगार एवं आय के बारे में जानकारी संकलित करते हैं। घरेलू इकाई का उपयोग आमतौर पर पुनर्वास योजना के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। एकल परिवार, संयुक्त परिवार या गैर सम्बन्धित सदस्यों सहित एक इकाई शामिल हो सकती है। प्रभावों की लिंगीय प्रकृति पर हमेशा विचार करना महत्त्वपूर्ण है।

सामाजिक समाधान आकलन अध्ययन करने के उद्देश्य के लिए सामाजिक आर्थिक सूचनाएँ एकत्र करने के कई तरीके हैं। आमतौर पर इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली निम्न विधियाँ इसमें शामिल हैं।

### **परिमाणात्मक विधियाँ (Quantitative Methods)**

- भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण
- जनगणना सर्वेक्षण
- सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण
- अन्य प्रशासनिक राजस्व रिकॉर्ड

### **गुणात्मक तरीके (Qualitative Method)**

- साक्षात्कार
- फोकस्ट्रु ग्रुप डिस्कशन (एफ.जी.डी.)
- रेपिड मूल्यांकन
- ग्राम बैठक
- महिला बैठक
- सार्वजनिक जन सुनवाई

## सामाजिक समाधान हेतु प्राथमिक स्तरीय सूचना संकलन विधा

- (क) **साक्षात्कार** - एक प्रश्नावली जो परियोजना शुरू करने से पहले आधारभूत स्थितियों को जानने एवं समझने में सहायता करती है। प्रश्नों में सामाजिक आर्थिक स्थिति (धर्म, जाति, परिवार आकार, शिक्षा, कौशल, व्यवसाय और आय) के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह प्रश्नावली सरल भाषा में एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर केन्द्रित होती है।
- (ख) **फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन्स (एफ.जी.डी.)** : एफ.जी.डी. में एक या एक से अधिक शोधकर्ता जांच के जरिए एक समूह चर्चा का मार्गदर्शन करते हैं। समूह सदस्यों को विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस समूह में प्रतिभागियों द्वारा मुद्दों पर चर्चा की जाती है। शोधकर्ता द्वारा समूह के प्रतिभागियों से मुद्दों, मुख्य विषय के बारे में सामान्य चर्चाएँ की जाती हैं एवं लोगों की सक्रिय एवं सहयोगात्मक भागीदारी हो, इसके लिए प्रेरित किया जाता है एवं उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। एफ.जी.डी. के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ भी संकलित की जाती हैं ताकि लोगों की स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों आदि का आकलन किया जा सके।
- (ग) **रेपिड मूल्यांकन:** कभी-कभी 'रेपिड मूल्यांकन' (कई अलग-अलग नामों से ज्ञात) के रूप में जाना जाने वाला दृष्टिकोण मूल्यवान हो सकता है। यह कम लागत वाली विधि महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ गहराई से साक्षात्कार पर आधारित है, जिसमें पता लगाने वाले मुद्दों के बारे में ज्ञात होता है। समुदाय में प्रासंगिक समूहों के प्रतिनिधियों के साथ सेकेन्डरी डेटा और समूह साक्षात्कार के विश्लेषण में गहराई में मदद करता है।

- (घ) **ग्राम बैठक:** ग्राम बैठक वह घोट है जहां पर सूचनाओं के संकलन एवं बाधाओं को ज्ञात करने में आसानी रहती है। कई बार प्रभावित भू-स्थानी अपनी बात को कहने बताने में सक्षम नहीं होता है तब गांव के अन्य समझदार एवं सक्षम व्यक्ति उनकी बातों को अभिव्यक्त करने में मददगार साबित होते हैं। ग्राम स्तरीय समस्याओं का आकलन भी आसानी से हो पाता है क्योंकि सभी लोग सकारात्मक होकर भागीदारी निभाते हैं। कई बार असामान्य स्थिति में ग्राम बैठक कर लोगों की राय जानना परियोजना के हित में होता है।
- (इ) **महिला बैठक:** किसी भी परिवार के विकास एवं सम्पन्नता में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं की भागीदारी एवं उनके परिवार पर भू अर्जन के प्रभाव किस प्रकार के होंगे या उनके परिवार को कितना प्रभावित करेगा, सभी जानना अनिवार्य है। महिला बैठक में उनकी राय लेते हुए उनके सुझावों को भी संकलित किया जाता है जो कि प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए राहत कार्य में मददगार होंगे।
- (ब) **सार्वजनिक जन सुनवाई:** टीम पहले परियोजना और इसके संभावित प्रभावों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, का वर्णन करती है और फिर सभी मुद्दों पर खुली चर्चा की अनुमति देती है। जन सुनवाई के दौरान लोग अपनी समस्याएँ भू-अवाप्ति अधिकारी के सम्मुख रखते हैं जिन्हें अंतिम प्रतिवेदन में इन मुद्दों को जोड़ा जाता है, ताकि सरकार क्षतिपूर्ति/मुआवजे की कार्यवाही करते समय प्रभावित लोगों को राहत प्रदान कर सकें। यह माना जाता है कि लोगों को अक्सर परियोजना और इसकी प्रभावों के बारे में सही एवं तथ्यात्मक प्रतिक्रिया मिलती है जो किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए उपयोगी एवं बेहतर साबित होती है।

## II. संख्यात्मक विधियाँ

- (क) **भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण** - यह भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में सरकारी भूमि अभिलेख, उपयोग के नवशे, सांख्यिकीय जानकारी और मौजूदा कानून और प्रशासनिक अभ्यास एकत्रित करके सूचनाएँ तैयार की जाती हैं। आमतौर पर, भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण में केवल भूमि वाले, कानूनी शीर्षक वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। गैर-शीर्षक वाले व्यक्ति (शेयर धारक, किरायेदारों, अनौपचारिक निवास) शामिल नहीं होते। इसे अक्सर प्रभावित व्यक्तियों की “अधिकारिक” सूची के रूप में जाना जाता है। जो सरकारी उपलब्ध खातेदारी रिकॉर्ड के आधार पर जमीन का आकलन किया जाता है। सर्वेक्षण के दौरान प्रभावित परिवारों की भूमि की जानकारी खातेदारी रिकॉर्ड के अनुसार संकलित की जाती है।
- (ख) **जनगणना सर्वेक्षण:** यह सबसे महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है, क्योंकि यह उन लोगों की सटीक संख्या निर्धारित करने में मदद करता है जिन पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव होंगे। जनगणना सर्वेक्षण का उद्देश्य सभी प्रभावित व्यक्तियों और संपत्तियों की एक सूची तैयार करना है, जो निम्न है :
- परियोजना क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण
  - सभी प्रभावित संपत्ति की जानकारी
  - सभी प्रभावित व्यक्ति के आय का रूठर और रक्तोत, और उन पर परियोजना का असर सर्वेक्षण में खातेदारी रिकॉर्ड अनुसार संगठन ने डेटा संग्रहण के लिए घर को मूल इकाई के रूप में माना जाता है।
- (ग) **सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण:** यह अध्ययन प्रभावित जनसंख्या के महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर होने वाले प्रभावों के बारें में जानकारी प्रदान करता है। इसमें शामिल हैं:

जनसांख्यिकीय विवरण (पारिवारिक आकार, लिंग अनुपात, साक्षरता/शिक्षा स्तर, जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, आयु वर्ग और कमज़ोर समूहों की आबादी) सामाजिक आर्थिक उत्पादन प्रणाली, आय के स्रोत, महिलाएं आर्थिक गतिविधियों और आय, पैतृक संपत्ति प्रावधान, परम्पराओं, स्वास्थ्य और पोषण के स्तर आदि।

### 2.2.3 अध्ययन की सीमाएँ

संख्यात्मक डेटा संग्रह पद्धति की भी सीमाएँ हैं, जैसे नमूने की पर्याप्तता, उत्तरदाताओं का सहयोग, टीम का अनुभव इत्यादि कई बार क्षेत्र में परिस्थितियां विपरीत होने के कारण, कुछ लोगों की असहमति/असहयोग के कारण एवं कुछ हितधारकों के अनुपरियति के कारण उनके विचारों एवं सूचनाओं का संग्रहण नहीं किया जा सकता है।

## 2.3 सामाजिक समाधान आकलन की अध्ययन (एस.आई.ए) कार्यविधि

एस.आई.ए. टीम ने साईट पर नक्शे को सत्यापित करने और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए साईट का दौरा किया। क्षेत्र की पहचान करने के बाद, सर्वेक्षण दल ने परियोजना स्थल पर मुखिया और स्थानीय व्यक्तियों से परामर्श किया एवं भूमि अधिग्रहण पर उनके दृष्टिकोण और विचारों को जानने के लिए ग्रामीणों के साथ एफ.जी.डी. बैठक आयोजित की। सर्वेक्षण दल ने उन हितधारकों के साथ बैठक भी आयोजित की जो प्रभावित हैं और उनकी गणना की गई। परियोजना के बारे में जानकारी और सर्वेक्षण प्रक्रिया उनके साथ साझा की गई।

सामाजिक समाधान आकलन अध्ययन के दौरान विशेषज्ञों ने जन समुदाय/ ग्रामीण जन को प्रेरित कर MMLP निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के बारे गांव में प्रभावित भू-स्वामियों से राय जानी एवं सामाजिक तौर पर भू-स्वामी इस योजना से किस प्रकार एवं कितना प्रभावित होगा, का आकलन किया (राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वारा और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 अनुसार)।



### 2.3.1 सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए.)

पी.आर.ए. के माध्यम से लोगों से योजना एवं भू-अवाप्ति के संदर्भ में विचार जानने का प्रयास किया गया। ग्राम विकास को लेकर गांव की समस्या एवं समाधान दूल के माध्यम से एक अभ्यास गांव के कुछ लोगों के साथ आरम्भ किया गया। लोगों की भागीदारी के साथ धीरे-धीरे संख्या भी बढ़ने लगी। पी.आर.ए. अभ्यास के दौरान ग्राम स्तरीय मुद्दों पर लोगों द्वारा विचार रखे गये। स्थानीय लोगों को बताया गया कि कॉन्कार भारत की नवरत्नों में सम्मिलित अत्यंत प्रतिष्ठित संस्थान है जिसके अन्तर्गत यहाँ MMLP की स्थापना से स्थानीय लोगों एवं गाँवों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कई लाभ होंगे। परियोजना के संचालन एवं क्रियाव्ययन को लेकर गाँवों के आधे लोगों का रवैया सकारात्मक पाया गया, वहीं कुछ लोग भूमि अधिग्रहण के पक्ष में नहीं पाये गये।

पी.आर.ए. अभ्यास के दौरान जन प्रेरणा का प्रयास किया गया। सबसे पहले दिनांक फरवरी 14, 2023 को पूरे गाँवों में घूमकर मौका मुआयना किया गया फिर SDM कार्यालय जा कर स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क किया गया। तत्पश्चात् अगले दिन यानि फरवरी 15, 2023 को सभी ग्रामवासियों को बुलाकर शार्दुलपुरा ग्राम पंचायत में समूह बैठक एवं चर्चा की गई। सभी उपस्थित ग्रामीण जन को पी.आर.ए. अभ्यास से जुड़ने के लिए उत्प्रेरित किया गया। सभी उपस्थित ग्रामीण जन ने अपने अपने मत सुझाव के रूप में रखे। लोगों का यह मानना था कि भूमि का अधिग्रहण क्षेत्र में विकास हेतु जरूरी है किन्तु उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा समाधात प्रभाव निवारण हेतु शमन योजना बनाई जानी चाहिये एवं लोगों के समक्ष खुलासा करना चाहिये ताकि प्रभावित लोग राहत महसूस कर सकें। इसका प्रमुख कारण यह है कि भूमि का अधिग्रहण सूक्ष्म स्तर पर किया जा रहा है। इस भूमि अधिग्रहण से 261 भू-स्वामी प्रभावित होंगे।

### 2.3.2 जानकारी एकत्रीकरण की प्रक्रिया

जमीन अधिग्रहण हेतु सामाजिक समाधात आकलन के दौरान ग्राम स्तरीय जानकारी एकत्र करने हेतु बैठक के लिए लोगों को सूचित दिनांक 14 फरवरी 2023 को किया गया। लोगों की राय से बैठक आयोजन हेतु स्थान चयन किया गया ताकि लोग बिना किसी रुकावट या परेशानी के एक स्थान पर एकत्र हो सकें। परियोजना कार्य को लेकर किस प्रकार की बाधाएँ हैं सभी का 15 फरवरी को नियत स्थान पर बैठक में आकलन किया गया। बैठक में MMLP की स्थापना के सफल क्रियान्वयन हेतु बुनियादी सवालों के सन्दर्भ में समुदाय की राय, युझावों को साझा कर लिपिबद्ध किया गया।

- (क) **खुला संवाद एवं सुझाव सत्र :** बैठक में उपस्थित भू-स्वामी/लोगों को अपने मत रखने का अवसर प्रदान किया गया जो परियोजना कार्य से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इस सत्र का सीधा सीधा फायदा यह हुआ कि बिना किसी दबाव के एवं खेच्छा से सबने अपने मन की बात स्झी। उपस्थित किसानों/भू-स्वामियों ने मुआवजे हेतु मांग की एवं कार्य में सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। गांवों के लोग मुआवजा राशि को लेकर कुछ असमंजस में देखे गये। मुआवजा राशि कितनी मिलेगी, कितने दिनों में मिलेगी जैसे बहुत सारे सवाल उनके द्वारा किये गये। उपस्थित लोगों को बताया गया कि यह (एस.आई.ए.) वर्तमान में कानूनी प्रक्रिया का भाग है एवं इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात् लोगों को समय पर एवं नियमानुसार उचित मुआवजा राशि की जानकारी दी जायेगी।
- (ख) **परियोजना क्रियान्वयन पर जनमत :** MMLP निर्माण कार्य को सभी ने जरूरी बताया लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार थे जिनकी अधिक जमीन अवाप्त की जा रही है वे सहमत तो हैं लेकिन भू अवाप्ति को लेकर कहीं ना कहीं मन में पीड़ा (तकलीफ) भी है ऐसा लोगों से चर्चा के दौरान महसूस किया गया।

(ग) भू-स्वामी/ किसान और ग्रामीणों की भागीदारी एवं भूमिका: सामाजिक समाधात अध्ययन के दौरान गांव के लोगों, महिलाओं, गणमान्य व्यक्तियों सभी से अलग अलग समूह में खुली चर्चा एवं संवाद किया गया जिसमें चर्चा की गई कि किसी व्यक्ति, समाज, धरोहर को कितनी क्षति हो रही है एवं किस स्तर तक क्षति का बहन किया जा सकता है या फिर इसकी भरपाई कितना किया जाना चाहिये जिससे कि प्रभावित भू-स्वामी को राहत/क्षतिपूर्ति की जा सके एवं उस पर वह कार्य करने की रजामन्दी प्रदान कर दे। बैठक में सभी उपस्थित किसानों, भू-स्वामियों और ग्रामीणों की भावनाओं का पूरा सम्मान किया गया। भूमि अधिग्रहण को लेकर लोगों ने अपनी राय प्रस्तुत की जिसे लोगों की मांग/राय के रूप सम्मिलित किया गया है।

## 2.4 एस.आई.ए. अनुसूची

Table : 2.1 ग्राम स्तर पर एस.आई.ए. अन्तर्गत गतिविधियों की अनुसूची

क्र.सं.	विवरणी	दिनांक
1.	ग्राम चर्चा एवं स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क	फरवरी 14, 2023
2.	समूह बैठक / चर्चा	फरवरी 15, 2023
3.	पी.आर.ए., एफ.जी.डी.	फरवरी 15-17, 2023
4.	सर्वेक्षण	मार्च 01-20, 2023
5.	जनसुनवाई कार्यक्रम	अप्रैल 13, 2023

## अध्याय - 3

### भूमि आकलन

कॉन्कार्न की प्रस्तावित MMLP परियोजना के लिए जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के अन्तर्गत सामलपुरा, शार्दुलपुरा, श्योसिंहपुरा और कन्देवली की लगभग 116.38 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहित की जानी है। अधिग्रहण हेतु चिन्हित भूमि में 2.8988 हेक्टेयर भूमि सरकारी एवं 113.4812 हेक्टेयर निजी कृषि भूमि है (Table 3.1) जो कुल भूमि का क्रमशः 2.49 प्रतिशत एवं 97.51 प्रतिशत है।

#### 3.1 प्रस्तावित परियोजना का वर्तमान भूमि-उपयोग

Table 3.1: प्रस्तावित परियोजना का वर्तमान भूमि-उपयोग

भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
निजी भूमि	113.4812
सरकारी भूमि	2.8988
कुल भूमि	116.38


Table 3.2: अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का आकलन

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	गाँव का सम्पूर्ण क्षेत्रफल	अधिग्रहण हेतु आवश्यक क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार
1.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	491.3	38.9677	सिंचित
2.			शार्दुलपुरा	431	49.0222	
3.			श्योसिंहपुरा	395.8	4.4349	
4.			कन्देवली	859	23.9628	


अधिग्रहित की जाने वाली भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है एवं समस्त भूमि सिंचित है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत कोई संरचना नहीं आती है।

### 3.2 ભૂમિ ઉપયોગ વિન્યાસ (પૈઠની)

Fig. 3.1: Land Use (in Hectares)



### मानचित्र ३.२: टोपोशीट पर परियोजना क्षेत्र (SITE)



### 3.3 ग्रामवार / खसरावार भूमि का विवरण

Table 3.3: ग्रामवार/खसरावार भूमि का विवरण

सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु निर्दिष्ट भूमि की अनुसूची							
क्र. सं.	जिला	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	खाता सं.	भूमि का क्षेत्रफल (डिकट्यर में)	भूमि का वर्गीकरण
1.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	135	119	0.7889	बारानी 1
2.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	136	119	1.5702	बारानी 1
3.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	138	126	0.0011	बारानी 1
4.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	139	126	0.3414	बारानी 1
5.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	140	126	0.5312	बारानी 1
6.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	141/1	165	0.5554	गै.मु.रेलवे
7.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	151	35	1.1133	बारानी 1
8.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	343	104	1.2095	बारानी 1
9.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	358	1	0.0898	गै.मु.रास्ता
10.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	355/1	37	0.4908	बारानी 1
11.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	356	1	0.0136	गै.मु.चाह
12.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	357	20	0.2303	बारानी 1
13.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	372	92	0.0875	बारानी 2
14.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	373	25	0.0037	बारानी 1
15.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	378	1	0.3484	रास्ता
16.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	359	1	0.0691	गै.मु.रास्ता
17.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	389	3	0.3416	बारानी 1
18.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	388	126	0.0937	बारानी 1
19.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	386	137	0.3643	बारानी 1
20.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	385	92	0.552	बारानी 1
21.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	390	102	4.9177	बारानी 1
22.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	391	25	1.9626	बारानी 1
23.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	394	92	0.4305	बारानी 1, चाही 2,

							जाव 2
24.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	395	158	0.9727	बारानी 1
25.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	396	92	2.3565	बारानी 1
26.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	397	92	3.2873	बारानी 2
27.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	398	108	1.4572	बारानी 1
28.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	399	99	1.0082	बारानी 1
29.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	400	99	0.5525	बारानी 1
30.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	401	108	2.5879	बारानी 2
31.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	402	107	1.6897	बारानी 2
32.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	403	108	0.1088	गै.मु.खड़ा
33.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	404	108	0.0523	गै.मु.खड़ा
34.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	405	108	3.5193	बारानी 1
35.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	406	108	0.6074	बारानी 1
36.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	407	99	1.1864	बारानी 1
37.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	408	1	0.0326	गै.मु.चाह
38.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	409	108	2.0221	बारानी 1
39.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	410	108	1.1094	बारानी 1
40.	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	411	108	0.3108	बारानी 1
41.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	300	157	0.6846	बारानी 2
42.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	301	28	0.4695	बारानी 2
43.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	19	44	1.3923	बारानी 2
44.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	18	44	0.7434	बारानी 2
45.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	17	44	0.7702	बारानी 2
46.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	16	44	0.6724	बारानी 2
47.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	15	44	0.7351	बारानी 2
48.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	13	44	0.4566	बारानी 2
49.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	12	1	0.1405	रास्ता
50.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	309	1	0.3286	रास्ता
51.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	310	208	0.0308	बारानी 1
52.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	11	143	0.0244	बारानी 2

53.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	4	150	1.1481	बंजड 1
54.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	308	133	0.6780	बारानी 2
55.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	307	1	0.2408	गै.मु.टीवा
56.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	306	217	1.5726	बारानी 2
57.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	305	92	0.7295	बारानी 2
58.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	304	182	0.8082	बारानी 2
59.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	230	9	0.0161	बारानी 1
60.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	323	91	3.2550	बारानी 2
61.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	325	106	0.0933	बारानी 2
62.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	279	172	0.2715	बारानी 2
63.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	278	172	0.3182	बारानी 2
64.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	288	196	0.2366	बारानी 2
65.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	320	92	0.4905	बारानी 2
66.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	321	92	0.5684	बारानी 2
67.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	318	92	1.0044	बारानी 2
68.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	319	181	0.3847	बारानी 2
69.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	311	202	0.3197	बारानी 2
70.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	312	203	2.2210	बारानी 2
71.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	316	92	1.2373	बारानी 2
72.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	315	152	0.7487	बारानी 2
73.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	314	181	0.7281	बारानी 2
74.	जयपुर	फुलेरा	कंदेवली	313	66	0.4437	बारानी 2
75.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	116	71	0.9101	बारानी 2
76.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	117/1	99	2.9862	बारानी 2
77.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	158/1	114	0.7355	बंजड 1
78.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	147	1	0.3377	गै.मु.रास्ता
79.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	159	118	2.1220	बारानी 2
80.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	157	114	1.5605	बारानी 2
81.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	148	11	0.0045	बारानी 1
82.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	156	114	1.5629	बारानी 1

83.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	160	120	1.2772	बंजड 1
84.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	161	120	1.3628	बारानी 2
85.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	162	120	1.7143	बंजड 1
86.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	163	30	0.9326	बंजड 1
87.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	164	118	2.2095	बारानी 1
88.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	165	118	0.6606	बारानी 1
89.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	166	118	0.5048	बारानी 1
90.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	167	17	0.5707	बारानी 1
91.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	168	48	1.4312	बारानी 1
92.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	169	76	1.6648	बारानी 1
93.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	170	17	1.0406	बारानी 1
94.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	171	76	2.7341	बारानी 1
95.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	172	96	1.4056	बारानी 1
96.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	173	17	1.6295	बारानी 1
97.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	174	17	0.5370	बारानी A
98.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	176	17	0.7262	बारानी A
99.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	177	17	0.0663	गै.मु.चाह
100.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	178	17	1.0096	बारानी A
101.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	179	17	1.0262	बारानी 1
102.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	180	21	1.2470	बारानी A
103.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	181	114	0.6707	बारानी 1
104.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	182/1	114	2.4277	बारानी 1
105.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	183	114	0.1238	बंजड 1
106.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	185/1 & 185/2	118 & 114	0.2798	बारानी 1
107.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	186	114	0.3559	बारानी A
108.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	187	118	0.0140	बारानी A
109.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	175	17	1.0057	बारानी A
110.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	329	87	0.0445	जाव 2
111.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	330	1	0.0134	गै.मु.रास्ता

112.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	334	17	0.2252	बारानी A
113.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	335	1	0.0251	गै.मु.रास्ता
114.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	336	17	0.1113	गै.मु.चाह
115.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	337	17	0.2064	गै.मु.आबादी
116.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	340	17	0.6604	बारानी 1
117.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	341	17	2.1612	बंजड 1
118.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	339	17	0.3036	बारानी A
119.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	345/1	27		
120.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	345/2	136	2.1237	बारानी 1
121.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	361	27, 136	1.8363	बारानी A
122.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	362	27, 136	0.6781	बारानी A
123.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	342	17	0.2100	बारानी A
124.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	317	120	0.1729	जाव 2 बारानी 1
125.	जयपुर	फुलेरा	शार्दुलपुरा	343	16	0.9503	बारानी 1
126.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	344	1	0.3818	गै.मु.रास्ता
127.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	298	146	0.0704	बारानी 1
128.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	297	146	0.015	बारानी 1
129.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	294	168	1.4206	बारानी 1
130.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	293	36	0.5522	बंजड 1
131.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	292	216	0.0445	बंजड 1
132.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	70	126	0.4701	बारानी 1
133.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	271	85	0.0622	बारानी 2
134.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	272	1	0.0139	गै.मु.चाह
135.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	261	1	0.5212	गै.मु.रास्ता
136.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	273	85	0.6922	बारानी 1
137.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	274	85	0.0549	बारानी 1
138.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	269	85	0.4070	बारानी 1
139.	जयपुर	फुलेरा	श्योसिंहपुरा	251	85	0.1811	बारानी 1
कुल योग						116. 3876	

## अध्याय-4

### प्रभावित परिवारों की सम्पति का आकलन और गणना

फुलेरा तहसील में कॉन्कॉर ढारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कुल 116.38 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जिसमें चार गाँवों की मुख्यतः निजी कृषि भूमि है। प्रस्तावित परियोजना स्थल पर कोई संरचना नहीं पाई गई। अधिकांश पी.ए.एफ. के पास आनुवांशिकता के आधार पर जमीन है जबकि कुछ ने जमीन खरीदी है। भूमि के स्वामित्व के बारे में जानकारी राजस्व विभाग के एकत्र की गई थी और पी.ए.एफ. से प्राथमिक सर्वेक्षण में सत्यापित भी की गई।

#### 4.1 सीधे सम्पर्क किये गये भूमि स्वामियों का विवरण

Table 4.1: सीधे सम्पर्क किये गये भूमि स्वामियों का विवरण

SR. NO.	OWNERSHIP DETAILS	Misc. Details
1-19	<p>1. गंगाराम पुत्र बोटु हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>2. गणेशलाल पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p> <p>3. गोपी पुत्री रामदेव हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>4. गोरधन पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>5. जीवन पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>6. नन्दूदेवी पुत्री रामकरण हिस्सा- 1/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>7. नारायणीदेवी पत्नि हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p> <p>8. प्रेमदेवी पुत्री हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p> <p>9. बन्ना पुत्र बोटु हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा फुलेरा</p> <p>10. भंवरलाल पुत्र हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p>	<p>Village Samalpura Plot No. 391 Area in Hec. 1.9626 Impact (%) 64 Total area 3.073</p>

	<p>11. मंजूदेवी पुत्री हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p> <p>12. रामु पुत्र भैरू दत्तकपुत्र कल्याण हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा PHULEREA</p> <p>13. रामधन पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>14. लालीदेवी पुत्री हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p> <p>15. श्रवण पुत्र बोदू हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</p> <p>16. सजनादेवी पत्नि रामकरण हिस्सा- 1/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>17. सत्यनारायण पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>18. सुवा पुत्र बोदू हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</p> <p>19. सोनीदेवी पुत्री हनुमान हिस्सा- 1/28 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/28 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</p>	
20-53	<p>1. कमलेशकुमार पुत्र भीवाराम हिस्सा- 7/1728 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>2. कमलादेवी पुत्री भंवरलाल हिस्सा- 1/144 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>3. कमलादेवी पत्नि भीवाराम हिस्सा- 7/1728 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>4. गोपी पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>5. गोरधन पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>6. गोविन्दराम पुत्र लादू हिस्सा- 7/288 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>7. धीसालाल पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 7/144 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-7/144 ( पूर्ण खाता ) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा SAMBHAR</p> <p>8. चेतन पुत्र मोटुराम हिस्सा- 1/720 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>9. जमनादेवी पुत्री भंवरलाल हिस्सा- 1/144 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>10. जीवण पुत्र रामदेव हिस्सा- 1/12 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>11. झमकुदेवी पुत्री भंवरलाल हिस्सा- 1/144 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>12. धन्नालाल पुत्र भागीरथ हिस्सा- 1/9 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>13. नन्दूदेवी पुत्री रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>14. प्रधान पुत्र मोटुराम हिस्सा- 1/720 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>15. बन्धी पुत्र लादू हिस्सा- 7/288 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p>	<p>Village Samalpura Plot No. 394 Area in Hec. 0.4305</p> <p>Impact (%) 55 Total area 0.784</p>



	<p>राहिन हिस्सा-1/21 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</p> <p>10. मोहनीदेवी पत्नि कजोड हिस्सा- 1/18 जाति- जाट सा. काजीपुरा खातेदार</p> <p>11. रामधन पुत्र भोलू हिस्सा- 1/21 जाति- जाट सा. सामलपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-1/21 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा PHULEREA</p> <p>12. रामप्यारी पुत्री छोतर पत्नि लादू हिस्सा- 1/18 जाति- जाट सा. सामलपुरा हाल मोखमपुरा खातेदार</p> <p>13. श्योजीराम पुत्र चोथूराम हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. सामलपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-1/6 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा PHULEREA</p> <p>14. श्री किशन पुत्र भोलू हिस्सा- 1/21 जाति- जाट सा. सामलपुरा खातेदार</p> <p>15. हनुमान पुत्र भोलू हिस्सा- 1/21 जाति- जाट सा. सामलपुरा खातेदार राहिन हिस्सा-1/21 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फुलेरा</p>	
69-71	<p>1. रामलाल पुत्र पोखर हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा NARAINA</p> <p>2. रामेश्वर पुत्र पोखर हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फुलेरा</p> <p>3. हनुमान पुत्र गुल्ला हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p>	<p>Village Kandeoli Plot No. 288 Area in Hec. 0.2366 Impact (%) 58 Total area 0.405</p>
72-75	<p>1. छोटीदेवी पत्नि मदनलाल हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. हरिपुरा खातेदार</p> <p>2. जानादेवी पत्नि लालचन्द हिस्सा- 1/6 जाति- जाट सा. हरिपुरा खातेदार</p> <p>3. दांखा पत्नि कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</p> <p>4. हनुमान पुत्र कल्याण हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</p>	<p>Village Kandeoli Plot No. 311 Area in Hec. 0.3197 Impact (%) 70 Total area 0.455</p>
76-86	<p>1. कमलादेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>2. ग्यारसी पुत्री सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>3. गोपाललाल पुत्र सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>4. छोटी पुत्री सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>5. नन्ददेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>6. रुकमादेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>7. रामनरायण पुत्र सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>8. सुगनीदेवी पुत्री सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p>	<p>Village Shardulpura Plot No. 157 Area in Hec. 1.5605 Impact (%) 71 Total area 2.213</p>

	<p>9. सरजूदेवी पत्नि सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>10. हरकरण पुत्र सुजाराम हिस्सा- 1/20 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>11. हरिनारायण पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/2 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/2 ( पूर्ण खाता ) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा बग्रु</p>	
87-105	<p>1. अखेराम पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>2. गोपाललाल पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/48 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फूलेरा</p> <p>3. चन्दा पुत्री रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>4. फूला पुत्री रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>5. भंवरलाल पुत्र लालू हिस्सा- 1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>6. भवरीदेवी पत्नि लिखमाराम हिस्सा- 1/240 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/240 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फूलेरा</p> <p>7. महेशकुमार पुत्र रामकरण हिस्सा- 65/288 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>8. रमेशकुमार पुत्र लिखमाराम हिस्सा- 1/240 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/240 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फूलेरा</p> <p>9. राजकंवर पुत्री लिखमाराम हिस्सा- 1/240 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>10. रामकुवार पुत्र लिखमाराम हिस्सा- 1/240 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/240 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फूलेरा</p> <p>11. रामचन्द्र पुत्र लालू हिस्सा- 13/72 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-13/72 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फूलेरा</p> <p>12. रामदेव पुत्र गोरथन हिस्सा- 1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>13. रामेश्वरलाल पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>14. लक्ष्मीनारायण पुत्र लिखमाराम हिस्सा- 1/240 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/240 ( पूर्ण खाता ) यूको बैंक शाखा फूलेरा</p> <p>15. श्योकरण पुत्र लालू हिस्सा- 13/72 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>16. सेउ पत्नि गोरथन हिस्सा- 1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>17. हनुमान पुत्र गोरथन हिस्सा- 1/18 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>18. हेमराज चौधरी पुत्र गोपाललाल चौधरी हिस्सा- 13/288 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p> <p>19. हीरालाल पुत्र रामकरण हिस्सा- 1/48 जाति- जाट सा. देह खातेदार</p>	<p>Village Shardulpura</p> <p>Plot No. 169</p> <p>Area in Hec. 1.6648</p> <p>Impact (%) 60</p> <p>Total area 2.782</p>

106-114	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. काना पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा वेशाली नगर जगपुर</li> <li>2. कानाराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/20 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>3. गोपाल पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>4. गोपीराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> <li>5. नारायण पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>6. रामकरण पुत्र उदा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>7. रामचन्द्र पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</li> <li>8. रामेश्वरलाल पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) बैंक ऑफ बङ्कौदा शाखा KANCHRODA</li> <li>9. लादूराम पुत्र जोराराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> </ol>	<p style="text-align: right;">Village Shardulpura Plot No. 176 Area in Hec. 0.7262 Impact (%) 66 Total area 1.100</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. श्रवण पुत्र भूरा हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> <li>2. सुरजकरण पुत्र भूरा हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फुलेरा</li> <li>3. सुवा पुत्र भूरा हिस्सा- 1/3 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> </ol>	<p style="text-align: right;">Village Shardulpura Plot No. 185/1 &amp; 185/2 Area in Hec. 0.2798 Impact (%) 55 Total area 0.506</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. काना पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा वेशाली नगर जयपुर</li> <li>2. कानाराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/20 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>3. गोपाल पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> </ol>	<p style="text-align: right;">Village Shardulpura Plot No. 334 Area in Hec. 0.2252 Impact (%) 64 Total area 0.354</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. गोपीराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> <li>5. नारायण पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>6. रामकरण पुत्र उदा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>7. रामचन्द्र पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</li> <li>8. रामेश्वरलाल पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा KANCHRODA</li> <li>9. लादूराम पुत्र जोराराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> </ol>	
127-135	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. काना पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा वेशाली नगर जयपुर</li> <li>2. कानाराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/20 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>3. गोपाल पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>4. गोपीराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> <li>5. नारायण पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>6. रामकरण पुत्र उदा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>7. रामचन्द्र पुत्र भूरया हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</li> <li>8. रामेश्वरलाल पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा KANCHRODA</li> <li>9. लादूराम पुत्र जोराराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> </ol>	<p>Village Shardulpura Plot No. 337 Area in Hec. 0.2064 Impact (%) 74 Total area 0.278</p>

136-144	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. काना पुत्र भूर्या हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा वेशाली नगर जयपुर</li> <li>2. कानाराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/20 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>3. गोपाल पुत्र भूर्या हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>4. गोपीराम पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> <li>5. नारायण पुत्र भूर्या हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा जोबनेर</li> <li>6. रामकरण पुत्र उदा हिस्सा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) पंजाब नेशनल बैंक शाखा फूलेरा</li> <li>7. रामचन्द्र पुत्र भूर्या हिस्सा- 1/8 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ इंडिया शाखा फुलेरा</li> <li>8. रामेश्वरलाल पुत्र जोरा हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 ( पूर्ण खाता ) बैंक ऑफ बङ्कौदा शाखा KANCHRODA</li> <li>9. लादूराम पुत्र जोराराम हिस्सा- 1/16 जाति- जाट सा. देह खातेदार</li> </ol>	Village Shardulpura Plot No. 339 Area in Hec. 0.3036 Impact (%) 59 Total area 0.518
145	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बजरंगराम पुत्र रुडमल हिस्सा- पूर्ण जाति- अहीर(यादव) सा. देह खातेदार राहिन ( पूर्ण खाता ) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा SAMBHAR</li> </ol>	Village Shyosinghpura Plot No. 294 Area in Hec. 1.4206 Impact (%) 55 Total area 2.567

## अध्याय 5


### प्रभावित क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल

#### 5.1 फुलेरा तहसील


फुलेरा, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले की एक तहसील है। इसकी सीमा पूर्व में चौमूँ आमेर, जयपुर और दक्षिण में जयपुर जिले की मौजमाबाद तहसील से आच्छादित है तथा पश्चिम में नागौर की नावा तहसील तथा उत्तर में सीकर की दातारामगढ़ तहसील है। इस क्षेत्र की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है जिसमें गर्मी, मानसून (वर्षा क्रतु) और शीत क्रतुएँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जुलाई से सितम्बर के महीनों में बारिश होती है। यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा 550 से 600 मिमी तक है। इस क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान  $23^{\circ}\text{C}$  है, सर्दियों में व्यूनतम तापमान  $8-10^{\circ}\text{C}$  और गर्मियों में अधिकतम तापमान  $40-45^{\circ}\text{C}$  है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, फुलेरा तहसील की कुल जनसंख्या 444,105 है, जिनमें से 230,074 पुरुष और 214,031 महिलाएँ हैं।

फुलेरा तहसील की 166,444 (60.99%) जनसंख्या साक्षर है, इनमें से 37.48 प्रतिशत (270,855) पुरुष और 23.51 प्रतिशत (104,411) महिला साक्षर हैं। तहसील में कुल श्रमिकों की खंख्या 179,382 (40.39%) है, इनमें से 111,418 पुरुष (25.09%) पुरुष और 67,964 (15.30%) प्रतिशत महिला श्रमिक हैं। कुल 51,727 किसान कृषि खेती पर निर्भर हैं, जिनमें से 29,500 पुरुषों द्वारा खेती की जाती है और 22,227 महिलाएँ हैं। फुलेरा में 4,830 लोग कृषि भूमि पर श्रमिक के रूप में काम करते हैं, जिनमें पुरुष 2,717 और 2,113 महिलाएँ हैं।

### मानचित्र ५.१: फुलेरा तहसील: मानचित्र




### ऐक्साचित्र 5.2 फुलेरा में भूमि उपयोग



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार


### ऐक्साचित्र 5.3: फुलेरा में सिंचाई परिदृश्य



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

कृषि आजीविका का महत्वपूर्ण साधन होने के कारण सिंचाई के साधनों की जानकारी महत्वपूर्ण है। फुलेरा में नलकूप एवं कूएँ ही सिंचाई के साधन हैं जबकि असिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र की तुलना में चार गुना अधिक है।

#### रेखाचित्र 5.4 फुलेरा में कृषि क्षेत्र



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

#### 5.2 जंनाकिकी विवरण

प्रभावित चारों गाँवों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के उद्देश्य से 2011 की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग किया गया है (2021 की जनगणना नहीं हो पाने के कारण)।


क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े गाँव कन्देवली में सबसे कम जनसंख्या है एवं लिंग अनुपात भी इसी गाँव का सबसे कम पाया गया। सामलपुरा गाँव जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गाँव है, वहाँ लिंग अनुपात भी बेहतर है। सभी गाँवों में अन्य पिछड़ी जाति के लोग सबसे अधिक हैं। सामलपुरा और कन्देवली में अनुसूचित जनजाति (ST) के लोग नहीं हैं अन्य दोनों गाँवों में भी ST का अनुपात निम्न है।

Table 5.1: 2011 की जनगणना के अनुसार चारों गाँवों की जनसंख्या

	कुल			सामान्य			अन्य पिछ्हा वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जन जागि		
	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
सामलपुरा	891	853	1744	10	9	19	781	757	1538	100	87	187	-	-	-
साटुलपुरा	800	718	1518	55	52	107	538	479	1017	198	180	378	9	7	16
श्योसिंहपुरा	826	755	1581	9	9	18	681	611	1292	106	104	210	30	31	61
कन्देपती	317	275	592	2	1	3	273	239	512	42	35	77	-	-	-
योग	2834	2601	5435	76	71	147	2273	2086	4359	446	406	852	39	38	77

स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

### रेखाचित्र 5.5: लिंग अनुपात



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

### 5.3 निर्धारिता स्तर

Table 5.2: बी.पी.एल. सूचना

ग्राम का नाम	कुल राशन कार्ड	बी.पी.एल.	स्टेट बी.पी.एल.	अन्त्योदय	योग
सामलपुरा	405	22	06	07	35
शार्दुलपुरा	323	11	10	07	28
श्योसिंहपुरा	291	21	22	03	46
कन्देवली	187	03	01	-	04
<b>योग</b>	<b>1206</b>	<b>57</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>113</b>

स्रोत: SDM कार्यालय, फरवरी 2023

Table 5.3: मनरेगा के आंकड़े

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल जॉब कार्ड	एविट्व जॉब कार्ड
1.	सार्दुलपुरा	375	250
2.	सामलपुरा	531	225
3.	श्योसिंहपुरा	488	295
4.	कन्देवली	125	109
	<b>कुल</b>	<b>1519</b>	<b>879</b>

स्रोत: SDM कार्यालय, फस्तवारी 2023


#### 5.4 आजीविका एवं व्यवसाय

व्यवसाय एवं श्रमिकों के वर्गीकरण से क्षेत्र विशेष की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जा सकता है। प्रभावित चारों गाँवों में कुल श्रमिकों में कृषकों का अनुपात देखने पर ज्ञात होता है कि यह सबसे कम श्योसिंहपुरा में लगभग (26.61%) है जबकि सबसे अधिक कन्देवली (57.91%) में है। सामलपुरा और शार्दुलपुरा में क्रमशः 40.66 और (35.71%) है। कुल श्रमिकों में अन्य श्रमिकों में अन्य श्रमिकों का अनुपात कन्देवली को छोड़कर तीन गाँवों में सर्वाधिक है। चारों गाँवों में घरेलू उद्योग श्रमिकों की संख्या नगण्य है एवं कृषि श्रमिकों की संख्या भी नाममात्र की है।

### ऐक्साचित्र 5.6: सामलपुरा में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति


**Samalpura**

**Total Workers**




स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

**Samalpura**




स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

**रेखाचित्र 5.7: शार्दुलपुरा में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति**




स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार




स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

**रेखाचित्र 5.8: श्योसिंहपुरा में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति**




स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

**रेखाचित्र 5.9: कन्देली में व्यवसाय एवं श्रमिकों की स्थिति**



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार



स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

Table: 5.4: प्रभावित गाँवों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति: एक अवलोकन

S.No.	Item	Name of Village			
		Samalpura	Shardulpura	Shyosinghpura	Kandeoli
1.	Total Area (in Hectares)	491.3	431	395.8	859
2.	Total Population	1744	1514	1581	592
3.	Number of Households	255	209	267	133
4.	Primary School (P)	2	2	1	1
5.	Middle School (M)	2	2	1	A
6.	Secondary School (S)	1	2	1	B
7.	CHC	A	A	A	B
8.	PHC	A	1	A	B
9.	Tap Water	Yes	Yes	No	No
10.	Well Water	Yes	Yes	Yes	Yes
11.	Hand Pump	Yes	Yes	Yes	No
12.	Tube Wells/Bore Well	Yes	Yes	Yes	No
13.	Bus Service	Yes	Yes	Yes	A
14.	Pucca Roads	B	Yes	B	B
15.	Kutchcha Roads	Yes	Yes	Yes	Yes
16.	Agricultural Credit Societies	A	Yes	A	A
17.	PDS Shop	Yes	Yes	Yes	A
18.	Mandis	A	A	A	B
19.	Agricultural Marketing Society	C	C	C	C
20.	ICDS	Yes	Yes	Yes	Yes
21.	Anganwadi Centre	Yes	Yes	Yes	Yes
22.	Power Supply for Domestic Use (ED)	Yes	Yes	Yes	Yes
23.	Power Supply Agricultural (EAG)	Yes	Yes	Yes	Yes
24.	Power Supply for Commercial Use (EC)	Yes	Yes	Yes	No

स्रोत: जनगणना 2011 के अनुसार

Table 5.5: पशुगणना सन् 2012

क्र. सं.	ग्राम कोड	ग्राम	Buffaloes	Dogs	Goat	Mules	Camel	Cattle	Donkey	Sheep
1.	79636	सामलपुरा	913	0	1097	0	1	1052	0	25
2.	79681	शार्दुलपुरा	598	0	539	0	0	303	0	53
3.	79682	श्योसिंहपुरा	793	0	417	0	0	417	0	0
4.	79680	कन्देवली	234	35	417	2	0	194	2	175

Note: Horses 0, Mithuns 0, Elephant 0, Pigs 0, Rabbit 0 and Yaks 0

**5.5 प्रशासनिक संगठन:** प्रभावित चारों गाँव फुलेरा तहसील मुख्यालय सांभरलेक में आते हैं। ये 4 गाँव तीन ग्राम पंचायत समितियों के अधीन हैं - दो गाँव शार्दुलपुरा और सामलपुरा गाँव शार्दुलपुरा पंचायत समिति का, कन्देवली चैनपुरा ग्राम पंचायत का और श्योसिंहपुरा खेड़ीराम ग्राम पंचायत का भाग हैं।

**5.6 राजनैतिक संगठन:** अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर कोई राजनैतिक संगठन अस्तित्व में नहीं है। यह मूलतः कृषि भूमि ही है।

**5.7 समुदाय आधारित एवं सिविल सोसाइटी संगठन:** समस्त भूमि कृषि उपयोग में ही आ रही है, इसमें कोई समुदाय आधारित संगठन नहीं है।


## अध्याय - 6

### परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार करने के लिए चारों प्रभावित गाँवों में मार्च 1 से 20, 2023 तक सर्वेक्षण कार्य किया गया। एफजीडी, परामर्श और प्राथमिक डेटा के माध्यम से सूचना एकत्रित की गई थी। इस सर्वेक्षण के लिए निम्न पैरामीटर का उपयोग किया गया है-

- परियोजना में प्रभावित परिवारों की जनसांख्यिकीय विवरण;
- अन्य अचल संपत्तियों के भूमि स्वामित्व;
- शिक्षा और कौशल के स्तर;
- व्यावसायिक विवरण;
- गैर-कृषि आजीविका और कृषि आय;
- बुनियादी ढांचे और अन्य आवश्यक विकसित सेवाओं का विवरण;
- चल संपत्तियों और पशुओं की स्वामित्व;
- कमजोर परियोजना में प्रभावित परिवारों की पहचान;

सर्वेक्षण का उद्देश्य संभावित प्रभावित व्यक्तियों के विवरण, उनकी संख्या, सामाजिक श्रेणी, घरेलू आकार और व्यावसायिक पैटर्न सहित विवरणों का पता लगाना था। यह अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आबादी और समुदायों पर परियोजना के कारण सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया है। इस परियोजना से जयपुर ज़िले की फुलेरा तहसील के चार गांव प्रभावित हो रहे हैं। कुछ भूस्वामियों ने सर्वेक्षण में भागीदारिता में अपनी ऊंचि नहीं दिखाई।



### तालिका 6.1: परियोजना में प्रभावित परिवारों का संख्या विवरण

Type of Impact	No.
Total Persons Affected	1174
Total Households Affected	261
Vulnerable Households Affected	36
Households Affected by Impact on Structures (Pipeline)	1
Households Fully Displaced	0
Households Affected by loss of income	261
Households losing trees/crops	197
Structures fully affected	0

### 6.1 परियोजना में प्रभावित परिवारों (पीएच) एवं व्यक्तियों की संख्या

प्रस्तावित परियोजना में कुल 261 परिवार प्रभावित हो रहे हैं जो प्रभावित 120 निजी भूमि खातों से संबंधित है। इस परियोजना में कोई संरचनाएँ प्रभावित नहीं हो रही है। प्रभावित गांवों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित है अर्थात् वे पशुपालन या कृषि मजदूरों द्वारा समर्थित किसान हैं, जबकि ग्रामीणों का मामूली प्रतिशत निजी नियोक्ता या सरकारी नियोक्ता द्वारा वियोजित है।

सामाजिक समाधान मूल्यांकन के सर्वेक्षणानुसार, परियोजना में कुल निजी भूमि के प्रभावित परिवारों की संख्या 261 है। इन निजी भूमि के आतेदारों में कुल 1174 सदस्यों के प्रभावित होने की संभावना है। जिनमें से 621 पुरुष सदस्य व 553 महिला सदस्य शामिल हैं। जिनका विवरण निम्नलिखित है-

**तालिका 6.2: परियोजना में व्यक्तियों का विवरण**

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	पुरुष	महिला	योग
1	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	250	216	466
2			कंदेवली	162	123	285
3			शार्दुलपुरा	41	48	89
4			श्योसिंहपुरा	168	166	334
योग				621	553	1174


**6.2 प्रभावित परिवारों की जाति वर्ग के अनुसार संरचना**

परियोजना से कुल 261 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। जिनमें से 11 सामान्य, 36 परिवार अनुसूचित जाति के और 214 परिवार अन्य पिछड़ी जाति के हैं।

**तालिका 6.3: परियोजना में प्रभावित परिवारों की जाति संरचना**

क्र. सं.	जाति वर्ग	प्रभावित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	सामान्य	11	4.21
2	अनुसूचित जाति	36	13.79
3	अनुसूचित जनजाति	00	00
4	अन्य पिछड़ी जाति	214	82.0
योग		261	100

### रेखाचित्र 6.1: प्रभावित परिवार



स्रोत: सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

### 6.3 प्रभावित परिवारों का धार्मिक विवरण

परियोजना में प्रभावित सभी परिवार हिंदू धर्म से संबंधित हैं।

तालिका 6.4: परियोजना में प्रभावित परिवारों की धार्मिक श्रेणियाँ

क्र.सं.	धार्मिक समूह	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1	हिंदू	261	100.00
2	मुसलमान	0	0
	योग	261	100.00

### 6.4 परियोजना में प्रभावित परिवारों के आय और व्यवसाय का विवरण

यह सर्वेक्षण परियोजना प्रभावित क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों की पहचान करने में मदद करता है। निम्न तालिका परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परिवार के सदस्यों की व्यावसायिक स्थिति को दर्शाती है। परियोजना में किसान

व खेती से संबंधित कार्य वाले 34.84 प्रतिशत प्रमुख श्रेणी में आते हैं और 9.96 प्रतिशत मजदूरी व 9.97 प्रतिशत बेरोजगार हैं तथा 1.11 प्रतिशत सदस्य वाणिज्यिक गतिविधि/व्यवसाय आदि में शामिल हैं। परियोजना में कुल निजी प्रभावित परिवारों की संख्या 261 है जिनमें 1174 सदस्य हैं।

**तालिका 6.5: परियोजना में प्रभावित परिवारों के सदस्यों की व्यावसायिक प्रोफाइल**

क्र. सं.	व्यवसाय	पुलष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी नौकरी	10	1.61	0	0.00	10	0.85
2	प्राइवेट नौकरी	52	8.37	0	0.00	52	4.43
3	प्रोफेशनल	6	0.97	0	0.00	6	0.51
4	खेती व खेती से संबंधित कार्य	207	33.33	202	36.53	409	34.84
5	व्यापार	13	2.09	0	0.00	13	1.11
6	गृहणी	0	0.00	151	27.31	151	12.86
7	मजदूरी	90	14.49	23	4.16	113	9.63
8	अध्ययन	135	21.74	103	18.63	238	20.27
9	बेरोजगार	79	12.72	38	6.87	117	9.97
10	कार्यबल में नहीं	29	4.67	36	6.51	65	5.54
योग		<b>621</b>	<b>100</b>	<b>553</b>	<b>100</b>	<b>1174</b>	<b>100</b>

योग: सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

परियोजना प्रभावित लोगों के सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के अनुसार, कृषि, कृषि-मजदूर और गैर-कृषि मजदूरी ही रोजगार का बड़ा हिस्सा हैं। जबकि सरकारी व प्राइवेट नौकरी में लगे लोगों का प्रतिशत बहुत कम है।

वार्षिक आय गरीबी रेखा (बीपीएल) की स्थिति के नीचे परिवारों का आकलन करने में मदद करती है। सर्वेक्षण के दौरान, सभी संभावित स्रोतों के माध्यम से घर की आय दर्ज की गई है।

तालिका 6.6: परियोजना में प्रभावित परिवारों की आर्थिक स्थिति का विवरण

क्र.सं.	प्रभावित परिवारों की वार्षिक आय	प्रभावित परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	1,20,000 तक	119	45.594
2	1,20,000 से 2,00,000 तक	45	17.241
3	2,00,000 से 3,00,000 तक	29	11.111
4	3,00,000 से 5,00,000 तक	49	18.774
5	5,00,000 से अधिक	19	7.280
योग		261	100

सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण से निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित भूमि स्वामियों के ज्यादातर परिवार निम्न आय वर्ग से संबंधित है।



### 6.5 प्रभावित सदस्यों का आयुवर्ग के अनुसार विवरण

इस परियोजना से 261 परिवारों के 1174 लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुल प्रभावित परिवारों की जनसंख्या में सबसे अधिक 18 से 45 वर्ष तक की आयु के लोग हैं, जिनकी संख्या 650 है। प्रभावित जनसंख्या में केवल 7.75 प्रतिशत लोग 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं।

तालिका 6.7: आयु के अनुसार प्रभावित सदस्य

आयु वर्ग (वर्षा में)	पुरुष		महिला		योग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
18 तक	121	19.48	93	16.82	214	18.23
18 से अधिक व 45 से कम	346	55.72	304	54.97	650	55.37
45 से अधिक व 60 से कम	105	16.91	114	20.61	219	18.65
60 से अधिक	49	7.89	42	7.59	91	7.75
योग	621	100	553	100	1174	100

## गाँवों का सर्वेक्षण




## 6.6 प्रभावित सदस्यों का शिक्षा का स्तर

परियोजना क्षेत्र में साक्षरता दर क्षेत्र के सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ लोगों के बीच जागरूकता के स्तर को दर्शाती है। शैक्षणिक स्तर को देखते हुए स्नातक या स्नातकोत्तर/तकनीकी योग्यता की कमी को दर्शाता है। परियोजना में कुल प्रभावित परिवारों की संख्या 261 है जिनमें 1174 सदस्य हैं। प्रस्तावित परियोजना में प्रभावित व्यक्तियों के पास निम्न शिक्षा स्तर है। आय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनर्वास के एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं। नीचे तालिका में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के शैक्षणिक स्तर को प्रतिशत में दर्शाया गया है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों में से 29.47 प्रतिशत से अधिक अशिक्षित हैं, जबकि 5.11 प्रतिशत साक्षर व 15.25 प्रतिशत स्नातक तक शिक्षित हैं।

तालिका 6.8: परियोजना में प्रभावित परिवारों के सदस्यों की शिक्षा का स्तर

क्र. सं.	शिक्षा	पुरुष		महिला		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	निरक्षर	113	18.20	233	42.13	346	29.47
2	साक्षर	47	7.57	13	2.35	60	5.11
3	पांचवीं तक	50	8.05	78	14.10	128	10.90
4	दसवीं से कम	92	14.81	38	6.87	130	11.07
5	दसवीं तक	177	28.50	82	14.83	259	22.06
6	स्नातक	106	17.07	73	13.20	179	15.25
7	स्नातकोत्तर, डिप्लोमा व अन्य	36	5.80	36	6.51	72	6.13
योग		621	100.00	553	100	1174	100

### रेखाचित्र 6.2: प्रभावित परिवारों में शिक्षा का स्तर



स्रोत: सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

### 6.7 प्रभावित परिवारों में सदस्यों की वैवाहिक स्थिति

कुल प्रभावित सदस्यों की संख्या में विवाहित व्यक्तियों की संख्या 760 है, जबकि अविवाहित व्यक्तियों की संख्या 391 है।

### तालिका 6.9: प्रभावित सदस्यों की वैवाहिक विवरण

क्र.सं.	वैवाहिक स्थिति	सदस्यों की संख्या	प्रतिशत
1	विवाहित	760	64.74
2	अविवाहित	391	33.30
3	विधवा/ विधुर	23	1.96
योग		1174	100

## 6.8 प्रभावित परिवारों का प्रकार

प्रभावित क्षेत्र के सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल प्रभावित परिवारों में 93.10 प्रतिशत परिवारों की संरचना एकाकी है, जबकि केवल 6.90 प्रतिशत संयुक्त परिवार है। इस प्रकार विश्लेषण स्पष्ट करता है कि प्रभावित गांवों में परम्परागत संयुक्त परिवार की संरचना धीरे-धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देती है।

**तालिका 6.10: प्रभावित परिवारों का प्रकार**

क्र.सं.	परिवार का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकाकी	243	93.10
2	संयुक्त	18	6.90
	योग	261	100

## 6.9 भूमि अधिग्रहण का प्रभाव

इस परियोजना के लिये लगभग 116.38 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 113.4812 हेक्टेयर भूमि निजी खातेदारी से संबंधित है व 2.8988 सरकारी खातेदारी से संबंधित है। इस परियोजना के भूमि अधिग्रहण से छोटे व कम जोत वाले खातेदारों से उनकी अधिकांश भूमि छिन जायेगी। परियोजना के लिये 139 खसरों से भूमि ली जानी प्रस्तावित है, जिनमें से 81 खसरे ऐसे हैं जिनकी 100 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जाना है यानी उन खसरों की पूरी भूमि का अधिग्रहण होगा और 30 खसरों में से लगभग 25 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा।

**तालिका 6.11: भूमि अधिग्रहण से प्रभावित खसरों पर प्रभाव की मात्रा**

क्र. सं:	ज़िले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरों पर प्रभाव की मात्रा			
				25प्रतिशत	50प्रतिशत	75प्रतिशत	100प्रतिशत
1	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा	13	4	2	21
2			कंदेवली	5	7	3	19
3			शार्दुलपुरा	6	1	7	38
4			श्योसिंहपुरा	6	3	1	3
योग				30	15	13	81

एस.आई.ए. सर्वेक्षण दिनांक 01.03.2023 से 20.03.2023 के दौरान हमने पाया कि सभी 261 प्रतिभागी परिवार शीर्षक धारक हैं, एसआईए टीम ने उनसे अपना भूमि रिकार्ड (पट्टा) जमा करने को कहा, लेकिन उन्होंने अभी तक भूमि का मालिकाना हक या पंचायत का पट्टा जमा नहीं किया है, इसलिए निष्कर्ष यह है कि एसआईए एजेंसी ने उन्हें एसआईए रिपोर्ट के मर्यादे में शीर्षक धारक के रूप में रखा है, यदि उन्होंने भूमि रिकार्ड या पंचायत प्रमाण (पट्टा) को चिह्नित नहीं किया है तो वे गैर-शीर्षक धारक/ अतिक्रमणकर्ता होगे। जनसुनवाई के बाद एसआईए एजेंसी अंतिम रिपोर्ट को अपडेट करेगी।

## अध्याय - 7

### सामाजिक प्रभाव

जब भी कोई विकास परियोजना किसी क्षेत्र में आरम्भ होती है तो उसके विभिन्न प्रभाव परिलक्षित होना अत्यंत स्वाभाविक है। क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय में सम्भावित बदलाव सामाजिक प्रभाव की श्रेणी में आते हैं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन, जीवनशैली, संरक्षित, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार, आकांक्षाएँ एवं आशंकाएँ आदि सामाजिक प्रभाव लोगों के सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण सुधार या नुकसान दे सकते हैं। सामाजिक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यह भी स्वाभाविक है कि गतिविधि आरम्भ होने के कुछ समय बाद ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लगेंगे किन्तु तब तक स्थानीय लोगों में नकारात्मक प्रभावों को लेकर आशंका देखी जा सकती है।

MMLP में चार गाँवों सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, शार्दुलपुरा और कन्देवली के भू-स्वामियों की कुल 116.3873 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है। सभी प्रभावित परिवार जिनकी जमीन अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है, वे सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर प्रभावित होंगे। जिन लोगों की जमीन अधिक जायेगी उनके आर्थिक रूप से प्रभावित होने की सम्भावना ज्यादा है। लेकिन भू-स्वामी मिले हुए मुआवजा से आने वाले समय में जमीन क्रय कर पायेंगे।

## 7.1 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता (The Nature and Intensity of Social Impacts)

भूमि अधिग्रहण के दौरान प्रभावित परिवारों के प्रभावों की गणना, घरेलू सर्वेक्षण, स्वयं रिपोर्ट सूचना, सामूहिक चर्चा, शोधकर्ता के अवलोकन, स्थानीय मुख्य हितधारी व्यक्तियों जैसे-सरपंच, पटवारी व ग्राम सेवक आदि तथा अधिग्रहणकर्ता विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सामाजिक प्रभावों का आकलन किया गया। सामाजिक समाधात प्रभाव आकलन अनुसंधान दो भाग में बांट कर किया गया है— पहले भाग में प्रभावित क्षेत्र की पृष्ठभूमि जैसे जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतों से संबंधित सूचनाओं को लिया गया तथा दूसरे भाग में लोगों के जीवन स्तर में प्रभाव से संबंधित विभिन्न तरह की सूचनाओं को भी लिया गया। जनसांख्यिकीय संकेतों के अंतर्गत आय व्यय, नौकरी, आय के स्त्रोत, पलायन, स्थानीय सरकारी सुविधाओं आदि से सम्बंधित सूचना प्राप्त की गई तथा प्रभाव के अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव, स्थानीय एवं भौतिक संसाधनों पर प्रभाव, आजीविका प्रभाव तथा भूमि पर प्रभाव के बारे में सूचनाओं का संकलन किया गया। प्रभावों की गणना दोनों पहलुओं (सकारात्मक तथा नकारात्मक) के आधार पर की गई है। इसके साथ-साथ नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सामाजिक समाधात शमन योजना की भी चर्चा की गई। इस परियोजना से संबंधित प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों पर भी चर्चा की गई। भूमि अधिग्रहण के नकारात्मक प्रभावों को सामाजिक समाधात शमन योजना से कम किया जा सकता है।

एस.आई.ए. द्वारा इन दोनों प्रभावों के बारे में स्थानीय लोगों से विचार विमर्श करने के उपरान्त निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए।

## 7.2 सकारात्मक प्रभाव

प्रतिक्रियाएं इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि परियोजना के निर्माण और संचालन से स्थानीय लोगों और क्षेत्रों पर कई दृष्टियों से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिसमें से उद्धृत कुछ प्रमुख सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं:

- (1) **सस्ती माल ढुलाई:** प्रस्तावित MMLP के बन जाने से आस-पास के औद्योगिक क्षेत्रों को माल ढुलाई के लिए एक सस्ता एवं भरोसे मंद साधन उपलब्ध होगा। लंबी दूरी के मार्गों के लिए रेलवे की तुलना में सड़क मार्ग से माल ढुलाई आम तौर पर 25 से 30 प्रतिशत अधिक महँगा है। अतः माल ढुलाई के सड़क से रेलवे में शिपट होने से ईधन की कम खपत, ज्यादा माल ढोने की क्षमता, कम प्रदूषण होने के कारण माल ढुलाई की लागत कम होगी।
- (2) **सड़क मार्ग पर यातायात का बोझ/निर्भयता कम होना:** इस क्षेत्र की माल ढुलाई जो अभी तक मुख्यतः सड़क मार्ग से होती है वह रेल मार्ग पर स्थानान्तरित हो जायेगी जिससे राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का बोझ कम होगा और लॉजिस्टिक दरें कम होगी।
- (3) **जिले एवं राज्य का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास:** MMLP के तैयार हो जाने पर सस्ती माल ढुलाई की सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही माल को जयपुर या किशनगढ़ तक लम्बी दूरी तक भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिससे इस पूरे क्षेत्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
- (4) **भूमि की कीमत में वृद्धि:** परियोजना के निर्माण के साथ, जिला जयपुर में उक्त राज्य राजमार्ग से सम्बद्ध ग्रामों की भूमि का मूल्य अधिक हो जाने की संभावना है।
- (5) **बेहतर बुनियादी ढांचा:** परियोजना के निर्माण के दौरान कई लोग वहाँ कार्य करने के लिए आयेंगे एवं निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् परिवालन के दौरान MMLP में कार्यरत लोग स्थायी रूप से वहाँ निवास भी

करेंगे जिससे उनकी रोजमर्दी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कही और रोजगारों का सृजन होगा जैसे फल सब्जी विक्रेता, पंसारी, नाई, धोबी इत्यादि। इसके अलावा स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इसके अलावा बेहतर सड़क मार्ग भी विकसित होने की सम्भावना है। इस प्रकार परियोजना के निर्माण से बेहतर बुनियादी ढांचे के मामले में क्षेत्र का समग्र विकास होने की आशा है।

- (6) **संबद्ध आर्थिक गतिविधियां:** विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी क्योंकि रेस्टरां, लॉज और अन्य छोटे पैमाने के व्यावसायिक उद्यमों सहित अधिक आतिथ्य केन्द्रों के उभरने और समय के साथ सक्रिय होने की संभावना है।
- (7) **पर्यटन को बढ़ावा:** परियोजना के निर्माण से गाँव का जिला, अन्य राज्य राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से बेहतर सम्पर्क स्थापित होगा। इससे क्षेत्र में अधिक लोगों के आने से सांभर लेक जो एक पर्यटन स्थल है उसके और अधिक विकसित होने की सम्भावना है।

### 7.3 नकारात्मक प्रभाव

परियोजना के नकारात्मक प्रभावों पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से चर्चा की गई। उनके द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाओं और परियोजना टीम के आकलन के आधार पर, भूमि के अधिग्रहण से क्षेत्र के लोगों पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है:

- (1) **भूमि से भावनात्मक सम्बन्ध:** निर्माण के लिए पहचान की गई भूमि का निजी स्वामित्व प्रभावित लोगों के पास अपनी पैतृक धरोहर के रूप में है। अधिग्रहण उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से उन्हें भावनात्मक रूप से पीड़ा का अनुभव करवा सकता है।

- (2) **आजीविका पर प्रभाव (आय से स्त्रोत का नुकसान):** अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन के लिए किया जाता है इस जमीन के अधिग्रहण से कई परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आय के स्त्रोत पर असर पड़ेगा। यह उनकी आय का एक स्त्रोत वैकल्पिक व्यवस्था होने तक के लिए छीन लेगा।
- (3) **भौतिक संसाधनों पर प्रभाव (संपत्ति की हानि):** अधिग्रहण से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति जैसे बिछी हुई पार्फ प्लाईन आदि प्रभावित होंगे।
- (4) **पर्यावरण पर प्रभाव:** सड़क पर यातायात के प्रवाह में वृद्धि के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ने की संभावना है। इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा जैसे कुछ श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ बढ़ना।
- (5) **सुरक्षा के मुद्दे:** यातायात के अधिक प्रवाह विशेष कर बड़े वाहनों जैसे ट्रेलर, ट्रोले इत्यादि के कारण ग्रामीणों को सड़क पार करने में असुविधा उत्पन्न हो सकती है, जो कि कुछ सुरक्षा संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है।

Table 7.1 सामाजिक प्रभाव: एक तुलनात्मक विश्लेषण

प्रभाव की श्रेणी	प्रभाव	नकारात्मक/सकारात्मक	प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष	अस्थायी/स्थायी	प्रमुख/अल्प
आर्थिक	सस्ती माल ढुलाई	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक	सङ्क मार्ग पर कम निर्भरता	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक	क्षेत्र का औद्योगिक एवं आर्थिक विकास	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक	कृषि आय के स्रोत का बुकसान	नकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक	अन्य आय के स्रोतों में वृद्धि	सकारात्मक	अप्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक	जमीन की कीमत में वृद्धि	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक/सामाजिक	बेहतर बुनियादी ढंचा	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक/सामाजिक	संपत्ति का बुकसान (बोर्डेल, बिछी हुई पाइप लाईन आदि)	नकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी/अस्थायी	प्रमुख
आर्थिक	संबद्ध आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
आर्थिक/सामाजिक	गाँव का बेहतर सङ्क सम्पर्क	सकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
पर्यावरण	पर्यावरण पर प्रभाव (वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण)	नकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
सामाजिक	सुरक्षा का मुद्दा	नकारात्मक	प्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
सामाजिक	शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार	सकारात्मक	अप्रत्यक्ष	स्थायी	प्रमुख
सामाजिक	विस्थापन के दौरान सामाजिक सम्बन्धों पर प्रभाव	नकारात्मक	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष	अस्थायी	अल्प
पर्यावरण	निर्माण कार्य के दौरान प्रदूषण	नकारात्मक	प्रत्यक्ष	अस्थायी	प्रमुख
पर्यावरण	वृक्षों की कटाई	नकारात्मक	प्रत्यक्ष	अस्थायी	अल्प

उपरोक्त वर्णित नकारात्मक प्रभावों के शमन हेतु अगले अध्याय में शमन उपायों की व्याख्या की गई है।

## अध्याय-४

### लागत और लाभ विश्लेषण

फुलेरा तहसील के चार गाँवों सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, शार्दुलपुरा और कन्देवली में प्रस्तावित MMLP के निर्माण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने के बाद, एस.आई.ए. टीम ने लागत की तुलना इसके लाभों से की।

यह आगे स्थापित किया जा सकता है कि निजी भूमि का अधिग्रहण करके और इस तरह परियोजना के निर्माण को पूरा करके एक सार्वजनिक उद्देश्य निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। यदि परियोजना समय पर पूरी हो जाती है, तो यह अपने उद्देश्यों को तय बजट में पूरा कर पायेगी; यदि परियोजना में देरी होती है, तो कुल लागत में वृद्धि होगी, जिसके दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं; यदि परियोजना को रोक दिया जाता है, तो इससे न केवल धन की हानि होगी, बल्कि परियोजना पर अब तक खर्च किए गए संपूर्ण जनशक्ति और संसाधनों की भी बर्बादी होगी। इसलिए, प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की सामाजिक लागत और लाभों का आकलन यह मानकर किया गया है कि परियोजना के स्थान या अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा।

#### 8.1 लोक प्रयोजन का आकलन


रेलवे से माल छुलाई स्थिती होने के बावजूद भारत में दो तिहाई माल छुलाई सड़क परिवहन के माध्यम से की जाती है। छोटे आकार के ट्रक/ट्रोले, असंगठित वेयर हाउसिंग, संस्थानिक अवरोधों एवं वेयर हाउसिंग बिखरे होने के कारण सूचना तकनीक का उपयोग न हो पाने के कारण लॉजिस्टिक दरों

में वृद्धि, फ्रेट संचलन में अकुशलता स्पष्ट दिखाई देती है। MMLP जैसी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे निम्न समाधान प्रस्तुत करता है-

- माल छुलाई - एकत्रीकरण एवं वितरण
- बहुल वृत्तियों से माल परिवहन
- समग्रीकृत संग्रहण एवं वेयर हाउसिंग
- सूचना प्रौद्योगिकी सहायता
- मूल्य संवर्धन सेवाएँ

इन समन्वित सेवाओं के केंद्रीकृत रूप प्राप्त होने से भारत की लॉजिस्टिक सेक्टर की चुनौतियों का सामना करके अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बना जा सकेगा।

### ऐचाचित्र 8.1 MMLP से होने वाले संभावित लाभ



MMLP परियोजना के निर्माण से आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी, व्यापार में बढ़ोतरी, बेहतर बुनियादी ढांचा और सड़क संमर्क भी बढ़ेगा।

## 8.2 मुआवजे के निर्धारक

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित, प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-26 और 27 के अनुसार, जिला कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य और मुआवजे की राशि का आकलन और निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाएँगे। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, विक्री विलेख के पंजीकरण के लिए या जहां जमीन स्थित है, बेचने के समझौते के लिए निकटतम गांव या निकटतम समाज प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य।

पी.ए.एफ. और पी.ए.पी. के साथ बातचीत के दौरान, उनमें से अधिकतर ने प्रति हेक्टेयर प्रचलित बाजार मूल्य का काफी कम बताया उनके अनुसार ऐसी दरों पर उन्हें समीप गांवों में कोई जमीन उपलब्ध नहीं हो पायेगी। किन्तु इसका कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं पाया गया, इसलिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को ध्यान में सख्ते हुए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

## 8.3 पात्रता मैट्रिक्स

परियोजना के लिए सुझाए गए पुनर्स्थापन एवं पुर्ववास (R&R) उपायों के अनुसार, सभी विस्थापित परिवार और व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति पेकैजों के संयोजन के हकदार होंगे और सहायता खोई हुई संपत्ति पर स्वामित्व अधिकारों की प्रकृति और विस्थापित व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक विपन्नता और आजीविका के पुनर्निर्माण के समर्थन के उपायों सहित प्रभावों के दायरे के आधार पर तय होगी। विस्थापित व्यक्ति निम्नलिखित छः प्रकार के मुआवजे और सहायता पेकैजों के हकदार होंगे:-

- भूमि, फसल/पेड़ के लिए उनके बुकसान पर प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा;
- संरचाओं (आवासीय/वाणिज्यिक) और अन्य अचल संपत्तियों के लिए उनके बुकसान पर प्रतिस्थापन लागत पर मुआवता;
- व्यवसाय/मजदूरी आय और आय बहाली सहायता के बुकसान के दायरे में सहायता;
- प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित परिवारों को घर के बदले में वैकल्पिक आवास या नकद सहायता, जिनके पास घर की कोई जगह नहीं है;
- स्थानांतरण स्थान (यदि आवश्यक हो) के लिए स्थानांतरण और प्रावधान के लिए सहायता, और
- समुदायिक संसाधनों/सुविधाओं का पुनर्निर्माण और / या पुनर्स्थापन।

#### **8.4 पात्रता मापदण्ड**

परियोजनान्तर्गत पुनर्वासन और पनुर्व्यवस्थापन ढांचे के सिद्धातों के अनुसार, निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से किसी में आने वाले प्रभावित व्यक्ति मुआवजे और पुनर्वास सहायता के लिए पात्र होंगे :-

- भूमि के औपचारिक कानूनी अधिकार वाले व्यक्ति, जिनकी सम्पूर्ण या आंशिक रूप से भूमि की हानि हो
- ऐसे व्यक्ति जिनका सम्पूर्ण या आंशिक रूप से भूमि की हानि हो और ऐसी भूमि के लिए उनका कोई औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन केन्द्र/राज्य के कानून के अंतर्गत उस भूमि के लिए दावा कर सकते हैं, और
- जिन लोगों ने भूमि पर पूरी तरह से या उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है, उनके पास न तो औपचारिक कानूनी अधिकार है, और न ही ऐसी भूमि के लिए कोई मान्यता प्राप्त या पहचानने योग्य दावा।

नीचे दी गई तालिका प्रभाव की श्रेणी और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार और एण्ड / और की पात्रता के अनुसार पात्रता मैट्रिक्स को दर्शाती है। मुआवजा संचना को नियंत्रित करने वाले मूल सिद्धांत तालिका में दिखाए गए हैं:

**तालिका ४.१: मुआवजा संचना को नियंत्रित करने वाले बुनियादी सिद्धांत  
(राजस्थान सरकार द्वाया अबुमोदित)**

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा
1.(A)	<p>प्रभाव वर्ग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>भूमि का बुकसान (कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक या अन्य)।</li> </ul>
	<p>अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिस्थापन लागत पर भूमि के लिए मुआवजा या भूमि के बदले भूमि, जहाँ संभव हो।</li> </ul>
	<p>कार्यान्वयन मार्गदर्शन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अर्जित की जाएगी।</li> <li>भूमि के लिए प्रतिस्थापन लागत, उच्चतर होगी (1) भारतीय स्टैप अधिनियम, 1899 के अनुसार, उस क्षेत्र में जहाँ भूमि स्थित है के अन्तर्गत विक्रय व अनुबंधों का पंजीकरण किया गया है, के अनुसार बाजार मूल्य; या (2) पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान निकटतम ग्राम या नजदीकी क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के लिए निष्पादित हुए विक्रय विलेखों में से उच्चतम 50% विक्रय विलेखों का औसत बिक्री मूल्य; या (3) PPP या निजी कंपनियों के लिए भुगतान की गई सहमति राशि।</li> <li>साय ही 100% हरजाना (सोलेशियम) और एस. आई.ए. अधिसूचना की तिथि से अभिनिर्णय घोषित होने की तिथि तक 12% ब्याज निर्धारित बाजार दर पर दिया जायेगा।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-1: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा
	<ul style="list-style-type: none"> <li>शहरी क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र तक की दूरी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में भूमि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली गुणक कारक लागू किया जाएगा।</li> </ul>
1.(B)	<p>प्रभाव वर्ग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>संरचना का बुकसान (घर, दुकान, भवन या अचलसंपत्ति या भूमि से जुड़ी संपत्ति, पेड़ सहित)</li> </ul>
	<p>अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>प्रतिस्थापन लागत पर मुआवजा</li> </ul>
	<p>कार्यान्वयन मार्गदर्शन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>बिना किसी हास के सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रासंगिक दर के आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संरचना एवं अन्य स्थायी संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण किया जायेगा।</li> <li>उक्त मूल्यांकन पर 100% हरजाना (सोलेशियम) आंशिक रूप से प्रभावित संरचनाओं के लिए, प्रभावित व्यक्ति के पास संपूर्ण संरचना के लिए मुआवजे का दावा करने का विकल्प होगा, यदि शेष भाग अव्यवहारिक हो।</li> </ul>
<p><b>भाग -2: पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन - भूस्वामी एवं उसका परिवार, दोनों जिनकी आजीविका प्राथमिक रूप से अधिगृहित भूमि पर निर्भर है।</b></p>	
2.(A)	<p>प्रभाव वर्ग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>भूमि का बुकसान</li> </ul>
	<p>अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नियोजन या इच्छित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर तथा इसी प्रकार की अन्य परियोजना में आवश्यकतानुसार रोजगार देना एवं तत्समय किसी भी कानून द्वारा प्रावधानित व्यूनतम मजदूरी दर से मजदूरी कम न हो अथवा</li> <li>प्रति प्रभावित परिवार हेतु एक मुश्त रु. 5,00,000/- का भुगतान। अथवा</li> <li>सी.पी.आई.एल. द्वारा उचित सूचीकृत के साथ 20 वर्षों तक रु. 2000/- प्रति माह का भुगतान करेगी।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा
	<ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता वाले प्रभावित परिवारों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक रूप से 3000/- रुपये प्रति माह का निवाह भत्ता।</li> <li>परियोजना के कारण स्थानांतरित होने वाले प्रभावित परिवारों को 50000/- रुपये की परिवहन सहायता।</li> <li>पशुबाड़ा खोने वाले सभी लोगों को 25000/- रुपये की एक बार सहायता।</li> <li>प्रभावित परिवारों के लिए जिन्हें पुनरस्थापित करना है, के लिए 50000/- रुपये का एक बार पुनर्वास भत्ता।</li> <li>अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया गया है और जिन्हें परियोजना के कारण स्थानांतरित करना आवश्यक है उन्हें 50000/- रुपये की अतिरिक्त एक बार सहायता।</li> </ul>
2.(B)	<p>प्रभाव वर्ग</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आवास का बुकसान</li> </ul>
	<p>अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना प्रभावित परिवार जिनको पुनरस्थापित किया जाना है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में इन्विद्सा आवास योजना के अनुसार आवास गृह एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर प्लीन्य तक का गृह/फ्लैट (उनके चाहने पर)।</li> <li>यदि प्रभावित परिवारों द्वारा घर के बदले नकद का चुनाव किया जाता है तो भारत सरकार के इन्विद्सा आवास योजना की प्रणाली के अनुसार गृह के बदले ग्रामीण क्षेत्र में रु. 1,48,000/- एवं शहरी क्षेत्र में रु. 1,50,000/- यह उनके लिये है जिनके पास गृह निर्माण हेतु भूमि नहीं है और जो प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्षों से लगातार निवास कर रहे हैं।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• परियोजना प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नियोजन या इच्छित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर तथा इसी प्रकार की अन्य परियोजना में आवश्यकतानुसार रोजगार देना एवं तत्समय किसी भी कानून द्वारा प्रावधानित व्यूनतम मजदूरी दर से मजदूरी कम न हो अथवा</li> <li>• प्रति प्रभावित परिवार हतु एकमुश्त रु.5,00,000/- का भुगतान। अथवा</li> <li>• सी.पी.आई.एल. द्वारा उचित सूचीकृत के साथ 20 वर्षों तक रु. 2000/- प्रति माह का भुगतान करेगी।</li> <li>• परियोजना के कारण स्थानांतरित होने प्रभावित परिवारों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक रूप से 3000/- रुपये प्रति माह का निर्वाह भत्ता।</li> <li>• परियोजना के कारण स्थानांतरित होने वाले प्रभावित परिवारों को 5000/- रुपये की परिवहन सहायता।</li> <li>• पशुबाड़ा खोने वाले सभी लोगों को 2500/- रुपये की एक बार सहायता।</li> <li>• कारीगर या ख-रोजगार वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार के लिए 2500/- रुपये की एक बार सहायता और जिसे स्थानांतरित करना होगा।</li> <li>• प्रभावित परिवारों के लिए, जिन्हें पुनर्स्थापित करना है, के लिए 5000/- रुपये का एक बार पुनर्वास भत्ता।</li> <li>• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया गया है और जिन्हें परियोजना के कारण स्थानांतरित करना आवश्यक है उन्हें 5000/- रुपये की अतिरिक्त एक बार सहायता।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा	
	कार्यान्वयन मार्गदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> <li>नए घर या स्थल के पंजीकरण शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी परियोजना द्वारा बहन किया जाएगा।</li> </ul>
2.(C)	प्रभाव वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>दुकान/व्यापार /वाणिज्यिक संरचना</li> </ul>
	अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> <li>परियोजना प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नियोजन या इच्छित क्षेत्र में समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर तथा इसी प्रकार की अन्य परियोजना में आवश्यकताबुसार रोजगार देना एवं तत्समय किसी भी कानून द्वारा प्रावधानित न्यूनतम मजदूरी दर से मजदूरी कम न हो</li> <li>अथवा</li> <li>प्रति प्रभावित परिवार हेतु एक मुश्त रु. 5,00,000/- का भुगतान।</li> <li>अथवा</li> <li>सी.पी.आई.एल. द्वारा उचित सूचीकृत के साथ 20 वर्षों तक रु. 2000/- प्रति माह का भुगतान करेगी।</li> <li>परियोजना के कारण स्थानांतरित करने की आवश्यकता वाले प्रभावित परिवारों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए मासिक रूप से 3000/- रुपये प्रति माह का निर्वाह भत्ता।</li> <li>परियोजना के कारण स्थानांतरित होने वाले प्रभावित परिवारों 5000/- रुपये की परिवहन सहायता।</li> <li>कारीगर या स्व-रोजगार वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार या छोटे व्यापारी के लिए 2500/- रुपये की एक बार सहायता और जिसे स्थानांतरित करना होगा।</li> <li>प्रभावित परिवारों के लिए जिन्हें पुनर्स्थापित करना है, के लिए 5000/- रुपये का एक बार पुनर्वास भत्ता।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया गया है और जिन्हें परियोजना के कारण स्थानांतरित करना आवश्यक है उन्हें 50000/- रुपये की अतिरिक्त एक बार सहायता।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> </ul>				
<b>भाग - ३: अवैध निवासियों/अतिक्रमणकारियों पर प्रभाव वे जो वर्तमान पर्यायिकार क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है।</b>					
3.(A)	<table border="1"> <tr> <td>प्रभाव वर्ग</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• अवैध निवासियों पर प्रभाव।</li> </ul> </td></tr> <tr> <td>अधिकार</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• आवास का बुकसान।</li> <li>• प्रभावित संरचना को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने की नोटिस के साथ संरचना के लिए मूल्यहास के बिना, प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर मुआवजा।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> <li>• जिन लोगों को स्थानांतरित करना है और जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए 70000/- रुपये का घर निर्माण अनुदान।</li> <li>• जिन लोगों के घर निर्माण हेतु जमीन नहीं है उन्हें 50000/- रुपये की अतिरिक्त गृह साइट अनुदान।</li> <li>• 18000/- रुपये का एक बार निर्वाह भत्ता।</li> <li>• 10000/- रुपये की स्थानांतरण सहायता राशि।</li> <li>• दुकान का बुकसान</li> <li>• प्रभावित संरचना को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने के नोटिस के साथ संरचना के लिए मूल्यहास के बिना, प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर पर मुआवजा।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> <li>• प्रभावित दुकान के पुनर्निर्माण लिए 20000/- रुपये का एक बार पुनर्वास अनुदान।</li> </ul> </td></tr> </table>	प्रभाव वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अवैध निवासियों पर प्रभाव।</li> </ul>	अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आवास का बुकसान।</li> <li>• प्रभावित संरचना को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने की नोटिस के साथ संरचना के लिए मूल्यहास के बिना, प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर मुआवजा।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> <li>• जिन लोगों को स्थानांतरित करना है और जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए 70000/- रुपये का घर निर्माण अनुदान।</li> <li>• जिन लोगों के घर निर्माण हेतु जमीन नहीं है उन्हें 50000/- रुपये की अतिरिक्त गृह साइट अनुदान।</li> <li>• 18000/- रुपये का एक बार निर्वाह भत्ता।</li> <li>• 10000/- रुपये की स्थानांतरण सहायता राशि।</li> <li>• दुकान का बुकसान</li> <li>• प्रभावित संरचना को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने के नोटिस के साथ संरचना के लिए मूल्यहास के बिना, प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर पर मुआवजा।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> <li>• प्रभावित दुकान के पुनर्निर्माण लिए 20000/- रुपये का एक बार पुनर्वास अनुदान।</li> </ul>
प्रभाव वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अवैध निवासियों पर प्रभाव।</li> </ul>				
अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आवास का बुकसान।</li> <li>• प्रभावित संरचना को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने की नोटिस के साथ संरचना के लिए मूल्यहास के बिना, प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर मुआवजा।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> <li>• जिन लोगों को स्थानांतरित करना है और जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए 70000/- रुपये का घर निर्माण अनुदान।</li> <li>• जिन लोगों के घर निर्माण हेतु जमीन नहीं है उन्हें 50000/- रुपये की अतिरिक्त गृह साइट अनुदान।</li> <li>• 18000/- रुपये का एक बार निर्वाह भत्ता।</li> <li>• 10000/- रुपये की स्थानांतरण सहायता राशि।</li> <li>• दुकान का बुकसान</li> <li>• प्रभावित संरचना को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने के नोटिस के साथ संरचना के लिए मूल्यहास के बिना, प्रतिस्थापन लागत के समतुल्य निर्धारित दर पर मुआवजा।</li> <li>• प्रभावित सामग्री को ले जाने का अधिकार।</li> <li>• प्रभावित दुकान के पुनर्निर्माण लिए 20000/- रुपये का एक बार पुनर्वास अनुदान।</li> </ul>				

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18000/- रुपये की एक बार निर्वाह भत्ता।</li> <li>• 10000/- रुपये की स्थानांतरण सहायता राशि।</li> <li>• गुमटी / फेरीवाले</li> <li>• आर्थिक गतिविधि को जारी रखने के लिए पास के स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए। - महीने की अग्रिम नोटिस।</li> <li>• निर्माण अवधि के दौरान आजीविका के अस्थायी रूप से बुकसान के लिए 3000/- रुपये का मासिक निर्वाह भत्ता आजीविका के लिए व्यवधान की अवधि के लिए भुगतान किया जायेगा, लेकिन 3 महीने से अधिक नहीं।</li> <li>• यदि आस-पास के स्थान पर स्थानांतरण और उसी स्थान पर आर्थिक गतिविधियों को जारी रखना संभव नहीं है, तो एक बार पुनर्वास 18000/- रुपये का अनुदान।</li> <li>• खेती</li> <li>• खेत के प्रभावित क्षेत्रफल में खड़ी फसल की कटाई हेतु 2 महीने की अग्रिम नोटिस या बाजार मॉर्ट्गेज पर खड़ी फसल का मुआवजा।</li> </ul>
	<p>कार्यान्वयन मार्गदर्शन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित अवैध निवासी जो वहां निवास करते हैं, वही उक्त सभी सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे।</li> <li>• अधिकार - क्षेत्र/सरकारी भूमि में संरचना के मालिक जो वहां नहीं निवास करते हैं और संरचना को किशाए पर दिया है, उन्हें संरचना के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा और उन्हें कोई अन्य सहायता नहीं दी जाएगी। कब्जे वाले (अवैध -किशायदार) अन्य सहायता के लिए पात्र होंगे।</li> <li>• केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित उपवेशी जो वहाँ व्यवसाय करते हैं वही उक्त सभी सहायता प्राप्त करने के योग्य होंगे।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-१: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा
	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधिकार - क्षेत्र/सरकारी भूमि में संरचना के मालिक जो वहाँ व्यवसाय नहीं करते हैं और संरचना को किराए पर दिया है उन्हें संरचना के लिए मुआवजा प्रदान किया जाएगा और उन्हें कोई अन्य सहायता नहीं दी जाएगी। कब्जे वाले (उपवेशी-किरायेदार) अन्य सहायता के लिए पात्र होंगे।</li> <li>पी.आई.यू. और कार्यान्वयन समर्थन गैर संगठन/एजेन्सीऐ से प्रभावित सरकारी व्यक्तियों से परामर्श करें और निर्वाह भत्ते और पुनर्वास अनुदान की आवश्यकता का आकलन करें।</li> </ul>
3.(B)	<p>प्रभाव वर्ण</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिक्रमणकर्ताओं पर प्रभाव</li> </ul>
	<p>अधिकार</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>खेती</li> <li>खेत के प्रभावित क्षेत्रफल में खड़ी फसल की कटाई हेतु 2 महीने की अग्रिम नोटिस या बाजार मूल्य पर पर खड़ी फसल का मुआवजा यदि अग्रिम नोटिस नहीं दिया गया हो।</li> <li>संरचना</li> <li>अतिक्रमण ढांचे को ध्वस्त करने के लिए 1 महीने का नोटिस।</li> <li>संरचना के प्रभावित हिस्से के लिए मूल्यहास के बिना निर्धारित लागत पर, प्रतिस्थापन लागत के बराबर मुआवजा।</li> </ul>
	<p>कार्यान्वयन मार्गदर्शन</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>स्थायी फसलों के नुकसान के लिए बाजार मूल्य पी.आई.यू. पी.डब्लू.डी. द्वारा कृषि या बागवानी विभाग के परामर्श से तय किया जाएगा।</li> <li>व्यावसायिक संरचनाओं और अन्य अचल संपत्तियों का मूल्य पी.डब्लू.डी. द्वारा निर्धारित मूल्य (अनुसूची दर) की तारीख के आधार पर अवमूल्यन के बिना निर्धारित किया जाएगा।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-1: शीर्षक धारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा	
भाग -4: समाज के कमजोर परिवारों पर प्रभाव		
4.(A)	प्रभाव वर्ग	
	अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• कमजोर परिवार</li> <li>• कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण। इस सहायता में यात्रा/परिवहन और भोजन के लिए वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण लागत शामिल है।</li> <li>• प्रभावित परिवारों को 25000/- रुपये की एक बार सहायता राशि, जिन्हें पुनर्स्थापित करना है।</li> <li>• मूल उपयोगिताओं और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच का प्रावधान।</li> </ul>
	कार्यान्वयन मार्गदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रभावित परिवार का एक वयस्क सदस्य, जिसकी आजीविका प्रभावित हो रही है कौशल विकास के लिए हकदार होगा।</li> <li>• पुर्ववास योजना के सत्यापन और अद्यतन के दौरान पी आई गैरसरकारी संगठन के सहयोग से पात्र विभिन्न विद्यालय व्यक्तियों की संख्या की पहचान करेगा और प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श में प्रशिक्षण की आवश्यकता का मूल्यांकन करेगा ताकि प्रभावित व्यक्तियों और उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जा सकें।</li> <li>• स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों के परामर्श से पी आई यू और एन जी ओ द्वारा उपयुक्त प्रशिक्षकों या स्थानीय संसाधनों की पहचान की जाएगी।</li> </ul>
भाग -5: निर्माण कार्य के दौरान पड़ने वाले प्रभाव		
5.(A)	प्रभाव वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• संरचना / परिसंपत्तियां / पेड़ / फसलों पर प्रभाव।</li> <li>• निजी जमीन का उपयोग।</li> </ul>
	अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> <li>• टेकेदार परिसंपत्तियों, पेड़, निजी व सार्वजनिक भूमि पर फसलों के बुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि सिविल कार्यों के कारण कोई बुकसान होता है।</li> </ul>

क्र.सं	भाग-1: शीर्षक थारक निजी संपत्ति के बुकसान के लिए मुआवजा	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ठेकेदार को भूस्वामियों से पूर्व लिखित सहमति प्राप्त करनी चाहिए और सिविल कार्यकलापों के दौरान सामग्री के भडारण या वाहनों और मशीनरी के आवागमन या ट्रैफिक के जोड़ के लिए निजी भूमि के उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से सहमत किराये का भुगतान करना चाहिए।</li> </ul>
	कार्यान्वयन मार्गदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> <li>ठेकेदार द्वारा भूमि को अपनी मूल स्थिति में बहाल किया जाएगा। जिसका अनुपालन पी.आई.यू. सुनिश्चित करेगा।</li> </ul>
<b>भाग- 6: सार्वजनिक सम्पत्ति स्रोत</b>		
6.(A)	प्रभाव वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य संपत्ति संसाधनों जैसे कि पूजा के स्थान, सामुदायिक भवनों, स्कूल आदि पर प्रभाव।</li> <li>पानी की आपूर्ति, बिजली आदिजैसी सुविधाएं</li> </ul>
	अधिकार	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थान परिवर्तन या मरम्मत, अगर संभव हो, या प्रतिस्थापन लागत पर नगद मुआवजा।</li> <li>सिविल कार्यों के प्रारंभ से पहले पुनर्स्थापित किया जाएगा और सेवाओं को बहाल किया जाएगा।</li> </ul>
	कार्यान्वयन मार्गदर्शन	<ul style="list-style-type: none"> <li>पी.आई.यू. यह सुनिश्चित करेगा कि सिविल वर्क अनुसूची के अनुसार सड़क गलियारे के उस खण्ड में सिविल कार्य शुरू करने से पहले उपयोगिताओं को स्थानांतरित किया गया है।</li> </ul>
<b>भाग - 7: अप्रत्याशित प्रभाव</b>		
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान आने वाले अप्रत्याशित प्रभावों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था के सिद्धांतों के अनुसार संबोधित किया जाएगा।		

## 8.5 मिट्टी/भूमि की गुणवत्ता के आधार पर मुआवजे के लिए मानदंड

चूंकि भूमि व्यापार/लेनदेन क्षेत्र में हर समुदाय के बीच हो रहा है, पी.ए.पी. के पास मुआवजे के रूप में मिलने वाली राशि के बारे में अपना-अपना दृष्टिकोण है, पी.ए.पी. के अनुसार प्रभावित भूमि का मुआवजा वर्तमान बाजार दर से कम से कम चार गुना तथा परिसम्पत्तियों का भी वर्तमान दर से मूल्यांकन कर मुआवजा दिया जाना चाहिए, यदि इसे अधिग्रहित किया जा रहा है। हाँलाकि, जब राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग से संपर्क किया गया, उन्होंने साझा किया कि भूमि के वगीरण के अनुसार भूमि की दर निर्धारित की जाती है।

## 8.6 भूमि के अधिग्रहण के लिए शर्तें और सिफारिशें

परियोजना के पूरा होने के बाद समुदाय को मिलने वाले लाभों की तुलना में परियोजना की सामाजिक लागतों के प्रभाव की तुलना करने के पश्चात् एस.आई.ए. टीम निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुत करती है :-

- परियोजना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा (4) द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा करती है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करे और इसके लिए व्यूनतम भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
- संभावित पी.ए.पी. और पर्यावरण द्वारा वहन की जाने वाली लागत को कम किया जा सकता है और पूरी तरह से अपूरणीय नहीं है।
- इसलिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण अर्जन निकाय के अनुरोध के अनुसार किया जा सकता है ताकि परियोजना को पूरा किया जा सके। हाँलाकि, भूमि का अधिग्रहण नीचे दी गई शर्तें और सिफारिशों के अधीन होना चाहिए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना और इस रिपोर्ट के अन्य प्रासंगिक अध्यायों में दिए गए हैं, जो उपर्युक्त लागत-लाभ विश्लेषण पर आधारित हैं।

## 8.7 सरकार द्वारा स्वीकृत भूमि दर के आधार पर भू-स्वामियों को दी जाने वाली मुआवजा राशि

सार्वजनिक परामर्श में भू-स्वामियों ने परियोजना के लिए अपनी भूमि और संरचनाओं के मुआवजे की राशि और प्रक्रिया के प्रति अपनी आशंका जाहिर की है। मुआवजे की राशि उचित और कानून के अनुसार होनी चाहिए। इसके अलावा, यह भूमि और संरचना मालिकों के लिए फायदेमंद होना चाहिए जो अपनी भूमि और संरचनाओं को खो देंगे अर्जन निकाय को प्रभावित क्षेत्र के संबंधित राजस्व विभाग से इस मूल्य की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 26(1) के अनुसार भूमि के मौजूदा मूल्य का निर्धारण करते समय इस पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए।

- अचल संपत्ति के लिए मूल्यांकन और मुआवजा:-

यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो भूस्वामियों की अचल संपत्ति, जैसे पेड़, कुंए, नलकूप, मवेशी शेड, चारदीवारी और अन्य अचल संपत्ति प्रभावित होगी। यह अनुशंसा की जाती है कि इन अचल संपत्तियों का मूल्यांकन और मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 28 और 29 के आधार पर होनी चाहिए।

- प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की आजीविका की बहाली पी.ए.एफ. को अपनी कृषि आय और कृषि आधारित आजीविका या अपनी मौजूदा आजीविका का एक हिस्सा या पूरी तरह से खोने की संभावना है। यह अनुशंसा की जाती है कि यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो उनकी आजीविका को बहाल करने के लिए अर्जन निकाय द्वारा पर्याप्त वित्तीय और भौतिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। आजीविका की

बहाली मौजूदा आजीविका संपत्ति, कौशल और शिक्षा और वर्तमान व्यवसाय और प्रत्येक संभावित पी.ए.एफ. की आय पर आधारित होनी चाहिए। कम से कम उस स्तर तक सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि आय को परियोजना-पूर्व स्तरों पर बहाल किया जा सके और अधिग्रहण के बाद उनकी समग्र स्थिति में सुधार हो।

### **8.8 भूमि की लागत का अनुमान**

अंतिम मुआवजे का फैसला पी.ए.एफ. की सहमति से और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाना चाहिए।

इस MMLP परियोजना की कुल लागत लगभग 310 करोड़ रुपये है। भूमि एवं परिसम्पत्तियों के मुआवजे के रूप में देय राशि लगभग 21 करोड़ (Table 8.2) आँकी गई है किन्तु सामाजिक समाधान शमन हेतु सुझाये गये कई अन्य उपायों को भी लागू करना अपेक्षित है।

### **8.9 परियोजना से होने वाले लाभ का आकलन**

परियोजना निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात् इसका किशनगढ़, ब्यावर एवं सांभरलेक क्षेत्र के औद्योगिक विकास में कितना योगदान होगा, इसका अनुमान राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित कनकपुरा MMLP के आँकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले वर्ष में कनकपुरा MMLP से 41,000 TEU निर्यात और 29,000 TEU आयात किया गया अर्थात् कुल 70,000 TEU व्यापार किया गया। इतना व्यापार MMLP के माध्यम से होने के कारण न्यून लॉजिस्टिक दरों, सड़कों पर लगने वाले जाम एवं प्रदूषण से बच पाना सम्भव हो गया। प्रस्तावित MMLP परिचालन से जहाँ किशनगढ़ के मार्बल व्यवसाय, ब्यावर के औद्योगिक उत्पादन एवं सांभरलेक से तैयार नमक को देश के सभी कोनों में नियंत्रित दरों पर पहुँचाना सम्भव होगा, वही यह इय क्षेत्र के नये उद्योगों/व्यवसायों की सम्भावनाओं को भी प्रोत्त्वित प्रदान करेगा। राजस्थान

जैसे राज्य जिसमें औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं का दोहन नहीं हो पाने का एक मुख्य कारण यहाँ की कमज़ोर आधारभूत संरचना है, उसमें ऐसी परियोजनाओं के आने से भविष्य में दीर्घावधि तक व्यापार, रोजगार, राजस्व एवं आर्थिक विकास का बातावरण बनाने में सहायता मिलेगी।

**निष्कर्ष** - सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी सभी प्रभावों की गणना मौद्रिक रूप में सम्भव नहीं है किन्तु यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि सभी नकारात्मक प्रभावों को न्यूनतम करके एवं सकारात्मक प्रभावों में अभिवृद्धि करके इस परियोजना से क्षेत्र एवं CONCOR के साथ-साथ भूमि खोने वाले भू-स्वामियों को भी राहत दी जा सकती है।

तात्पुरा ८.२: भग्नि की अनुक्रमित लागत

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील	गांव का नाम	प्रभावित निजी क्षेत्रफल (हि.0मि)	साकान्य कृषि भूमि दर (हि. एल.सी. अनुसार क. प्रति है.0)	भूमि का कूल्य (रु. लाख में)	शुणक कारक	शुणक उपचलन भूमि का कूल्य (रु. लाख में) (7x8)	नियमानुसार प्रतिशत सोलेशियम (रु. लाख में) (9x1)	नियमानुसार प्रतिशत स्थान 1 रर्स का (रु. लाख में) (9x12%)	भूमि का कूल्य (रु. लाख में) (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जयपुर	फुलेया	सामालपुरा	38.677	469027	182.7690	2	365.54	365.54	43.865	774.941
2.	जयपुर	फुलेया	इयोमिंहपुरा	4.4349	390882	17.3352	2	34.67	34.67	4.160	73.501
3.	जयपुर	फुलेया	शार्दुलपुरा	49.222	469027	229.9273	2	459.854	459.854	55.183	974.892
4.	जयपुर	फुलेया	कन्देवती	23.628	258030	61.8312	2	123.662	123.662	14.839	262.164

नोट: उपरोक्त अबुमानित लागत RFTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पात्रता मैट्रिक में ऊपर दिया गया है। भूमि एवं सुआवजा RFTLARR Act, 2013 के प्रावधानानुसार याजस्थान सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली गुणक कारक अनुसार दिया गया है। परिसंपत्तियों के नुकसान की कृत अबुमानित लागत रुपये 20.85 करोड़ है। यह छात्र दिया जाना चाहिए कि यह अबुमानित लागत है। पी.ए.एफ. की भूमि एवं परिसंपत्तियों की इस अबुमानित लागत के मूल्यांकन के बाद यांवधित मूल्यांकन ऐंजिनियरों द्वारा अंतिम लागत की गणना की जानी चाहिए।

## अध्याय-९

जयपुर जिले की फुलेरा तहसील के चार गाँवों सामलपुरा, शार्दुलपुरा, श्योसिंहपुरा एवं कंदेवली में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP निर्माण परियोजना के लिए राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं 2016 के अनुसार सामाजिक समाधात प्रभाव अध्ययन किया गया। इस अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जन सुनवाई का आयोजन 13 अप्रैल, 2023 को किया गया। इस जन सुनवाई कार्यक्रम के आयोजन हेतु लोकसूचना का प्रकाशन प्रतिष्ठित स्थानीय अखबारों में किया गया। यह लोकसूचना सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को क्रमांक 183-184 द्वारा जारी की गई।



SDM श्री जयंत कुमार चौधरी  
भू-खामियों को अपनी बात  
समझाते हुए।



### राजस्थान पत्रिका

### दैनिक भास्कर

### मंदिर श्रीसीताराम जी में 21 तोपों की सलामी के साथ होगा ठाकुरजी का अभिषेक

जयपुर मंदिर श्री सीताराम जी छोटी चौपड़ में श्रीराम जन्मोत्सव समाज श्री सीताराम की ओर से गृहवार को आया जाएगा। 21 तोपों से सलामी देकर सुबह 11 बजे रामजी का 51 किलो दूध से 11 पहित मंत्रोच्चारण के साथ गमजी का अभिषेक किये गये। ठाकुर को नव वस्त्र धारण करते जाएंगे। ठाकुर क्रतु पूर्णी से शूषा किया जाएगा। ठाकुर को छम्प भोग अर्पित कर शेष घनि से 101 घाली में दोप सजा कर भक्त आली करेंगे।

**सदाप्र प्राधिकारी भूमि अधिकारी एवं उपछण्ड अधिकारी, सांघरात्क जिला जयपुर**  
दिनांक: 22.03.2023  
क्रमांक: 153-184  
विषय: जयपुर जिले के सामाजिक सेक्टर (फुलोरा) नहानील ये सार्वजनिक प्रयोगनार्थ प्रस्तावित घट्टी योग्य स्टीमिंगिटेक्स पार्क विकास योरोजना के लिये भूमि अधिग्रहण करने के काम में विनाशित गंडवी नियम-5 के तहत आयोजित जनसुनवाई के संबंध में।

उपरोक्त विवरणात लेख है कि इकाई संर्दूर्धत एवं उपस्थान उत्पन्न विशेषज्ञ दिनांक 19 फ़रवरी 2022 के मुद्यम से सार्वजनिक प्रयोगनार्थ प्रस्तावित घट्टी योग्य स्टीमिंगिटेक्स पार्क विकास योरोजना हेतु एच सल्फर घूमि अर्बन पुनर्वसन और चुक्कीवाल्याम में अधित फ़ासिल और फ़ारदरित्व से अधिकार अधीक्षिक, 2013 से 2016 के अधीन सार्वजनिक प्रयोगनार्थ नियांकित गंडवी अधिग्रहण करने हेतु घूमि अर्बन से एक सम्बोधित प्राक्षय अर्बन (सासार्ही) किया जान फ़्रैश्वाइट है। इस कारबून में विनाशित गंडवी अधिग्रहण है।

क्र. सं.	गाँव का नाम	तालीम	दिनांक	समाप्ति	समय
1	सामलपुर	सांघर सेक्ट	13.04.23	राजीव गांधी भवन निर्माण केन्द्र सहृदयपुर	11.00 am से 1.00 pm
2	रामटुलपुर	सांघर सेक्ट	13.04.23	राजीव गांधी भवन निर्माण केन्द्र सहृदयपुर	11.00 am से 1.00 pm
3	रमेशंगपुर	सांघर सेक्ट	13.04.23	राजीव गांधी भवन निर्माण केन्द्र सहृदयपुर	11.00 am से 1.00 pm
4	कर्णपुरी	सांघर सेक्ट	13.04.23	समुद्रिक्ष भवन कन्देशी	1.30 pm से 2.30 pm

सहम प्राधिकारी भूमि अधिकारी एवं उपछण्ड अधिकारी, दोआईपीआर/सो/4781/2023 सांघर सेक्ट, जिला जयपुर

## 9.1 जन सुनवाई के उद्देश्य

ड्राफ्ट रिपोर्ट पर ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक जन सुनवाई का आयोजन किया गया जिसमें आपत्ति, प्रतिक्रिया और परिणाम आदि पर विचार के लिए भू-स्वामियों को अवसर दिया गया। यह जन सुनवाई सक्षम अधिकारी (भू-आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के 3 सप्ताह बाद रखी गई। अंतिम प्रतिवेदन में सर्वेक्षण कार्य के परिणाम एवं उसके बाद के परिणामों एवं जन सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित भू-स्वामियों, ग्राम जन व जन प्रतिनिधियों द्वारा जो बात/माँग रखी गई, को शामिल किया गया है। इस जन सुनवाई के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः-

1. सामाजिक समाघात अध्ययन प्रतिवेदन रिपोर्ट को प्रस्तुत करना व भू-स्वामियों को बताना कि उनसे चर्चा कर उनकी माँग/पक्ष को सही तरीके से रखा गया है।
2. भू-स्वामियों की प्रस्तुत माँग (अध्ययन के दौरान) को अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत करना।
3. भूमि अवाप्ति के लाभ व हानि पर चर्चा।
4. MMLP निर्माण में चार गाँवों सामलपुरा, सार्दुलपुरा, श्योसिंहपुरा एवं कदेवली, तहसील फुलोरा, जिला जयपुर के निर्माण से स्थानीय जनता को लाभ पर चर्चा।
5. उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीणजन व भू-स्वामियों द्वारा अपनी बात अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना ताकि जो बातें ड्राफ्ट सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट में अगर रह गई हैं, उन्हें जुझावाना ताकि उनकी समस्त माँगें व सुझाव अंतिम प्रतिवेदन में सम्मिलित की जा सकें।
6. स्थानीय ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीणजन से संवाद स्थापित करना ताकि MMLP निर्माण से होने वाले लाभ व हानि की जानकारी साझा करना। साथ-साथ ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव प्राप्त करना।

## 9.2 जन सुनवाई के दौरान उद्घये गये प्रमुख मुद्दे

जन-सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित भू-स्वामियों के साथ जन व जन-प्रतिनिधियों द्वारा जो बात/माँग रखी गई -

1. सभी उपस्थित भू-स्वामियों द्वारा यह माँग की गई कि जमीन के बदले में मिलने वाला मुआवजा बाजार दर दिया जावें व एक मुश्त दिया जावें। साथ-साथ यह भी माँग की गई कि भूमि पर स्थापित ढँचा, पार्किंग लाईन व वृक्ष का भी उचित मुआवजा दिया जावें। मुआवजा राशि तय करते समय उसकी Location यथा Corner इत्यादि का ध्यान रखने की भी माँग की गई। किसानों ने मुआवजा राशि 25 से 50 लाख प्रति बीघा की माँग की।
2. जन प्रतिनिधियों ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि प्रभावित चारों गाँवों की DLC दर अत्यंत कम है जबकि कन्देवली गाँव की भूमि से नरेना नगरपालिका लगती हुई है और अन्य तीन गाँवों की भूमि से फुलेडा नगरपालिका की भूमि लगती हुई है अतः मुआवजे के लिए इन दोनों नगरपालिकाओं की DLC दरों को आधार माना जाये।
3. भू-स्वामियों का कहना था कि चूंकि अवाप्त की जा रही भूमि का वाणिज्यिक उपयोग होगा अतः कामर्शियल DLC के आधार पर मुआवजा दिया जाये।
4. MMLP के निर्माण व संचालन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिया जावें ताकि उन्हें जमीन के बदले नौकरी मिल सकें।
5. भूमि अवाप्ति क्षेत्र में शार्दुलपुरा से कन्देवली गाँव जाने वाली सड़क जो पहले से आम रास्ता है, वह MMLP निर्माण पश्चात् रुक जावेगा। अतः वैकल्पिक सड़क सम्पर्क उपलब्ध करवाया जाये।
6. कन्देवली गाँव में भहिलाओं ने सबसे बड़ी समर्था पीने के पानी की अनुपलब्धता बताया। उन्होंने बताया कि बीसलपुर से गाँव तक

पाईप-लाईन डाली तो गई थी, लेकिन उसमें टूटफूट की वजह से नल का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा और उन्हें कई किलो मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है अतः गाँव में नल जल की व्यवस्था की होनी चाहिए।

7. भू-स्खामियों द्वारा सम्मिलित खातों के विभाजन के बारे में बताया गया जिस पर एस.डी.एम. साहब ने उनसे पहले ही कार्यवाही करने के लिए कहा कि वे सहमति से विभाजन कर लेवें।
8. कुछ प्रतिभागियों ने न तो अपनी उपस्थिति दर्शायी, न ही उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि वे इस परियोजना हेतु भूमि अवाप्ति के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार परियोजना के लिए चरागाहों की भूमि अवाप्त की जानी चाहिये न कि कृषकों की। साथ ही उन्होंने परियोजना मानचित्र पर रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किमी दूर जा कर अवाप्ति क्षेत्र को छौड़ा किये जाने पर भी प्रश्न उठाये।



CONCOR के अधिकारी परियोजना मानचित्र समझाते हुए

एस.डी.एम. व भू-अवाप्ति अधिकारी श्री जयंत कुमार चौधरी तहसील/उपखण्ड कार्यालय सांभरलेक, जिला जयपुर द्वारा कुछ सुझाव व किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए गये जो निम्न हैं-

- भूमि अवाप्ति के दौरान भू-स्थामियों/किसानों को वर्तमान स्थिति के अनुसार/गिरदावरी के अनुसार मुआवजा दिया जावेगा व वर्तमान DLC दर व वर्तमान रिकार्ड के अनुसार दिया जावेगा। राज्य सरकार के नियमानुसार गुणक लगा कर मुआवजा राशि तय की जायेगी।
- भूमि अर्जन क्षेत्र में संचना, क्षेत्र व अन्य कोई परिसम्पत्ति है जैसे पाईप-लाईन, कुँआ इत्यादि उनका भी मुआवजा दिया जावेगा।
- उनके द्वारा बताया गया कि भू-स्थामियों द्वारा सहमति से जमीनों का बटवारा व तरमीम करवा लना चाहिए। अगर आपस में बटवारों में सहमति नहीं बनती है तब दावा एस.डी.एम. कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

### 9.3 जन सुनवाई बैठक - कार्यवाही विवरण

उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक, जिला-जयपुर  
जन-सुनवाई बैठक/कार्यवाही का विवरण

मित्रांक: अक्टूबर/२०२३/६९९

दिनांक: १८/४/२३

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्राकधानुसार तहसील सांभर लेक, जिला जयपुर में प्रस्तावित मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना में भूमि अर्जन/अधिग्रहण करने के क्रम में नियमानुसार सामाजिक समाचार प्रभाव (एस.आई.ए) अध्ययन की प्रतिक्रिया हेतु जन-सुनवाई का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

#### जन-सुनवाई बैठक का विवरण

क्र. सं.	गाँव का नाम	तहसील	दिनांक	स्थान	समय
1	सामलपुरा	हैं		भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, शार्दुलपुरा	प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
2	शार्दुलपुरा	हैं			
3	श्योसिंहपुरा	हैं	29.03.2023	सामुदायिक भवन कन्देवली	दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक
4	कन्देवली	हैं			

उपस्थिति : सर्व श्री एवं श्रीमती

- जयन्त कुमार, उपखण्ड एवं भूमि अवासि अधिकारी, उपखण्ड-सांभर लेक, जिला-जयपुर।
- कृष्णा शर्मा, तहसीलदार, उपखण्ड-सांभर लेक, जिला-जयपुर।
- चन्द्रलाल, सरपंच ग्राम पंचायत सामलपुरा/शार्दुलपुरा, ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा, फुलेरा, जिला-जयपुर।
- मुकेश यादव, सरपंच प्रतिनिधि श्योसिंहपुरा, ग्राम पंचायत खेडीराम, फुलेरा, जिला-जयपुर।
- रामसहाय, सरपंच प्रतिनिधि कन्देवली, ग्राम पंचायत दैनसुरा, फुलेरा, जिला-जयपुर।
- अल्पना कटेला, व्याख्याता, राजरथान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- रामभगत, प्रवाधक, कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉनकोर) जयपुर।
- भूपेन्द्र सिंह यादव, सहायक अधिकारी (Tech.), कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉनकोर) जयपुर।

सार्वजनिक परामर्श बैठक में उपरिथित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। सार्वजनिक जन-सुनवाई बैठक की सूचना कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक, जिला जयपुर के पत्र क्रमांक 185-189 दिनांक 22.03.2023 द्वारा करवाई गई थी, जिनकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जो कि क्रमशः दैनिक भारकर एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्रों में दिनांक 22.03.2023 को प्रकाशित करवाई गई थी, जो कि परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। उक्त जन-सुनवाई की फोटोग्राफ परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉनकोर), जयपुर से प्रबंधक श्री रामभगत ने सार्वजनिक परामर्श बैठक में पश्चारे उपखण्ड एवं भूमि अवासि अधिकारी, तहसीलदार, व्याख्याता, जन-प्रतिनिधि,

उपसर्पंच एवं प्रभावित खातेदारों का स्वागत करते हुए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना के बारे में संक्षिप्त में बताया।

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानुसार सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन किया गया और उसके अनुसार ही मुआवजा व अन्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयन्त कुमार, उपखण्ड एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, तहसील सांभर लेक, जिला जयपुर (राज.) ने जनसुनवाई में उपस्थिति लोगों को अपने विद्यार/आपत्ति/सुझाव प्रकट करने के लिए आमन्त्रित किया, जो कि निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	प्रश्नकर्ता का नाम	प्रश्न	प्रतिउत्तर
1	श्री मोहन लल चौधरी (शारुलपुरा)	प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया कि यह परियोजना ग्राम सामलपुरा से निकल ग्राम कन्देवली को जोड़ती है, जो यदि ऐसा होता है तो दोनों ग्रामों की कनेक्टिविटी समाप्त हो जायेगी।	प्रश्नकर्ता के जवाब में प्रबन्धक कॉन्कोर ने बताया कि दोनों ग्रामों के बीच कनेक्टिविटी को समाप्त नहीं किया जायेगा, वहाँ सड़क का निर्माण किया जायेगा, जिससे कि ग्रामीणों की आवाजाही असान हो सके।
2	श्री मूलचन्द चौधरी (सामलपुरा)	प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया कि कुएं एवं खेत का किस आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है एवं हमारे खेतों में पेड़ भी आ रहे हैं, उनका क्या होगा?	प्रश्नकर्ता के जवाब में उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि मुआवजा राशि राजस्थान के नियमानुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 एवं नियम 2016 के अनुसार दिया जायेगा। वृक्षों के मुआवजा का भी नियम में प्रावधान है, उसके अनुसार ही मुआवजा दिया जायेगा।
3	श्री कान्जी नाथनवा (श्योसिहपुरा)	प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया कि ग्रामीणों के विकास और रोजगार हेतु क्या व्यवस्था रहेगी?	प्रश्नकर्ता के जवाब में प्रबन्धक कॉन्कोर ने बताया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को शिक्षा/अनुभव एवं योग्यतानुसार रोजगार की प्राथमिकता रहेगी।

क्र. सं.	प्रश्नकर्ता का नाम	प्रश्न	प्रतिचक्र
4	श्री हनुमान निठारवाल (कन्देवली)	प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया कि प्रभावित खातेदारों को डी.एल.सी. दर का न्यूनतम पांच गुना मुआवजे दिया जाये। हमारे गैरों की डी.एल.सी. दर बाजारी दर से काफी कम है।	प्रश्नकर्ता के जवाब में उपर्युक्त अधिकारी ने बताया कि मुआवजा राशि राजस्थान के नियमानुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 एवं नियम 2016 के अनुसार दिया जायेगा।
5	श्री निरंजन चौधरी (सामलपुरा)	प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया कि हमारे खेतों आ रहे भविरों/गुणियों का क्या किया जायेगा।	प्रश्नकर्ता के जवाब में उपर्युक्त अधिकारी ने बताया कि भारत में आस्था का केन्द्र मंदिर है, यदि परियोजना में मंदिर/गुम्टियाँ आती हैं तो कॉन्कोर अपने स्तर पर मंदिर को रि-लोकेट करेगा।

कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (कॉन्कोर), जयपुर से प्रबंधक श्री रामभगत ने बताया फुलेरा में स्थित लॉजिस्टिक पार्क एकिजम कंटेनर यातायात को आकर्षित करेगा। आयात की कमोडिटी के अनुसार मुख्य रूप से रही, रसायन, धातु स्क्रैप, मार्बल्स, ग्रैन्यूल आदि शामिल होंगे। दूसरी ओर, निर्यातकों में मुख्य रूप से कपड़ा और धागा, प्रिंटिंग स्याही, रसायन, विद्युत उत्पाद, वस्त्र, आदि शामिल हैं। चूंकि वर्ष 2021-2022 में द्वेनों की संख्या प्रतिदिन एक से दो है, इसलिए उपरोक्त ट्रैफिक की हँडलिंग के लिए यार्ड में 4-5 रेलवे लाइन होना अति आवश्यक है।

चूंकि विकासशील देशों का विकास का स्तर व्यापार से भी देखा जाता है, इसलिये उक्त परियोजना को अपना फुलेरा, अपना विकास से जोड़ना चाहिये। जहाँ भी लोक हितार्थ परियोजनाओं आती है, तो उसका समुचित अध्ययन किया जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि परियोजना में हानि होने की अपेक्षा की तुलना में लाभ अधिक है और आने वाले समय में परियोजना को याद किया जाता है।

तथ्यचात्, उपर्युक्त अधिकारी ने सार्वजनिक परामर्श बैठक में पधारें लगभग 70-80 से अधिक प्रभावित खातेदारों, जनप्रतिनिधि एवं अन्य सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की।



(जयन्त कुमार)  
उपर्युक्त अधिकारी से संबंधित  
सामाजिक अधिकारी  
सांभर लेकर डिल्ली (जम्मूकश्मी)

तालिका 9.1 जन सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी

क्र.सं.	नाम	पद	मोबाइल नंबर	टॉप
1.	श्री जगन्नाथ कुमार	S.O M सेक्टर	8849753995	
2.	श्रीमति अल्पा नदेश	अधिकारी S.I.A	9602855442	Alpana
3.	" कृष्णा शर्म	TDR फोटो	7374880670	Krishna
4.	श्री रामेश अग्रवाल	टाइपर मृत्युजर	9996541652	Ramesh
5.	" हारे आहे	रेटार्क बटलिनर	9672375056	Hare
6.	" -वन्देश्वर पीयरी	संरचना, दर्ताकुलपुरा	9414593463	Vandeshwar
7.	" निरेजन पीयरी	बनसकु	9414593463	Niraj
8.	हिमानी	फटवारी कृष्णकुमारी	8619475039	Himani
9.	रवल्लासाम भीजा	भू अधीक्षि	9829013922	
10.	दुर्वाला शिंदे	दृवारी श्रीमती	9413280887	Durvala
11.	ब्राह्म लेल	भू. डॉ. निमाळा	9602920263	Brahm
12.	रामवता कुमारी	कृत्यपन्थ उपस्थिति	958780443	Ramvata
13.	श्रीमति विजय यादव	सौ अधिकारी त.	9976107263	Vijay
14.	श्रीमति विजय	रामवता	9928191632	Ramvata
15.	श्रीमति विजय	श्रीमति विजय	9928191632	Vijay
16.	श्रीमति विजय	श्रीमति विजय	9928231386	Vijay
17.	संवाराम खांडे	संवाराम	9828378435	Sambaram
18.	लीलामा	लीलामा	9460247081	Lilema
19.	रामकृष्ण	रामकृष्ण	7518048501	Ramkrishna
20.	श्रीमति विजय	विजय	9928287372	Vijay

क्र.सं.	नाम	पद / दृष्टि	मोबाइल नम्बर
21.	दृष्टि नी.	स्थान-स्थापना	9799626242
22.	जेवर लाल	स्थान-स्थापना	9829110333
23.	कोक्कलाल नी.	स्थान	8290064925
24.	अमच्छाशम-चौधरी	उत्तराधिकारी	9057528837
25.	शशिज्ञासाधन	दृष्टि-स्थान-स्थापना	9110823286
26.	शशिज्ञासाधरी	स्थान-स्थापना	7611830253
27.	शशिज्ञासाधरी	स्थान-स्थापना	8741890610
28.	शशिज्ञासाधरी	स्थान-स्थापना	9929797806
29.	रमेश-प-प साधरी	स्थान-स्थापना	8000091374
30.	केष्मधेय चौरा	स्थान-स्थापना	9785657017
31.	शशिज्ञासाधन शास्त्री	स्थान-स्थापना	9980608784
32.	शशिज्ञास	स्थान-स्थापना	9929161230
33.	शशिज्ञास	स्थान-स्थापना	7014761049
34.	हरस्त्रवराग	स्थान-स्थापना	9269303367
35.	परभनी ह	स्थान-स्थापना	9166355919
36.	कृष्ण	स्थान-स्थापना	9928439311
37.	उमरगांवन	स्थान-स्थापना	8619291341
38.	उमामा	स्थान-स्थापना	वलवा 881344
39.	पितमही	विजयी/सही	9314220829
40.	उमरगांव	स्थान-स्थापना	9829763060

क्र.सं.	नाम	पद / उपचारा क्रम	मोबाइल नम्बर
41.	जीष्ठा	गोपकर्ता	9849 473737
42.	विस्मिता	सहाय्यक	9494823919
43.	चीष्ठाम	वौशि व) अ	94618-33312
44.	द्वनुभान	द्वनुभान	
45.	चौधर्ण मुकेश जी (सर्टिफिकेट दुप चालने)	पालकर्ता	9829 877580
46.	जड़ीलराम	पालकर्ता	9829980982
47.	लालुराम	पालकर्ता	9829 9450372821
48.	मुखिलाम	पालकर्ता	984260 46296
49.	राजदुआर-चौधरी	राजदुआर	9828501899
50.	केलाश	सामग्री श	8432569652
51.	मोरीराम	पालकर्ता	7827203000
52.	रामनराम	पालकर्ता	-
53.	द्वनुभान	पालकर्ता	9829 945012
54.	द्वनुभान	पालकर्ता	9829961069
55.	शंकर	पालकर्ता	9782885611
56.	द्वितीय	पालकर्ता	9829699482
57.	द्वेषयन्द	पालकर्ता	9660949411
58.	मेहरा	पालकर्ता	9332382657
59.	फूलिलाल	पालकर्ता	9332862350
60.	द्वनुभान	पालकर्ता	95-88 204204 9432346212

क्र.सं.	नाम	पद / इमारातीकर	मोबाइल नम्बर
61.	राजेश्वर मुमुक्षुघरी	ज्ञानमूला	9822995878
62.	शालुराम वर्मा	महान्‌गुरु	8875700268
63.	एशरीलाल	दृष्टि	9001574799
64.	श्रीदत्त-वीरघरी	दृष्टि	9664222016
65.	पद्मलाल	उद्धार	9352-862350
66.	चंद्रमोहन ठाकुर	वास्तु	7014707096
67.	शालुराम	वास्तु	9980372521
68.	पटु	वास्तु अ.वा.	8432346442
69.	मुमुक्षु	मुमुक्षु	9299104288
70.	कृष्ण	वास्तु	6376058102
71.	भीमपुराज	आमचकार	9511516464
72.	मालविका	वास्तु	6375440905
73.	श्रीनगरीघरी	वास्तुचापरा	8824352789
74.	रामेश्वर-पर्यटक	वास्तु	8949718136
75.	कृष्ण वर्मा	वास्तु-वास्तु	7740402919
76.	श्रीनगरीघरी	वास्तु	7665546220
77.	रामेश्वर	वास्तु	7014127036
78.	रामेश्वर-वास्तु	वास्तु	

परिशिष्ट-२

**सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी,  
सामरलेक जिला जयपुर**

क्रमांक

।६-८१

१. सम्पादक महोदय,  
सामरलेक पत्रिका
२. सम्पादक महोदय,  
दैनिक भास्कर

**विषय** जयपुर जिले के सामर लेक (फुलेरा) तहसील में शार्कनिक पर्योजनार्थ प्रस्तावित भूमि प्रस्तुत लौटेनिक्स पार्क नियोजन परियोजना के लिए मूर्गी अधिकारी प्रस्तुत करने के क्रम में नियन्त्रित गांवों नियम-३ के तहत आगोड़ित जनसुनवाई को सामाजिक पत्र से प्रकाशित करने के बाबा में।

**महोदय**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है वे लोकों द्वारा दो गांवों में सम्पादित विशेषक दिनांक १९ दिसंबर २०१२ के बाद से सार्वजनिक पर्योजनार्थ प्रस्तावित भूमि गोदल लौटेनिक्स पार्क नियोजन परियोजना हेतु सभी सरकारी भूमि अवैत गांवों का एवं इनका विवरण दिया गया है और पर्याप्त जांच के बाद इन गांवों को नियन्त्रित गांवों अधिकारी करने हेतु भूमि अधिकारी से पूर्ण सामाजिक प्रश्न भास्करलेक पत्रिका द्वारा उपलब्ध है। इन गांवों नियन्त्रित गांवों में मूर्गी अवैत हेतु जन सुनवाई वर्ष २०१२ के बाद से दो बार हो चुकी है।

विशेष सम्प्रस्तुत प्राधिकारी की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

क्र.सं	गांव का नाम	तहसील	दिनांक	स्थान	समय
१	सामरपुरा	सामर लेक	१३.०४.२३	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र साईलपुरा	११.०० am से १.०० pm
२	शाईलपुरा	सामर लेक	१३.०४.२३	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र साईलपुरा	११.०० am ते १.०० pm
३	श्वेतसिंहपुरा	सामर लेक	१३.०४.२३	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र साईलपुरा	११.०० am से १.०० pm
४	कंदेवली	सामर लेक	१३.०४.२३	समुदायिक भवन कन्देवली	१.३० pm से २.३० pm

कृपया इस कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, सामर लेक,  
जिला जयपुर

पाठी ।८५-१८९

१२४।१२।२०१३

प्रतिलिपि : नियन्त्रित कूचनार्थ एवं आपस्क कार्य हेतु प्रस्तुत है:-

१. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जिला-जयपुर।
२. कन्टेनर कौरपोरेशन औफ हिंद्या लि. (कॉनकोर), इनलेण्ड कन्टेनर डिपो, कनकपुरा, जयपुर।
३. सामाजिक समाधान एजेन्सी प्रभु फारम्हेशन, जयपुर।
४. तहसीलदार फुलेरा भुजसामरलेक।
५. सरपंच ग्राम पंचायत शाईलपुरा, खेडीराम, चैनपुर।

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी, सामर लेक,  
जिला जयपुर

सक्षम प्राधिकारी भूमि अधिपति एवं उपराज्यकारी, सामरत्तेक जिला जयपुर

क्रमांक: 183-184

दिनांक: 22.03.2023

**विषय:** जयपुर जिले के सोधा लेक (फूलसोग) तहसील द्वे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित मल्टी पोहल सॉलिस्टिकम पार्क निर्माण परियोजना के लिये भूमि अधिग्रहण करने के काय द्वे निम्नलिखित गांवों नियम-३ के तहत आयोजित जनसंनाई के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त संदर्भित पत्र राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित यस्ती घोषणा लोअरिस्टबस पार्क निर्माण परियोजना हेतु राज्य सकार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 एवं 2016 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निर्मांकित गांवों अधिग्रहण करने हेतु भूमि अर्जन से पूर्व सामाजिक प्रभाव आवलन (एसआईए) किया जाना ग्रावधानित है। इस बाबत् निम्न प्रधायित गौष में भूमि अर्जन हेतु जन-सुनवाई बैठक का आयोजन किया जाना है।

क्र. सं.	गांधी का नाम	ताहसील	दिनांक	स्थान	समय
1	सामलपुरा	सांभर लैक	13.04.23	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र सामलपुरा	11.00 am से 1.00 pm
2	शार्दुलपुरा	सांभर लैक	13.04.23	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र शार्दुलपुरा	11.00 am से 1.00 pm
3	श्योसिंहपुरा	सांभर लैक	13.04.23	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र शार्दुलपुरा	11.00 am से 1.00 pm
4	कंदेवसी	सांभर लैक	13.04.23	सामुदायिक भवन कंदेवसी	1.30 pm से 2.30 pm

संस्कृत प्राचीनकारी भूमि अवादित एवं उपरखण्ड अधिकारी,  
ठीआईपीआर/सी/4781/2023 सांभर लेन्ड, जिला जयपुर

दिनांक 22.03.2023

(दिनिक सार्वकर)

## सक्षम प्राधिकारी भूमि अवासि एवं उपखण्ड अधिकारी, सांभरलेक जिला जयपुर

क्रमांक: 183-184

दिनांक: 22.03.2023

**विषय:** जयपुर जिले के माध्यम से (फूलगढ़) तहसील में भूमि अवासि प्रस्तावित मत्तों  
मोड़न लॉजिस्टिक्स याकू निर्माण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने के कारण में  
निम्नलिखित गांवों में यम-५ के तहत आवासि नन्यान्वयन के बाब्त हैं।

उपोक्ता विषयान्तरां लेख है कि उक्त माध्यमित दब गजस्थान गजपत्र विशेषाक दिनांक 19.  
दिसम्बर 2022 के माध्यम में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित मल्टी मोड़न लॉजिस्टिक्स  
याकू निर्माण परियोजना हेतु राज्य माकार भूमि अञ्जन नन्यान्वयन और नन्यान्वयन में चित्त  
प्रतिकरण और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं 2016 के अधीन नावीनक  
प्रयोजनार्थ निर्मानित गांवों अधिग्रहण करने हेतु भूमि अञ्जन में पूर्व भासीजक प्रभाव अंकलन  
(एसआईए) किया जाना ग्राहक्यान्वित है। इस वाक्त निम्न प्रभावित गांव में भूमि अञ्जन हेतु जन-  
सुनवाई बैठक वा आवेजन किया जाना है।

जिसमें समस्त प्रभावित व्यक्तियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

क्र.सं.	गांव का नाम	तहसील	दिनांक	स्थान	समय
1	सामलापुरा	सांभरलेक	13.04.23	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र सादुलपुरा	11.00 एकम से 1.00 पीएम
2	शादुलपुरा	सांभरलेक	13.04.23	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र सादुलपुरा	11.00 एकम से 1.00 पीएम
3	श्योमिंहपुरा	सांभरलेक	13.04.23	राजीव गांधी भारत निर्माण केन्द्र सादुलपुरा	11.00 एकम से 1.00 पीएम
4	कंदेवली	सांभरलेक	13.04.23	सामुदायिक भवन कंदेवली	1.30 पीएम से 2.30 पीएम

सक्षम प्राधिकारी भूमि अवासि एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
सांभरलेक, जिला जयपुर

टीआईपीआर/सी/4781/2023

दिनांक 22.03.2023

(राजस्थान पत्रिका)

परिशिष्ट-४



## अध्याय-10

### सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुपालन में, भूमि अधिग्रहण के संभावित सामाजिक-आर्थिक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन किया गया था। अगले चरण में, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस.आई.एम.पी.) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार इस परियोजना के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए तैयार की गई है। एस.आई.एम.पी. में प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को समाप्त करने का उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए परियोजना के डिजाइन, निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान किए जाने वाले शमन, निगरानी और संस्थागत उपायों को समिलित किया गया है। एस.आई.एम.पी. का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जाए। एस.आई.एम.पी. को परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान लागू किया जाएगा अर्थात् निर्माण पूर्व चरण, निर्माण चरण और परिचालनचरण।

#### 10.1 शमन के लिए दृष्टिकोण

सामाजिक समाधात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) में शहर, निगरानी और संस्थागत उपाय शामिल हैं, जिसे परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। जिससे प्रस्तावित परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक समाधात को समाप्त करने या स्वीकार्य स्तर तक कम किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया जा सके।

## 10.2 प्रमुख प्रभावों का सारांश और उनका शमन

जब भी कोई विकास परियोजना किसी क्षेत्र में आरम्भ होती है तो उसके विभिन्न प्रभाव परिलक्षित होना अत्यंत स्वाभाविक है। क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय में सम्भावित बदलाव सामाजिक प्रभाव की श्रेणी में आते हैं जैसे रोजगार, आय, उत्पादन, जीवनशैली, संस्कृति, समुदाय, राजनीतिक व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यक्तिगत और संपत्ति के अधिकार, आशंकाएँ एवं आकांक्षाएँ आदि प्रभाव सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यह भी स्वाभाविक है कि गतिविधि आरम्भ होने के कुछ समय बाद ही सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लगेंगे किन्तु तब तक स्थानीय लोगों में नकारात्मक प्रभावों को लेकर आशंकाएँ देखी जा सकती हैं।

राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए यह सामाजिक समाधात शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) तैयार की गई है।

MMLP परियोजना हेतु अवाप्त होने वाली भूमि के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के दौरान किए गए डेस्क सर्वीक्षा, क्षेत्र जाँच और परामर्श के आधार पर इससे उत्पन्न होने वाले नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित सामाजिक प्रभाव शमन योजना (एस.आई.एम.पी.) विकसित की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित शमन उपायों को अपनाया जा सकता है:

**तालिका 10.1: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना**

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दे/समस्या	शब्दन के प्रस्तावित उपाय
1.	आर्थिक प्रभाव	रोजगार के अवसरों की हानि	राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासा और पुनर्बीवरक्षण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के तहत उचित मुआवजे की यांश समय पर एवं एक मुश्त उपलब्ध कराना।
			कृषि भूमि अधिग्रहण से कुछ समय के लिए आय नहीं होने पर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ देना।
			युवाओं के कोशल संवर्धन, उम्र एवं योग्यतानुसार रोजगार के अवसर प्रदान कराना।
			प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना (सरकारी योजना ऐसे मनोरेगा, श्रमिकों योजना इत्यादि)।
			उचित एवं चर्तमान बाजार भाव से मुआवजा राशि दिलवाना।
			परिसंपत्तियों का नुकसान

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	कुटुम्ब/समस्या	शब्दन के प्रस्तावित उपाय
2.	सामाजिक प्रभाव	युवक्षा का भुद्वा क्योंकि परियोजना निर्माण के दौरान शारीरों को असुविधा हो सकती है।	<p>वर्तमान छेत एवं अन्य संपर्क कार्ड हेतु संयोजकता शुल्कित की जाये ताकि शारीरों को अपने खेतों में जाने/सड़क को पार करने व यातायात में सुविधा हो।</p> <p>स्कूल के पास जेल क्रॉसिंग का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि छात्र स्कूल के समय और यातायात के दौरान सड़क सुरक्षित पार कर सकें।</p>
			<p>परियोजना निर्माण के दौरान सड़क पर वाहनों की गति सीमा संबंधी होर्डिंग लगावाने चाहिए।</p> <p>पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ या पैदल पथ का निर्माण होना चाहिए।</p> <p>गाँवों में चहुं ओर सोलर लाईट्स लगावानी चाहिए जिससे यात के समय यातायात से उत्पन्न सुरक्षा की समस्या से निपटा जा सकें।</p>
		पानी की समस्या	<p>कब्देवली गाँव में पानी की समस्या के बिराकरण हेतु बीसलपुर बाध से जुड़ी पाइप लाइन की मरक्कत करवानी चाहिए।</p>

क्र.सं.	प्रभाव का प्रकार	मुद्दे/समस्या	शमन के प्रस्तावित उपाय
3.	पर्यावरणीय प्रभाव	वृक्षारोपण और पेड़ों का बुकासान वाहनों के आवागमन और निर्माण कार्यों के कारण प्रदूषण में वृद्धि	परियोजना में सड़क के दोनों ओर एवं गाँवों में अधिकाधिक पोधरोपण किया जाए।
			निर्माण चरण के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए साइट पर नियमित रूप से पारी का छिकाव किया जाए। मुख्य सड़कों के बोगहों को चौड़ा एवं सौन्दर्यकृत किया जावा चाहिए।
			क्षेत्र में कुछ पार्कों का निर्माण एवं नियमित रख-रखाव किया जाना चाहिए जिससे प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा सके एवं लच्छों के छेलने की सुविधा भी उपलब्ध हो। वाहनों से होने वाले उत्पर्जन और वलोटेपलोटेकार्बन (सी.एफ.सी.) की जांच की जानी चाहिए। निर्माण साक्षी और कचरे को परिवहन के दौरान अच्छी तरह से ढंगा होना चाहिए ताकि हिसाव और फैलाव से बचा जा सके।
			जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था से जल प्रदूषण

### 10.3 प्रभाव से बचने, प्रतिकार करने और क्षतिपूर्ति करने के उपाय

#### (1) सामाजिक उपाय

- राज्य में भूमि विभाजन को लेकर आज भी बंटवारा मौखिक रूप से ही किया जाता है। जिस पर मौखिक रूप से हुए बंटवारे के अनुसार लोग काबिज हो जाते हैं। लेकिन जब कभी सरकार या किसी विकास कार्य हेतु भूमि अवाप्ति करती है तो पारिवारिक, सामाजिक विवाद की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार के तमाम मतभेद/विवादास्पद मामलों में जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उपचण्ड अधिकारी/भू-अवाप्ति अधिकारी को समस्या निवारण हेतु निर्देशित कर विवारों का निवारण कराया जाना चाहिये। अन्त में यह सुनिश्चित किया जाए कि कानूनी मालिकों को उचित मुआवजा दिया जावे।
- महिलाओं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों एवं परियोजना द्वारा प्रभावित परिवारों की स्थिति को बेहतर करने का प्रयास उनकी निर्णय लेने में भागीदारी को सुनिश्चित करके, परम्परागत कौशलता को बेहतर बनाकर एवं नये कौशल का विकास के द्वारा किया जाना चाहिये।
- परियोजना प्रभावित परिवारों को सर्वेक्षण के समय, कुल मुआवजे की राशि, भुगतान की विधि आदि के बारे में स्पष्ट रूप में संवाद करने की आवश्यकता है। बीच में किसी भी मध्य पुरुष/बिचोलियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए।
- गाँवों में चहुँ ओर सोलर लाईट्स लगवानी चाहिए जिससे रात के समय यातायात से उत्पन्न सुरक्षा की समस्या से निपटा जा सकें।
- जब सुनवाई के दौरान भू-स्वामियों ने परियोजना के अन्तर्गत शार्दुलपुरा से कन्देवली गाँव का सड़क सम्पर्क आने के कारण घर से खेत आने-जाने की उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करने की

आवश्यकता बताई। वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार करके कृषकों को घर से खेत आने-जाने की सुविधा उपलब्ध करवाने की अनुशंसा की जाती है।

- जब युनवाई के दौरान कन्देवली गाँव में पानी की समस्या प्रमुखता से उठाई गई। लोगों ने बताया कि बीसलपुर से डाली गई पाईप लाईन जगह-जगह टूटी होने के कारण गाँव को पानी नहीं मिल पा रहा। पाईप लाईन दुरुस्त करा कर इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है।

### (2) आर्थिक उपाय

- प्रभावित परिवार के नियोजन योग्य युवाओं को परियोजना में नौकरी देने में प्राथमिकता देनी चाहिए।
- परियोजना द्वारा कृषि भूमि की अवाप्ति से प्रभावित परिवारों को राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 (RFCLAR&R) के तहत उचित मुआवजा दिया जावे।

### (3) पर्यावरणीय उपाय

- परियोजना निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई होगी है अतः उसके निवारण हेतु कटने वाले पेड़ों के 5 गुणा पेड़ लगाये जाने की योजना निर्माण कर क्रियान्वित कराया जाना चाहिये।
- परियोजना के निर्माण चरण के दौरान प्रदूषण के स्तर को कम बनाये रखने के लिए पानी का छिड़काव, हार्न कम बजाने, जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था जैसे उपायों को अपनाना चाहिए।
- मुख्य सड़कों के चौराहों को चौड़ा एवं सौन्दर्यकृत किया जाना चाहिए।

क्षेत्र में कुछ पार्कों का निर्माण एवं नियमित रथ-रथाव किया जाना चाहिए जिससे प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा सके एवं बच्चों के खेलने की सुविधा भी उपलब्ध हो।

#### (4) पुनर्वास उपाय

- परियोजना में भूमि अवाप्ति अन्तर्गत किसी भी परिवार की पूरी भूमि अवाप्त नहीं की जा रही है। अतः पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है।

#### (5) पुनर्वासस्थापन उपाय

- भूमि अवाप्ति पश्चात्, परियोजना से प्रभावित परिवारों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जावे ताकि वह अपना जीवनयापन कर सके। कौशल विकास प्रशिक्षण के साथ साथ पर्याप्त सहयोग की भी आवश्यकता होगी।
- परियोजना संचालन/निर्माण चरण के दौरान गांवों के श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना चाहिये क्योंकि परियोजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के पश्चात् लोगों के पास भूमि कम/समाप्त हो जायेगी।
- क्षेत्र में खेती को व्यावसायिक रूप में विकसित किया जाना चाहिये ताकि प्रभावित परिवारों की बची हुई जमीन में अधिक आर्थिक लाभ मिल सके।

#### अन्य उपाय

- भूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण कई कृषकों ने इसे अपनी माँ से बिछुड़ने समान बताया। जमीन का चाहे जो भी मुआवजा दिया जाये, मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति कर पाना असम्भव है अतः एस.आई.ए. टीम यह अनुशंसा करती है कि कृषकों को यथासम्भव अधिक सहायता करके इस टीस को कम किया जाये।

- चूंकि कृषकों की कृषि भूमि का ही अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके घर उसी गाँव में हैं और रहेंगे, कुछ शिष्टाचार पूर्ण कदम जैसे वर्ष में एक बार CONCOR अधिकारियों के साथ कोई कार्यक्रम, कोई मेला इत्यादि आयोजित करना दूर की कौड़ी साबित हो सकते हैं।
- इस लक्ष्य में नगद मुआवजे के साथ ही क्षेत्र में कार्पोरेट सोशल ऐस्पोन्सिबिलिटी (CSR) के तहत कई कार्य आरम्भ करने की भी अनुशंसा की जाती है, जैसे CONCOR की ओर से विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, पुस्तकालय खोलना, पार्क बनवाना, वृक्षारोपण की मुहिम चलाना, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाना इत्यादि।
- 2011 की जनगणना के अनुसार प्रभावित चारों गाँवों में घरेलू उद्योग शमिकों की संख्या नगण्य है। CSR में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चला कर महिलाओं को एवं युवाओं को प्रशिक्षित करके घरेलू उद्योग की अपार सम्भावनाओं का दोहन किया जाना चाहिए।
- बेस लाइन सर्वेक्षण में 18 से 45 वर्ष के युवाओं का प्रतिशत कुल जनसंख्या का आधे से भी अधिक पाया गया है, युवाओं के कौशल संवर्धन, उम्र एवं योग्यतानुसार नियोजन से पूरे क्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- जब कृषकों को किसी ओर जगह पर भूमि दी जाये तो इस प्रकार के कदम उठाये जायें कि मुकदमेबाजी व्यूनतम हो। चूंकि कई परिवारों में मौखिक बंटवारा पाया गया तो स्थानीय प्रशासन की मदद से ऐसे मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीकों से निपटाने का प्रयास किया जाए।
- प्रभावित खातेदारी में लोग कृषि पर निर्भर हैं। जो भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित खातेदारों के राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का

अधिकार नियम, 2016 के अन्तर्गत भूमि आधिग्रहण से होने वाली क्षति पूर्ति हेतु चर्चा करते हुए विम्बलियित अपेक्षाएँ अभिव्यक्त की:

- वर्तमान बाजार भाव से उचित मुआवजा राशि निश्चित समायावधि में दिलवाना।
- बी.पी.एल से जोड़ना।
- खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित कराना।
- प्राथमिकता से रोजगार के अवसर प्रदान कराना।
- स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने की सुनिश्चितता कराना।

#### 10.4 निष्कर्ष

प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्दों के समाधान के लिए निवारक उपाय किए जाएं। परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान उत्पन्न होने वाले अप्रत्याशित मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए राजस्व विभाग, पंचायत के प्रतिनिधियों और प्रस्तावक के साथ एक निवारण प्रणाली स्थापित की जा सकती है। नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभावों की तुलना करके यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परियोजना के लिए साइट का चयन सबसे उपयुक्त और उचित के रूप में पहचाना गया है। यह देखा गया है कि यद्यपि भूमिधारक निश्चित रूप से भूमि खो देते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है क्योंकि वे मुख्य रूप से आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर होते हैं। अधिकांश के लिए पैतृक संपत्ति की हानि का भावनात्मक और मानसिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी, प्रभावों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक तरफ घरों का विस्थापन बिल्कुल नहीं हो रहा है और दूसरी तरफ भूमि, आजीविका, भौतिक संसाधनों, सार्वजनिक सुविधाओं या संस्कृति पर उचित और प्रभावी शमन उपायों/रणनीतियों के साथ कम या बहुत कम किया जा सकता है।

## सन्दर्भ सूची

---

1. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
2. राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016
3. भारत की जनगणना 2011, कार्यालय रजिस्ट्रार जनरल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
4. राजस्व (ग्रुप-6) विभाग (राजस्थान सरकार) अधिसूचना क्रमांक: प. 1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर, दिनांक 14.06.2016

## परिशिष्ट

### परिशिष्ट (i)

विस्थापित होने वाले परिवारों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खाता संख्या	परिवार मुखिया का नाम	आधिकारी की संख्या	अन्य विवरण
कोई नहीं					

### परिशिष्ट (ii)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में स्थित आधारभूत संरचनाओं की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खाता संख्या	आधारभूत संरचना		अन्य विवरण
			निजी	सरकारी	
कोई नहीं					

### परिशिष्ट (iii)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में निजी भूमियों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खाता संख्या	निजी भूस्वामी का नाम		अन्य विवरण
			निजी	सरकारी	
तालिका 4.1 में विस्तार पूर्वक दी गई है।					

### परिशिष्ट (iv)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खाता संख्या	व्यावसायिक गतिविधियाँ		अन्य विवरण
			निजी	सरकारी	
कोई नहीं					

परिशिष्ट (v)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खाता संख्या	भूमिहीन व्यक्ति	अन्य विवरण
कोई नहीं				

परिशिष्ट (vi)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजनों की सूची

क्र. सं.	गाँव का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विशेष योग्यजन	अन्य विवरण
1.	कन्देवली	0 4	-	-	-
2.	श्योसिंहपुरा	1 2	-	-	-
3.	शार्दुलपुरा	1 8	-	-	-
4.	सामलपुरा	0 2	-	-	-

परिशिष्ट (vii)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	खाता संख्या	भूमिहीन खेतीहर मजदूर	अन्य विवरण
कोई नहीं				

**परिशिष्ट (viii)**  
**प्रभावित क्षेत्र में रोजगार योग्य युवाओं की सूची**

क्र. सं.	गाँव का नाम	खसरा बम्बर	रोजगार योग्य युवा का नाम	भू-स्वामी से सन्बन्ध	आयु	शिक्षा
1.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401, 403, 404, 409, 410	सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, सुरेश	पुत्र / सोहनलाल	27, 23	पोर्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल ITI
2.	शार्दुलपुरा	160, 161, 162, 163, 317, 164, 165	रमेश चन्द्र चौधरी	पुत्र / सुवालाल	26	ITI
3.	शार्दुलपुरा	160, 161, 162, 163, 317	अखाराम चौधरी, रामकिशन चौधरी	पुत्र / कागा जाट	29, 25	ग्रेजुएशन B.Com., B.A.
4.	सामलपुरा	372, 373, 378, 391, 393, 394, 396, 397	महेन्द्र, चेतन	पुत्र / हनुमान	27, 25	B.A.
5.	सामलपुरा	372, 373, 378, 391, 393, 394, 396, 397	अखेराम	पुत्र / छितरमल	22	B.A.
6.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401, 403, 404, 409, 410	सुरेन्द्र, कानाराम	पुत्र / सोहनलाल	25, 23	पोर्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इलेक्ट्रीकल ITI
7.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401, 403, 404, 409, 410	राहुल, देवेन्द्र	पुत्र / रंगलाल	22, 20	B.Sc., ITI
8.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401,	दिनेश, राकेश	पुत्र / रामेश्वर	24, 20	B.Sc.

		403, 404, 409, 410				
9.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401, 403, 404, 409, 410	सांगर	पुत्र / मदनलाल	24	M.Tech.
10.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401, 403, 404, 409, 410	गणेश, श्यामसुन्दर	पुत्र / रामदेव	30, 28	B.A.
11.	सामलपुरा	399, 400, 407, 401, 403, 404, 409, 410	रमेश, लक्ष्मीनारायण	स्वयं	32, 26	B.A., 10 <sup>th</sup>
12.	सामलपुरा	374, 397, 372, 371, 394, 385, 386	रामधन, सत्यनारायण	स्वयं	40, 35	10 <sup>th</sup>
13.	सामलपुरा	35, 36, 37	राधाकिशन, राहुल, किशन, गणेश, भवर, रामेश्वर	पौत्र / हनुमान जाट	23, 26, 27, 16, 20	ITI Ele., 10 <sup>th</sup> , B.A., 12 <sup>th</sup>
14.	सामलपुरा	138, 139, 140, 388	रवि, लक्ष्मीनारायण चन्द्रमोहन	पुत्र / पौत्र	20, 44	B.A., 10 <sup>th</sup>
15.	श्योसिंहपुरा	271, 273, 274, 269, 251	रतन, गंगाराम यादव	पुत्र / छित्र हरिनारायण	21, 26	B.A., ITI
16.	श्योसिंहपुरा	271, 273, 274, 269, 251	संजय, मुकेश	स्वयं	21, 24	B.A., ITI
17.	शार्दुलपुरा	116	शंकर लाल, छोटू	पुत्र	30, 28	B.Ed., B.A.
18.	कन्देवली		भवर लाल, प्रेमचन्द	पुत्र	29, 25	B.A., 10 <sup>th</sup>

19.	कन्देवली		कमलेश, रमेश	स्वंय	30, 27	10 <sup>th</sup> , 10 <sup>th</sup>
20.	कन्देवली		रंगलाल, हिरालाल, मुकेश	स्वंय		10 <sup>th</sup> , 12 <sup>th</sup> , 12 <sup>th</sup>
21.	कन्देवली		राजेन्द्र, लेखराज	पुत्र	20, 18	B.A., 12 <sup>th</sup>
22.	कन्देवली		सहुल, रोहित	स्वंय	21, 18	10 <sup>th</sup> , 12 <sup>th</sup>
23.	सामलपुरा		स्वचम	स्वचम	45	
24.	कन्देवली		कानाराम	पुत्र	22	B.A.
25.	सामलपुरा		सुरेश, मनोज, अक्ष	पौत्र	20, 20, 15	10 <sup>th</sup> , 10 <sup>th</sup> 8 <sup>th</sup>
26.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	हरिश	पुत्र	18	10 <sup>th</sup>
27.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	महेन्द्र	पुत्र	19	10 <sup>th</sup>
28.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	कमलेश	पुत्र	22	10 <sup>th</sup>
29.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	मनीष	पुत्र	15	10 <sup>th</sup>
30.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	भंवर	पुत्र	35	10 <sup>th</sup>
31.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	मुकेश	पुत्र	22	10 <sup>th</sup>
32.	कन्देवली	12, 13, 14, 15,	निशान्त	पुत्र	18	10 <sup>th</sup>

		16, 19				
33.	सामलपुरा		सीताराम	स्वयं	35	10 <sup>th</sup>
34.	सामलपुरा		राजेश	स्वयं	30	10 <sup>th</sup>
35.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	लक्ष्मण	स्वयं	28	10 <sup>th</sup>
36.	कन्देवली	311, 249, 208	महेश कुमार चौधरी	पुत्र	25	B.A.
37.	कन्देवली	311, 249, 208	अर्जुन लाल चौधरी	पुत्र	22	B.A.
38.	कन्देवली	12, 13, 14, 15, 16, 19	भंवरलाल पुत्र हनुमान	पुत्र	35	10 <sup>th</sup> फेल
39.	कन्देवली		जितेन्द्र, सुरेश	पुत्र	20 24	10 <sup>th</sup>

परिशिष्ट (ix)

प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं प्रभावित होने वाले परिवारों का सामाजिक,  
आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य

क्र.सं.	गाँव का नाम	सामाजिक परिदृश्य	आर्थिक परिदृश्य	सांस्कृतिक परिदृश्य	अन्य विवरण
विस्तृत विवरण अध्याय 6 में दिया गया है।					

 राजस्थान राजपत्र विशेषांक साप्तिकार प्रकाशित	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b> Published by Authority
	फाल्गुन 03, बुधवार शाके 1944-फरवरी 22, 2023 Phalguna 03, Wednesday, Shaka 1944- February 22, 2023

## भाग-1(छ)

सहत्वपूर्ण सरकारी आमदानी।  
उद्योग एवं वाणिज्य (युप-1) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2022

संख्या प.4(3)उद्योग 1/2017 : भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सप्तित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में पटल्स शक्तियों का पदोग करने हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाधान निपोरण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतदवारा जारी की जाती है:-

1. परियोजना विकासित करने वाले का नामः कन्टेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (CONCOR)
2. प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्यः लाइसिस्टिक हब का विकास किया जाना।
3. भूमि का विवरणः

क्र.सं.	ज़िला	तहसील	ग्राम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	स्वामित्व
1	जयपुर	फुलेरा	सामलपुरा, श्योसिंहपुरा, कंटेवली एवं शार्दुलपुरा	116.35.6 हेक्टेयर	संलग्न सूची अनुसार

## 4. सामाजिक समाचार निर्धारण अवधान के प्रमुख उद्देश्यः

- i. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के पावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ii. प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के पतिनिधियों से वार्ता करना। उनके विचार लेखदृढ़ करता तथा पूर्ण पचार-प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार-विमर्श को लेखदृढ़ करना।
- iii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपाजेत पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।
- iv. प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित अधिक एवं सामाजिक प्रभाव का अंकलन करता तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।
- v. प्रस्तावित अधिग्रहण योजना योजनाथे हैं, यह सुनिश्चित करना।
- vi. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आकलन करता तथा उनके जीविकोपाजेन के वर्तमान साधनों को जान करना।

3980

राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 22, 2023

भाग 1(ख)

- vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सड़क मार्ग, सार्वजनिक व तिजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाड़ी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्योग, शृंगार, पार्श्वजन के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को जात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का ओंकलन करना।
- viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण करना उपयुक्त नहीं है तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।
- ix. इस बात को मुनिशिच्छत करना कि परियोजना में सामाजिक समाधारों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित ताभ अधिक है।
- x. याम सभा, भू-स्वामियों की सहभत्ति की आवश्यकता है अथवा तहीं - नहीं।
- xi. सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।
- xii. उक्त सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 90 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।
- xiii. सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन में भूमि अंजेत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 संपूर्ण राजस्थान भूमि अंजेत, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधारों की अक्षरशः पालना की जावेगी।
5. सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाधान पब्लिक योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित याम पंचायतों, जिला कलकटर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सार्वजनिक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चम्पा करानी होगी। संबंधित जिला कलकटर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट तथा कॉन्कोर की वेबसाइट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।
6. सामाजिक समाधान निर्धारण अध्ययन हेतु दिशेष समूह का ठिकाना-

## नाम संघर्षक सूत्र

i. पोफेसर अल्पना कटेजा	- 9414243508
ii. श्री रामयश चौधेरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रभु फाउण्डेशन सोसायटी एवं एसआईए कन्सल्टेंट	- 9602855442
iii. श्री मुरेश चन्द शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता	- 9414046348
iv. श्री सत्यकार शर्मा	- 9982610313
v. श्री भूपेन्द्र सिंह यादव	- 9829196482

अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरण:-

श्री भूपेन्द्र सिंह यादव - 9996107203

## सामाजिक / आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्नावली

प्रश्नावली सं. दिनांक 

## 1. प्रभावित परिवार की पहचान (Identification of AF)

भू-स्वामी/संरचना मालिक का नाम	<input type="text"/>		
पिता/पति का नाम	<input type="text"/>		
संपर्क नं.	पुरुष <input type="checkbox"/>	महिला <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

## 2. परिवार प्रश्नावली (Household Schedule)

- (i) उत्तरदाता का नाम
- (ii) उत्तरदाता का भू-स्वामी/संरचना मालिक के साथ सम्बन्ध
- (iii) परिवार का प्रकार :-
- |  |                                      |   |                      |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| (1) एकल <input type="checkbox"/>   | (2) संयुक्त <input type="checkbox"/> | (3) असम्बद्धित <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| (iv) आधिकारों की संख्या <input type="text"/>   |                                      |   | <input type="text"/> |
| (v) धर्म :-  |                                      |   | <input type="text"/> |
| (1) हिन्दू (2) मुस्लिम (3) सिक्ख (4) इसाई (5) जैन (6) बौद्ध <input type="text"/>     |                                      |   | <input type="text"/> |
| (vi) जाति :-   |                                      |   | <input type="text"/> |
| (1) अनुजाति (2) अनुजनजाति (3) अन्य पिछड़ी जाति (4) सामाज्य जाति <input type="text"/> |                                      |   | <input type="text"/> |
- (vii) परिवार का विवरण (Household Particulars of Family)

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों के नाम (एकल वाला भू-स्वामी / संरचना मालिक) से संबंध	भू-स्वामी/ संरचना मालिक से संबंध	सितं (मु. रु.)	उम्र	लिंग	स्वास्थ्य टिकटो	मुख्य आय गणितिः	आव श्रीमान	विकासनीता (आर्थिक वा आमिलिक)
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 3. परियोजना के सम्बन्ध में

- (i) क्या आपके प्रस्तावित परियोजना की जानकारी है  है  नहीं
- (ii) आप इस परियोजना के बारे में क्या सोचते हैं ?
- (1) क्षेत्र का विकास होगा (2) क्षेत्र का वृक्षान्वय होगा (3) योड़ी जानकारी है

## 4. भूमि का स्वामित्व (Ownership of the Land)

- (i) निजी  (ii) सरकारी  (iii) धार्मिक  (iv) अन्य

## 5. भूमि का प्रयोग (Use of Land)

- (i) खेती  (ii) बर्गीया  (iii) आवासीय  (iv) व्यावसायिक

## 6. कृषि भूमि का वर्गीकरण (Classification of Agricultural Land)

(i) सिंचित (ii) असिंचित (iii) बंजर (iv) अन्य

## 7. प्रभावित परिवार की श्रेणी (Category of AF)

(i) भू-स्वामी (ii) अतिक्रमणकारी (iii) उपदेशी (iv) किरायेदार  
(v) दिहाड़ी भजदूर (vi) कियोरुक (vii) बटाइदार

## 8. केवल भू-स्वामियों (Title Holders) के लिए प्रभावित भूमि का विवरण

(i) खाता सं. :  
(ii) खसरा नं. :  
(iii) भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल (हिक्टेयर में) :  
(iv) भूखण्ड का प्रभावित क्षेत्रफल (हिक्टेयर में) :  
(v) अधिगृहित की जाने वाली भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य :

## 9. संरचना का विवरण (Details of affected Structure)

(i) परियोजना के प्रस्तावित मध्य से संरचना की दूरी (मी.में)

(ii) प्रभावित संरचना का प्रयोग (Use of affected Structure)

(1) आवासीय (2) व्यावसायिक (3) आवासीय एवं व्यावसायिक

(iii) संरचना/छंचे का मालिकाना हक

(1) विजी (2) सरकारी (3) धर्मिक (4) सामुदायिक

## 10. (i) यदि आप विस्थापित होते हैं तो आप कहाँ बसना चाहेंगे ?

(ii) संरचना की अनुमानित लागत (रुपये में)

## 11. संरचना की माप (ली. में)

संरचना की माप	लम्बाई	चौड़ाई	ऊँचाई
संपूर्ण क्षेत्रफल			
प्रभावित क्षेत्रफल			

## 12. संरचना का प्रकार

(i) पक्का (ii) कच्चा (iii) अर्धपक्का

## 13. संरचना में प्रयुक्त निर्माण सामग्री का विवरण

## छत

आर.सी.सी.	आर.बी.सी.	खापैल	लकड़ी, इंट और मिट्टी	पत्थर	अन्य (उल्लेख कीजिए)

## दीवार

इंट सीमेट	इंट, चुर्खी और छुला	इंट मिट्टी	मिट्टी	पत्थर	अन्य (उल्लेख कीजिए)

## फर्श

पत्थर की गिट्टी का पर्याप्ति का फर्श	इंट की गिट्टी का पर्याप्ति का फर्श	सोलिंग/खड़जा	पत्थर की पट्टियों का फर्श	कच्चा फर्श	अन्य (उल्लेख कीजिए)

## 14. आवासीय संरचना (हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 अर्दे)

- (i) रांचना कितनी पुरानी है? (वर्षों में)
- (ii) क्या कोई किरायेदार है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (iii) क्या जृहकर दे रहे हैं? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (iv) क्या बिजली है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (v) क्या पानी का कलेकशन है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (vi) यदि पानी का कलेकशन नहीं है, तो पीने के पानी का क्या स्रोत है?
- (vii) क्या शौचालय की सुविधा है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (viii) खाना पकाने के लिए इधन की क्या सुविधा है? (1. हाँ / 2. नहीं)

## 15. व्यावसायिक संरचना (Commercial Structure) (हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 2 अर्दे)

- (i) आप किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं?
- (ii) क्या आपका खुद का व्यापार है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (iii) क्या आप के इस व्यापार में आप के अतिकिल किसी अन्य संरक्षा/भागीदारों का पैसा लगा हुआ है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (iv) यदि हाँ तो किसने हिस्सेदार है? (संख्या में)
- (v) क्या आपके पास व्यापार हेतु अबुगति पत्र है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (vi) शुल्क में आपने कितना निवेश किया था? (लप्ते में)
- (vii) आप की सालभर की कुल आमदानी क्या है? (लप्ते में)
- (viii) क्या आप व्यापार कर रहे हैं? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (ix) क्या बिजली है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (x) क्या पानी का कलेकशन है? (1. हाँ / 2. नहीं)
- (xi) यदि पानी का कलेकशन नहीं है, तो पीने के पानी का क्या स्रोत है?
- (xii) क्या शौचालय की सुविधा है? (1. हाँ / 2. नहीं)

## 16. केवल किरायेदारों (Tenants) के लिए

क्र. सं.	नाम	उनके की अवधि	मासिक किराया रु. में	अग्रिम धनराशि	प्रयोग का प्रकार
i.					
ii.					
iii.					

## 18. केवल दिहाड़ी भजदूरों के लिए (Only for Wage Labour)

क्र. सं.	नाम	कार्य करने की अवधि	मासिक किराया रु. में	कार्य का प्रकार	टिप्पणी
i.					
ii.					
iii.					

## 19. केवल बटाईदारों के लिए (Only for Share Cropper)

क्र. सं.	नाम	कार्य करने की अवधि	बटाई की भूमि हेक्टेयर में	औसत उपज का मूल्यांकन (रु.में)	औसत उपज में भागीदारी % में
i.					
ii.					
iii.					

## 20. प्रभावित परिवार अन्वर्गत पशुधन स्वामित्व विवरण (Details of Live Stock Owned by AF)

क्र.सं.	पशुओं का नाम	कुल संख्या	क्र.सं.	पशुओं का नाम	कुल संख्या
i.	गाय		vi.	घोड़ा	
ii.	मैस		vii.	हाथी	
iii.	ऊँट		viii.	भेड़	
iv.	गधा		ix.	बैल	
v.	बकरी		x.	अन्य	

## 21. क्षमता वर्धन हेतु प्रशिक्षण के लिए विकल्प (Alternative for Training)

- (i) प्रशिक्षण ट्रेड के लिए विकल्प .....  
 (ii) प्रशिक्षण लेवे वाले सदस्य का नाम व उम्र .....  
 (iii) क्या प्रशिक्षण के उपरान्त सम्बन्धित रोजगार अपनाना चाहेंगे? (हाँ / नहीं)  
 (iv) क्या रवरोजगार आपकी प्राथमिकता होती? (हाँ / नहीं)

## 22. प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

- (i) आधाकार्ड ( ) (ii) राशन कार्ड ( )  
 (iii) घुनाव पहचान-पत्र ( ) (iv) पंजीकृत किराया बाज ( )  
 (v) बैंक पासबुक ( ) (vi) पंचायत प्रमाण-पत्र ( )  
 (vii) इकारानाम/नोटरी ( ) (viii) अन्य (लिखिए) ( )

## 23. विपन्न परिवार का सत्यापन :-

- (i) बी.पी.एल. ( ) (ii) बृद्ध ( )  
 (iii) अनुसूचित जाति ( ) (iv) अनुसूचित जनजाति ( )  
 (v) दिक्लांग ( ) (vi) महिला मुख्या परिवार ( )

## 24. Identified or Verified from PAP :-

## लिंगानुपात संवर्धन (Gender Promotion)

i.	क्या आपके घर में पत्नी का बैंक खाता है? यदि हाँ तो एकल है या संयुक्त	एकल	संयुक्त
ii.	क्या आपके घर में महिलाओं की समान स्तर से क्रय विक्रय, अथवा समस्याओं के निराकरण इत्यादि में 'विर्णायक भूमिका की सहमति ली जाती है?	हाँ	नहीं
iii.	क्या आपके घर में महिला सदस्यों की उच्च शिक्षा हेतु सहमति है?	हाँ	नहीं
iv.	घर की कोई महिला सदस्य स्वयं सहायता समूह की सदस्य है?	हाँ	नहीं
v.	घर की कोई महिला सदस्य, ग्राम पंचायत की सदस्य हैं?	हाँ	नहीं
vi.	घर की कोई महिला सदस्य किसी भी प्रकार के व्यवसाय/नौकरी में सम्मिलित है?	हाँ	नहीं
vii.	घर की महिला सदस्यों के बारे से किसी भी प्रकार की प्रॉफर्टी/सम्पत्ति/वाल-अचल सम्पति क्रय की जायी है?	हाँ	नहीं
viii.	क्या आप अपने परिवार में महिलाओं को क्षमता संवर्धन हेतु ट्रेनिंग/प्रशिक्षण दिलवाना चाहते हैं?	हाँ	नहीं

## 25. पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन

i.	प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण ग्रभावित हैं, तो आप कैसे स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं	1- स्वप्रबंधित नकद 2- परियोजना में प्राप्त सहायता 3- अनिवार्य 4- अन्य (स्पष्ट करें)
ii.	क्या आप चाहते हैं कि परियोजना से अप्रभावी शेष जमीन/भवन को भी अधिग्रहित किया जाए	1- हाँ / 2- नहीं
iii.	क्या आपको लगता है कि परियोजना आपके गांव या क्षेत्र में किसी बुनियादी सुविधाओं को बनावे या सुधारने में सहयोगी होंगी ?	1- हाँ / 2- बही

## 26. पुनर्वास/प्रतिस्थापन विकल्प

i.	क्या परियोजना विभाग अधिकारी तथा डूसके आरब्द होने के बाद रोजगार चाहिए	हाँ	नहीं
ii.	क्या किसी और स्थान पर दुकान या आवास चाहिए	हाँ	नहीं
iii.	क्या कौशल स्तर में सुधार के लिए प्रशिक्षण चाहिए	हाँ	नहीं
iv.	क्या रस-विस्थापित होना चाहेंगे	हाँ	नहीं
v.	क्या भूमि के बदले निजी भूमि चाहिए	हाँ	नहीं
vi.	क्या नकद सहायता चाहिए	हाँ	नहीं
vii.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		

## 27. आय बढ़ाती सहायता (सबसे पसंदीदय विकल्प):

- (i) विभाग कार्य में रोजगार के अवसर
- (ii) चल रही विकास योजना से अन्य नकद/सहायता/ऋण
- (iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण
- (iv) अन्य (निर्दिष्ट करें).....

## 28. वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने के लिए विचार करने योग्य कारक:

- (i) परिघार : दोस्तों तक पहुंच
- (ii) परेलू गतिविधि से आय
- (iii) व्यावसायिक गतिविधि से आय
- (iv) ईकाइ नौकरी
- (v) बाजार के करीब
- (vi) अन्य (निर्दिष्ट करें)

## 29. परियोजना से अन्य सहायता (निर्दिष्ट करें):.....

उत्तरदाता का नाम:

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम:

हस्ताक्षर

